सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2024-2025

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली

"...पिछले एक दशक में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, गांव-गांव नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो, दूर-सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो, आरोग्य मंदिर बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजों का काम हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण चलता हो, 60 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बने हों..."

- 15 अगस्त, 2024

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

विषयसूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ
I	प्रस्तावना	5 - 7
II	वर्ष 2024-25 एक नजर में	9 - 18
III	सड़क विकास	21 - 30
IV	लॉजिस्टिक्स और संबद्ध राजमार्ग अवसंरचना	31 - 37
V	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	41 - 49
VI	सड़क परिवहन	51 - 71
VII	सड़क सुरक्षा	73 - 83
VIII	अनुसंधान और प्रशिक्षण	85 - 92
IX	प्रशासन और वित्त	95 - 104
X	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	105 - 107
XI	निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 का कार्यान्वयन	109
XII	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	111 - 113
XIII	अन्य पहलें और अभियान	115 - 116
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट -1	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित विषय	119 - 120
परिशिष्ट -2	देश में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची	121 - 124
परिशिष्ट -3	सीआरआईएफ के अंर्तगत आबंटन और निर्मुक्ति	125
परिशिष्ट -4	अनु जाति/अनु जनजाति कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों की संख्या से संबंधित सूचना	126
परिशिष्ट- 5	राष्ट्रीय परमिट शुल्क का राज्य-वार संवितरण दर्शाने वाला का विवरण	127
परिशिष्ट -6	मुख्य शीर्ष-वार व्यय	128
परिशिष्ट -7	राजस्व प्राप्तियों के संबंध में पिछले चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय लेन-देन के विवरण (एससीटी) के अनुसार निधियों के स्रोत	129
परिशिष्ट -8	पिछले चार वर्षों की राजस्व प्राप्तियों का शीर्ष-वार विवरण	130
परिशिष्ट -9	लेखा के मुख्य बिंदु	131
परिशिष्ट -10	मार्च 2024 तक अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) शुल्क का राज्य-वार संवितरण दर्शाने वाला विवरण	132
परिशिष्ट -11	भारत में पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या:2003 से 2022	133
परिशिष्ट -12	सड़क दुर्घटनाओं और उनसे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या:2005 से 2022	134
परिशिष्ट -13	कुल सड़क लंबाई और प्रत्येक सड़क श्रेणी का प्रतिशत हिस्सा (1951 से 2020)	135
परिशिष्ट -14	एसआरटीयू का संयुक्त वास्तविक निष्पादन	136
परिशिष्ट -15	लंबित सीएंडएजी पैराओं की स्थिति	137 - 139

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

एनएचआईडीसीएल के 10वें स्थापना दिवस पर माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग)

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए, चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए।

This sign notifies that entry is prohibited for all vehicles. Certain pockets of an area or road are demarcated as 'no entry' areas for traffic. This could be entry to a restricted area or no-traffic zone. So the driver should obey it and divert his route.

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन वर्ष 2009 में पूर्ववर्ती नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो स्वतंत्र मंत्रालयों, अर्थात् सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय, में विभाजित करके किया गया था।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- युद्ध परिवहन विभाग का गठन जुलाई, 1942 में तत्कालीन संचार विभाग को दो विभागों अर्थात् (i) डाक विभाग और (ii) युद्ध परिवहन विभाग में विभाजित करके किया गया था।
- वर्ष 1957 में, युद्ध परिवहन विभाग का नाम बदलकर परिवहन संचार मंत्रालय कर दिया गया और परिवहन विभाग को इसके अंतर्गत रखा गया।
- 25 जनवरी, 1966 को परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर परिवहन और उड्डयन मंत्रालय मेंपरिवहन, जहाजरानी और पर्यटन विभाग कर दिया गया।
- 13 मार्च, 1967 से परिवहन और उड्डयन मंत्रालय को जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय तथा पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में विभाजित कर दिया गया।
- मंत्रालयों/विभागों का पुनर्गठिन होने पर तत्कालीन परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय, 25 सितंबर, 1985 से परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत भूतल परिवहन विभाग बन गया।
- मंत्रालयों/विभागों का आगे पुनर्गठिन होने पर, 22 अक्टूबर, 1986 से परिवहन मंत्रालय के तहत भूतल परिवहन विभाग का नाम बदलकर भूतल परिवहन मंत्रालय कर दिया गया।
- भूतल परिवहन मंत्रालय को बाद में 15 अक्टूबर, 1999 से विभागों अर्थात् जहाजरानी विभाग तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में पुनर्गठित किया गया।
- 17 नवंबर, 2000 से भूतल परिवहन मंत्रालय को दो मंत्रालयों अर्थात् जहाजरानी मंत्रालय तथा सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में विभाजित किया गया।
- 2 सितंबर, 2004 को सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा जहाजरानी मंत्रालय का एक जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में विलय कर दिया गया, जिसमें दो विभाग - जहाजरानी विभाग तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग थे।

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़-भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.

❖ 2009 में जहाजरानी विभाग तथा सड़क, परिवहन और राजमार्ग विभाग को अलग-अलग स्वतंत्र मंत्रालयों में परिवर्तित करके जहाजरानी, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को फिर से दो स्वतंत्र मंत्रालयों - जहाजरानी मंत्रालय और सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में विभाजित किया गया।

1.3 किसी देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है। यह विकास की गति, संरचना और पद्धति को प्रभावित करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियत कार्यों और जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ-साथ, पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण और अनुरक्षण; राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988; राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली,1989 को प्रशासित करना, और साथ ही, सड़क परिवहन और ऑटोमोटिव मानकों इत्यादि से संबंधित व्यापक नीतियां तैयार करने का कार्य शामिल है।

1.4 यातायात (यात्री और माल) प्रबंधन के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता को औद्योगिक विकास की गति के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत का सड़क नेटवर्क करीब 63.45 लाख किमी है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, जिनकी लंबाई इस प्रकार है:

राष्ट्रीय राजमार्ग	**1,46,195 किमी**
राज्यीय राजमार्ग	1,79,535 किमी*
अन्य सड़कें	60,19,723 किमी*
कुल	**63,45,453 किमी**

-स्रोत "भारत की मूल सड़क सांख्यिकी (2018-19)

1.5 ऐतिहासिक तौर पर, परिवहन क्षेत्र में निवेश सरकार द्वारा ही किया जाता रहा है। तथापि, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

प्रकार्य

1.6 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित विषय परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध किए गए हैं।

जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।

As sign itself speaks the area designated is a no entry zone for Trucks or HMV. These could be narrow lanes or congested areas where entry of heavy transport vehicle could obstruct smooth flow of traffic.

संगठन

1.7 सम्बद्ध कार्यालय

1.7.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,1988 नामक एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। एनएचएआई इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े अथवा उनके प्रासंगिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। एनएचएआई फरवरी,1995 से प्रचालन में है।

1.7.2 राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. (एनएचआईडीसीएल)

मंत्रिमंडल ने 13 मार्च, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में पड़ोसी देशों के साथ सतत आधार पर क्षेत्रीय सड़क सम्पर्क का संवर्धन करने के लिए, पड़ोसी देशों के साथ देश की अनन्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य किए जाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कारपोरेट संस्था,एनएचआइडीसीएल को स्थापित करने तथा उसे प्रचालनात्मक बनाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया था।

1.7.3 भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी)

सड़क निर्माण, अनुरक्षण एवं विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आवधिक रूप से सड़क सम्मेलनों का आयोजन करने हेतु भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी)को औपचारिक रूप से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 24 सितंबर 1937 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। आईआरसी में 19,612 से अधिक पंजीकृत सदस्य हैं, जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शोध संस्थानों, अकादमिक संस्थानों, स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्र, रियायतग्राहियों, संविदाकारों, परामर्शदाताओं, उपकरण विनिर्माताओं, मशीनरी विनिर्माताओ, सामग्री उत्पादकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, औद्योगिक संघों और विश्व बैंक, एडीबी, जेआईसीए, जेआरए, आईआरएफ इत्यादि जैसे बहुपक्षीय और संस्थागत संगठनों के सड़क क्षेत्र के सभी हितधारकों के अभियंता एवं पेशेवर शामिल हैं।

आईआरसी का मुख्य उद्देश्य देश के समग्र विकास के लिए स्थायी सड़क अवसंरचना का निर्माण और रखरखाव करने के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार की सड़क एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने के लिए मानक, कोड, विनिर्देश, दिशानिर्देश, मैनुअल आदि स्थापित/तैयार करना है। इसके अलावा, आईआरसी तकनीकी ज्ञान का प्रसार और प्रचार करने तथा राजमार्ग पेशेवरों को वर्तमान अत्याधुनिक प्रथाओं और अत्याधुनिक पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करने के लिए वार्षिक सत्र, मध्यावधि परिषद की बैठकें, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ, क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ–ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

This sign indicates that the road has been prohibited for plying of Bullock & Hand Carts. These slow moving carts many a times hinder the smooth flow of traffic.

गोवा में एनएच-166एस पर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से धारगल तक
6-लेन पहुंच-नियंत्रित 7 किमी सड़क परियोजना का उद्घाटन

धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं। इसलिए, कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

The slowest form of transport many a times becomes obstruction to the free flow of traffic hence certain zones have been demarcated where bullock carts are not allowed to ply.

अध्याय-II

वर्ष 2024-25 एक नजर में

2.1 राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,46,195 किलोमीटर है जो संपूर्ण रूप में देश के धमनी नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना [जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) भी शामिल है], पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई), विजयवाड़ा-रांची सड़क के विकास सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्यूई) में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के प्रमुख कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को उन्नत और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

2.2 राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार

- राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) नेटवर्क 2014 में 91,287 किमी से 60% बढ़कर वर्ष 2024 में 1,46,195 किमी हो गया।
- रारा नेटवर्क के हाई स्पीड कॉरिडोर (एचएससी) की लंबाई 2014 में 93 किमी से बढ़कर 2024 में लगभग 2,474 किमी हो गई है।
- 4 लेन और उससे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों (एचएससी को छोडकर) की लंबाई 2014 के 18,278 किमी से 2.5 गुना बढ़कर वर्तमान में 45,947 किमी हो गई।

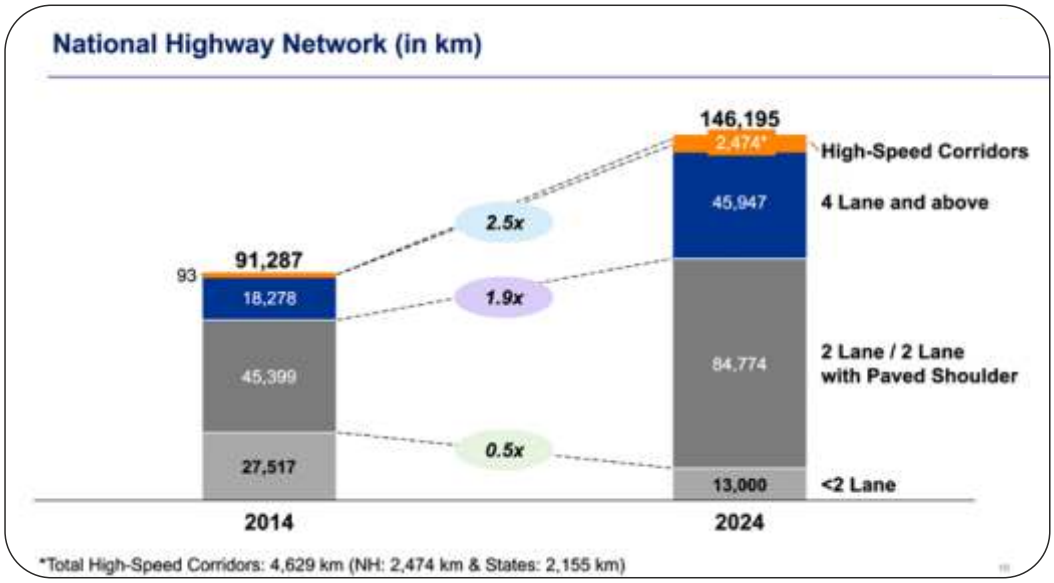

कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

Some times roads are intersected by the river without the provision of bridge. These roads are connected through ferry service. This sign indicates that there is a ferry service available to cross the river.

2.3 अनवरत गति से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और सौंपना

- कॉरिडोर आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से प्रोत्साहन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) के निर्माण की गति लगातार बढ़ी है।
- 2024-25 में वर्तमान निर्माण दिसंबर, 2024 तक 5,852 किमी है।
- 2023-24 के दौरान निर्माण 12,349 किलोमीटर तक पहुंच गया, जो दूसरा सबसे अधिक और पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। उच्चतम उपलब्धि 2020-21 में 13,327 किलोमीटर थी।
- 2023-24 के दौरान लेन वृद्धि अब तक की सबसे अधिक (9,642 किलोमीटर) है और यह पिछले वर्ष (2022-23 में 8,233 किलोमीटर) की तुलना में 17% अधिक है।
- एक्सप्रेसवे/पहुंच नियंत्रित राजमार्ग सहित 4लेन+ सड़कें अब तक की सबसे अधिक 5,193 किलोमीटर है और यह पिछले वर्ष (2022-23 में 4,635 किलोमीटर) की तुलना में 12% अधिक है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति 12.1 किमी/दिन (2014-15) से 2.8 गुना बढ़कर 33.8 किमी/दिन (2023-24) हो गई।
- 2024-25 के दौरान दिसंबर, 2024 तक वर्तमान 3,100 किमी का कार्य सौंपा गया है, जबकि 2023-24 में कुल 8,581 किमी का कार्यसौंपा गया था।
- 2014-24 की अवधि के दौरान कार्य सौंपने की औसत गति 11,017 किमी है।

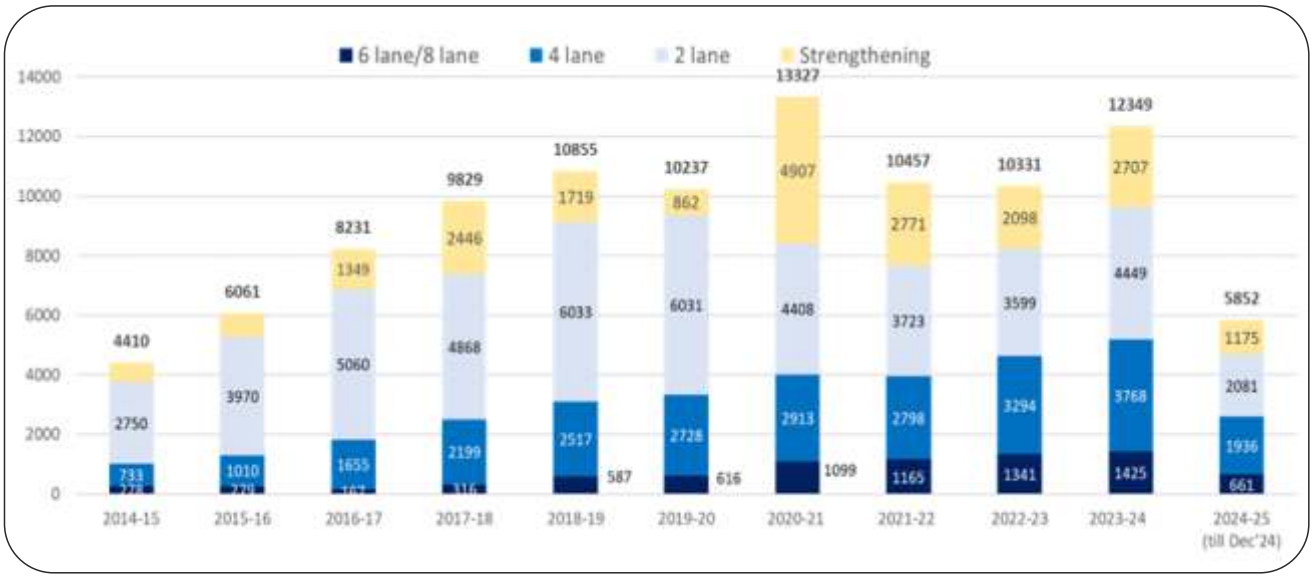

वर्ष-वार निर्माण

तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर/चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर/चटट्ानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए।

In hilly roads the rocks fall on road during landslides in extreme climates. This sign shows that the road ahead is prone to such falling of rocks and driver should drive carefully to avoid crash.

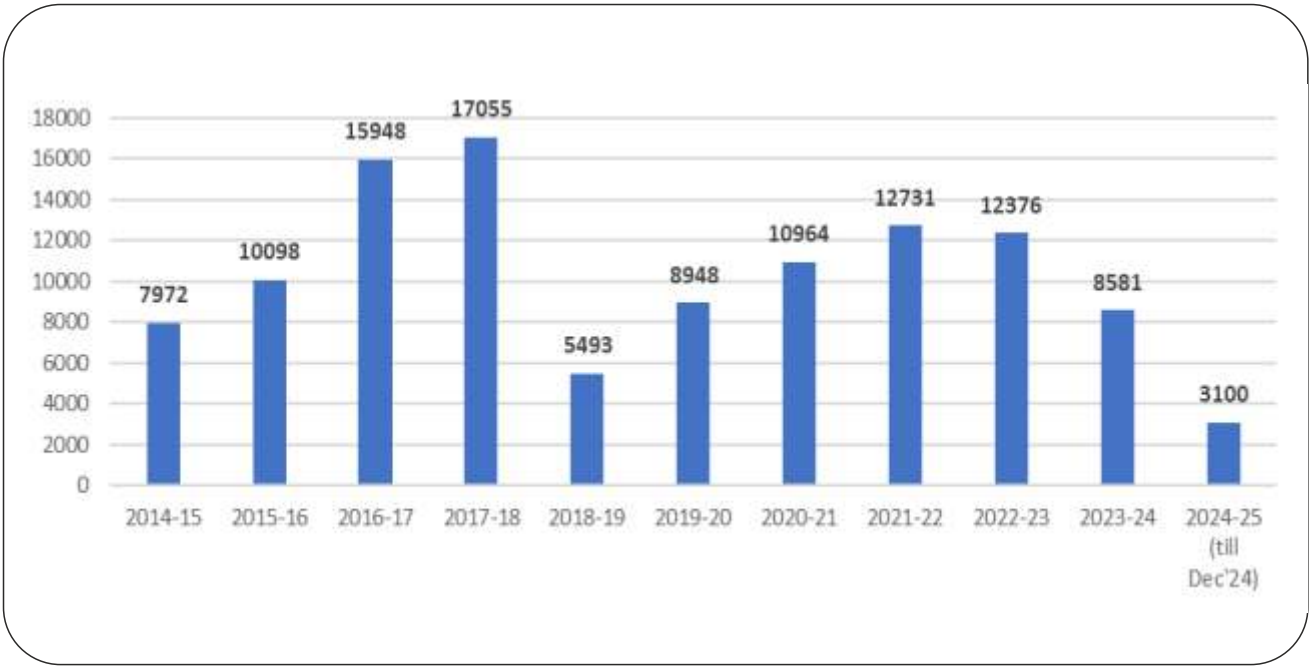

वर्ष-वार कार्य सौंपना

2.4 पूंजीगत व्यय में वृद्धि

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पूंजीगत व्यय (निजी निवेश सहित) 2013-14 में 53,000 करोड़ रुपये से 5.7 गुना बढ़कर 2023-24 में लगभग 3.01 लाख करोड़ रुपये (अब तक का सबसे अधिक) हो गया है।
- 2024-25 के लिए लक्ष्य पूंजीगत व्यय 3.3 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें से 31 दिसंबर, 2024 तक 2.14 लाख करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।
- 2024-25 के लिए 2,72,241 करोड़ रुपये के कुल बजटीय पूंजीगत परिव्यय में से मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2024 तक 2,25,051 करोड़ रुपये (82.67% उपयोग) का उपयोग किया है।

2.5 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए सीसीईए का अनुमोदन

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 50,655 करोड़ रुपये की लागत से देश भर में 936 किलोमीटर लंबी 08 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दे दी है। इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- 6-लेन आगरा - ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर।

यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं।
This sign indicates that the Hand Cart is prohibited on the demarcated road as it would hinder the flow of fast moving traffic.

- 4-लेन खड़गपुर - मोरग्राम राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर।
- 6-लेन थराद - डीसा - मेहसाणा - अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर।
- 4-लेन अयोध्या रिंग रोड।
- रायपुर-रांची राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर के पत्थलगांव और गुमला के बीच 4-लेन खंड।
- 6-लेन कानपुर रिंग रोड।
- 4-लेन उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का चौड़ीकरण/सुधार।
- पुणे के पास 8-लेन एलिवेटेड नासिक फाटा - खेड़ कॉरिडोर।

2.6 राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर)

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि उनकी यातायात योग्यता सुनिश्चित की जा सके।
- वर्तमान में, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल 1,46,195 किलोमीटर लंबाई में से लगभग 38,842 किलोमीटर लंबाई विकास के अधीन है, 55,448 किलोमीटर लंबाई डीएलपी/रियायत अवधि के अंतर्गत है और 29,030 किलोमीटर लंबाई रखरखाव के अधीन है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी)/अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से लगभग 25,000 किलोमीटर लंबाई में रखरखाव करने की योजना बनाई है, जिसमें से लगभग 19,000 किलोमीटर लंबाई में कार्य पहले ही स्वीकृत हो चुका है।

2.7 रोपवे

भारत सरकार ने अंतिम मील की संपर्कता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यात्रियों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'पर्वतमाला परियोजना' के तहत रोपवे के विकास के लिए पहल की है। पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा, भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक परिवहन साधन के रूप में भी रोपवे विकसित किए जा रहे हैं। मार्च 2023 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी गई थी जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोडोवलिया चौक तक निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, 4.93 किमी लंबाई की 3 रोपवे परियोजनाएं अर्थात् बिजली महादेव (हिमाचल प्रदेश), धोसी हिल (हरियाणा) और

महाकालेश्वर मंदिर (मध्य प्रदेश) सौंप दी गई हैं। 3.25 किमी लंबाई की 2 रोपवे परियोजनाएं अर्थात् संगम प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) और शंकराचार्य मंदिर (जम्मू और कश्मीर) के लिए अधिमान्य बोलीदाता को चिह्नित किया गया है और जनवरी, 2025 तक कार्य सौंपने की योजना है। टिकिटोरिया माता मंदिर (मध्य प्रदेश) परियोजना के लिए बोलियां प्राप्त हो गई हैं और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा 53.28 किमी लंबाई की 7 परियोजनाओं अर्थात् सोनप्रयाग-केदारनाथ (उत्तराखंड), गोविंद घाट-हेमकुंड साहिब जी (उत्तराखंड), कामाख्या मंदिर (असम), तवांग मठ-पी टी त्सो झील (अरुणाचल प्रदेश), काठगोदाम-हनुमान गढ़ी मंदिर, नैनीताल (उत्तराखंड), रामटेक गढ मंदिर (महाराष्ट्र) और ब्रह्मगिरि से अंजनेरी (महाराष्ट्र) के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

2.8 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी)

35 एमएमएलपी परियोजनाओं में से 15 साइटों को सौंपने के लिए प्राथमिकता दी गई है। अब तक जोगीघोपा, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु, नागपुर और जालना के लिए 6 एमएमएलपी का काम सौंप दिया गया है। एनएचआईडीसीएल द्वारा जोगीघोपा, असम में एमएमएलपी निर्माणाधीन है। 3 एमएमएलपी (अनंतपुर, पुणे और नासिक) के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं, जिन्हें 2024-25 के दौरान सौंपने की योजना है। अन्य 5 एमएमएलपी अर्थात् पटना, हैदराबाद, वाराणसी, जम्मू और कोयंबटूर को वित्त वर्ष 2025-26 में सौंपने का योजना है।

2.9 पत्तन संपर्कता सडक (पीसीआर) परियोजना

देश में चालू/कार्यान्वित सभी बंदरगाहों तक पर्याप्त अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, 108 पत्तन सडक संपर्कता परियोजनाओं में से अब तक 36 परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, जिनमें से 10 पूरी हो चुकी हैं। बोली/डीपीआर चरण में शेष 72 परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।

2.10 मार्गस्थ सुविधाएं (डब्ल्यूएसए)

वित्त वर्ष 2025-26 तक राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर कुल 700 से अधिक डब्ल्यूएसए के कार्य सौंपे जाने की योजना है, जिनमें से 455 डब्ल्यूएसए का कार्य पहले ही सौंपा जा चुका है, जिनमें से 160 साइटें (113 ब्राउनफील्ड और 47 ग्रीनफील्ड) वित्त वर्ष 2022-23 तक सौंपी गईं, 162 साइटें (37 ब्राउनफील्ड और 125 ग्रीनफील्ड) वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) में सौंपी गईं और 133 साइटें (111 ब्राउनफील्ड और 22 ग्रीनफील्ड) वित्त वर्ष 2024-25 में सौंपी गई हैं। 455 डब्ल्यूएसए में से 90 साइटें चालू हैं। इन डब्ल्यूएसए से निवेशकों, डेवलपर्स, ऑपरेटरों और खुदरा विक्रेताओं के लिए बड़े अवसर सृजित होंगे। सभी आगामी ग्रीनफील्ड पहुंच-नियंत्रित राजमार्ग परियोजनाओं में मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनिवार्य प्रावधान है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को इन स्थानों पर विकसित ग्रामीण हाटों में अपने विशिष्ट उत्पादों/हस्तशिल्प आदि का विपणन करने में मदद मिलेगी।

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़ें।
This sign directs driver not to turn towards right side in any circumstance.

2.11 जनोपयोगी गलियारा

मंत्रालय ने एक ब्राउनफील्ड और एक ग्रीनफील्ड पायलट परियोजना नामत:हैदराबाद-बेंगलुरु राष्ट्रीय गलियारा और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2 पायलट परियोजनाएं सौंपी हैं, जिनकी कुल लंबाई ~1,900 किलोमीटर है। इन गलियारों में ओएफसी बिछाने का काम प्रगति पर है।

2.12 इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस)

मंत्रालय ने देश में क्रमशः माल और यात्री आवागमन की दक्षता में सुधार करने के लिए इंटर मॉडल स्टेशन जैसे समर्पित बुनियादी ढांचे के विकास की भी योजना बनाई है, जो विभिन्न अंतरराज्यीय, अंतरशहरी, क्षेत्रीय और स्थानीय सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को इंटरफैस करने और जोड़ने के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। आईएमएस के विकास से कई सामाजिक-आर्थिक लाभ होंगे और यात्री अनुभव में सुधार, शहरी भीड़भाड़ को कम करने और शहर के केंद्रों के निर्माण के माध्यम से आर्थिक गतिविधि बढाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय की पायलट परियोजना के रूप में, कटरा और तिरुपति में 02 आईएमएस/डब्ल्यूएसए के विकास की योजना बना रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में आईएमएस कटरा का कार्य सौंपने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

2.13 परिसंपत्ति मुद्रीकरण: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से अब तक 1,10,441 करोड़ रुपये जुटाए हैं:

- टोल संचालन हस्तांतरण (टीओटी) मोड के माध्यम से 10 बंडलों में 2,312 किलोमीटर लंबाई में मुद्रीकरण के जरिए 42,334 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिनमें से 15,968 करोड़ रुपये 2023-24 के दौरान अर्जित किए गए हैं।
- 31 मार्च, 2024 तक एनएचएआई की इनविट लिस्टिंग के माध्यम से 1,524 किलोमीटर लंबाई के तीन बंडलों में 25,900 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिनमें से 15,700 करोड़ रुपये 2023-24 के दौरान जुटाए गए हैं।
- दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के परियोजना-आधारित वित्तपोषण के माध्यम से 42,207करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिसमें से 8,646 करोड़ रुपये 2023-24 के दौरान जुटाए गए हैं।
- मंत्रालय ने 2023-24 के दौरान परिसंपत्तिमुद्रीकरण मोड के तहत 40,314 करोड़ रुपये (अब तक का उच्चतम) जुटाए हैं।
- 2024-25 के दौरान, मंत्रालय ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण के विभिन्न तरीकों से 39,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से, टीओटी बंडल-16 (251 किमी) के लिए 6,661 करोड़ रुपये की राशि के रियायत समझौते पर नवंबर 2024 में हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े।
This sign indicates that left turn is prohibited.

वापस मुड़ना (यू-टर्न) मना है
U-Turn Prohibited

2.14 मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2021 से मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था। 31 दिसंबर, 2024 तक, बैंकों ने सामूहिक रूप से 10.30 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए हैं; ईटीसी के माध्यम से औसत दैनिक संग्रहण लगभग 192 करोड़ रुपये है, जो कुल शुल्क संग्रहण में लगभग 98.5% है। सभी लेन में ईटीसी अवसंरचना के साथ 1,051 राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग शुल्क प्लाजा चालू हैं।

2.15 मंत्रालय ने राजमार्ग अवसंरचना विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचना प्रक्रिया को डिजिटाइज़ करने के लिए भूमि राशि पोर्टल शुरू किया है। 01 अप्रैल, 2018 से सभी भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को पोर्टल पर संसाधित करना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत कुल 1,374 अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई हैं और दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से अधिनियम की धारा 3-डी के अंतर्गत लगभग 6,450.15 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

2.16 **ब्लैकस्पॉट में सुधार:** मंत्रालय ने 2024-25 तक सुधार के लिए 13,795 दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए हैं। इनमें से दिसंबर 2024 तक 4,777 ब्लैक स्पॉट को स्थायी उपायों के माध्यम से ठीक कर दिया गया है।

2.17 **वाहन स्क्रैपिंग नीति:** 19 राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों में 80 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) चालू किए गएऔर 13 राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों में 92 स्वचालित परीक्षण प्रणालियां (एटीएस) संचालित की गईं। दिसंबर, 2024 तक आरवीएसएफ में लगभग 1,56,700 वाहन स्क्रैप (71,400 निजी स्वामित्व वाले और लगभग 85,000 सरकारी स्वामित्व वाले) किए गए।

2.18 **सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर के लिए मानकों का संशोधन:** मंत्रालय ने साकानि 514 (अ), दिनांक 14 अगस्त, 2024 के तहत केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन किया है ताकि 1 अप्रैल, 2025 से श्रेणी एम, एन और एल 7 के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबली, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली संस्थापित करने के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान प्रदान किए जा सकें। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहन एआईएस-145-2018 के अनुसार सभी आगे वाली और पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

2.19 **सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नगदीरहित उपचार**– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और पुडुचेरी तथा असम, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदीरहित उपचार प्रदान करने के लिए पायलट कार्यक्रम लागू किए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा के लिए स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अनुसार पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक नगदीरहित उपचार का अधिकार है। इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र की शेष अवधि अर्थात् अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए 16 सितंबर, 2024 को 407.2 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ मंजूरी दी गई है।

सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों (इंटरसेक्शन) पर यह चिन्ह देखा जा सकता हैं। इन चौराहों पर वापस मुड़ने (यू–टर्न) से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन न करें।

This sign can be seen at some of the busy intersections on roads. The U-turn at these intersection could result in major crashes or traffic jams. The driver should not violate this sign to avoid fine and any untoward incident.

2.20 इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर)/ एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरएडी): ईडीएआर/आईआरएडी प्रणाली देश में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग, प्रबंधन, दावा प्रक्रिया और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार है। इस एप्लिकेशन को एनआईसी/एनआईसीएसआई द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में सीओईआरएस, आईआईटी, मद्रास द्वारा डेटा पर आवश्यक विश्लेषण किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के लाइव डेटा एंट्री के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एप्लिकेशन शुरू की गई है। इसे वाहन, सारथी, पीएम गतिशक्ति, एनएचएआई के डेटा लेक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के टीएमएस आदि जैसे राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसे ई-कोर्ट एप्लिकेशन, सीसीटीएनएस (23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा किया गया) के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है।

2.21 मंत्रालय ने अपने सभी संगठनों की भागीदारी से स्वच्छता पखवाड़ा (17 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2024) आयोजित किया। अभियान के दौरान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और उसकी एजेंसियों ने सफाई कार्यों के लिए 14,559 से ज़्यादा जगहों की पहचान की, जिनमें क्षेत्रीय कार्यालय, पीडी/पीआईयू कार्यालय, निर्माण शिविर, टोल प्लाज़ा, मार्गस्थ सुविधाएँ, बस स्टॉप, ढाबे, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड शामिल हैं। इसके अलावा, सभी एजेंसियों को राष्ट्रीय राजमार्ग को गड्ढों से मुक्त करने, अतिक्रमण हटाने और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की नालियों को साफ करने, स्ट्रीट लाइटिंग का ध्यान रखने और सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

2.22 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और अवरोधक-मुक्त टोलिंग अनुभव प्रदान करने के लिए, एनएचएआईद्वारा प्रोन्नत कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ने नई दिल्ली में 'भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण' पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला से उद्योग और वैश्विक विशेषज्ञों दोनों को भारत में जीएनएसएसतकनीक पर आधारित निर्बाध टोलिंग प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच उपलब्ध हुआ।

2.23 गोवा में रारा-166एस पर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से धारगल तक 6-लेन की पहुंच-नियंत्रित 7 किमी सड़क परियोजना का उद्घाटन।

माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने गोवा में रारा-166एस पर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से धारगल तक एलिवेटेड वायाडक्ट्स के साथ 1,183 करोड़ रुपये की लागत वाली 6-लेन की पहुंच-नियंत्रित 7 किमी सड़क परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस विकास से पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होने और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी।

2.24 ईपीसी परियोजनाओं के लिए एमसीए की अनुसूची-ज में छूट

अवसंरचना क्षेत्र में जारी नगदी की परेशानी के कारण, मंत्रालय को फील्ड अधिकारियों के साथ-साथ

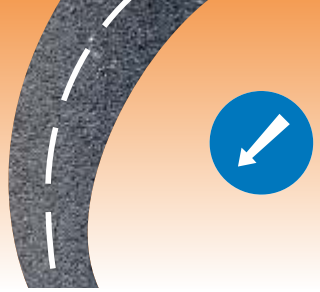

एनएचबीएफ से अनुसूची ज/छ में प्रदान की गई छूट जारी रखने का अनुरोध प्राप्त हुआ था, जैसा कि 4 मई, 2023 के परिपत्र कोविड-19/रोडमैप/जेएस(एच)/2020 द्वारा पहले प्रदान किया गया था। यह वांछनीय और अनिवार्य महसूस किया गया कि मंत्रालय द्वारा सभी भावी अनुबंधों के लिए अनुसूची ज/घ को स्थायी आधार पर संशोधित किया जा सकता है।

तदनुसार, मंत्रालय ने पत्र संख्या कोविड-19/रोडमैप/जेएस(एच)/2020,दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से राजमार्ग निर्माण क्षेत्र में जारी नगदी की परेशानी को कम करने के लिए सभी भावी/आगामी परियोजनाओं के लिए ईपीसी परियोजनाओं के लिए एमसीए की अनुसूची ज में संशोधन किया है।

2.25 संविदा के बीओटी (टोल) मोड के आदर्श रियायत करार (एमसीए) में बदलाव

मार्च 2024 में, मंत्रालय ने बीओटी (टोल) (4 से 6 लेन) पर क्षमता वृद्धि के लिए आदर्श रियायत करार (एमसीए) में संशोधन किया है। यह मुकदमेबाजी को कम करने और बीओटी (टोल) परियोजनाओं में अधिक बोलियों को आकर्षित करने के लिए किया गया था।

अब इसी तर्ज पर, मंत्रालय बीओटी (टोल) के एमसीए मे संशोधन की प्रक्रिया में है। इस संबंध में, सचिव (आरटीएंडएच) की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की 2 बैठकें हुई हैं। इससे बीओटी (टोल) परियोजना में संविदात्मक विवाद को कम करने में मदद मिलेगी और निजी क्षेत्र द्वारा निवेश में वृद्धि होगी।

2.26 राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिचालन को प्रभावित करने वाली भारी बारिश से उत्पन्न समस्याओं की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। मंत्रालय के साथ-साथ एनएचएआई के अधिकारी/कर्मचारियों को मानसून समाप्त होने तक रोटेशन के आधार पर इस उद्देश्य के लिए 24x7 तैनात किया गया था।

2.27 ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन

माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 28 सितंबर, 2024 को नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क (अमृत महोत्सव पार्क) का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन बर्ड पार्क (अमृत महोत्सव पार्क) नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जामथा के पास एनएचएआई द्वारा विकसित एक पर्यावरण-पहल है, जो कुल 8.23 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें 2.5 हेक्टेयर सामाजिक वानिकी के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित और प्राकृतिक आवास प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों के मनोरंजन के लिए एक हरित स्थान स्थापित करना था।

2.28 ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक

ब्रिक्स अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह के बीच सहयोग के लिए एक मंच है। परिवहन अर्थव्यवस्थाओं के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने का अवसर प्रदान करता है और साथ ही यह ब्रिक्स क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढाने के लिए

यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है, जहां बीच में विभाजक (डिवाइडर) नहीं होता और उसी सड़क पर दुतरफा यातायात प्रवाह रहता है।

This sign indicates that the driver should drive in left lane for smooth traffic flow. This sign is installed mainly on the roads which do not have divider in between and two way traffic flows on the same road.

आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला, सुरक्षित, पारदर्शी और लचीला बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है।

ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक 7 जून, 2024 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (एसपीआईईएफ) के अवसर पर आयोजित की गई थी। सचिव (आरटीएंडएच) के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया।

2.29 सड़क और कुशल परिवहन प्रणालियों पर रूसी-भारतीय कार्य समूह की बैठक

सड़क और कुशल परिवहन प्रणालियों पर रूसी-भारतीय कार्य समूह की दूसरी बैठक 24 सितंबर 2024 को मास्को, रूस में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और रूसी संघ के सड़क परिवहन के राज्य सचिव और उप मंत्री ने संयुक्त रूप से की। दोनों पक्षों ने सड़क और पुल निर्माण में प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को बेहतर बनाने के क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान-प्रदान और साझा करने को सुविधाजनक बनाने और इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा के तरीकों पर चर्चा की। राजमार्गों और परिवहन अवसंरचना से संबंधित कार्यक्रमों/परियोजनाओं में आपसी निवेश विकसित करने के अवसरों पर भी चर्चा की गई।

2.30 केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा (सड़क) की कैडर समीक्षा को अक्टूबर, 2024 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे इसकी संख्या 328 से बढ़कर 425 हो जाएगी।

2.31 मंत्रालयने भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए मुद्दों, समाधानों और अगले कदमों पर समग्र रूप से विचार-विमर्श करने के लिए भारत मंडपम में 6 जनवरी, 2025 और 7 जनवरी, 2025 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। 6 जनवरी को कार्यशाला का पहला दिन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन सचिवों के साथ आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता सचिव (आरटीएंडएच), श्री वी0 उमाशंकर ने की थी।

7 जनवरी को कार्यशाला सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय परिवहन मंत्रियों के साथ आयोजित की गई थीऔर इसकी अध्यक्षता माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने की थी, जहां 6 जनवरी की कार्यशाला के प्रमुख विचारों को आगे बढ़ाया गया और सड़क परिवहन क्षेत्र के केंद्र और राज्य सरकार के हितधारकों के बीच उन विचारो को रखा गया। दिन का समापन 42वीं परिवहन विकास परिषद (टीडीसी) की बैठक के साथ हुआ, जहां देश के परिवहन संगठनों (जैसे, एआईएमटीसी, बीओसीआई और अन्य) के सुझावों पर माननीय मंत्रियों और परिवहन सरकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

2.32 हमसफर नीति: राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा सुविधा को बढाने और मार्गस्थ सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए माननीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 8 अक्टूबर, 2024 को नई दिल्ली में हमसफर नीति का शुभारंभ किया।

2.33 सोनमर्ग सुरंग (जेड-मोड) का उद्घाटन: माननीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा 13 जनवरी, 2025 को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में रारा-01 पर 6.4 किमी लंबाई की सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। समुद्र तल से 8,650 फुट ऊंचाई पर स्थित इस सुरंग से श्रीनगर और सोनमर्ग मार्ग से लेह के बीच हर मौसम में संपर्कता बढेगी।

ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन

एक पेड़ मां के नाम

इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.

विजन 2047 की समीक्षा बैठक

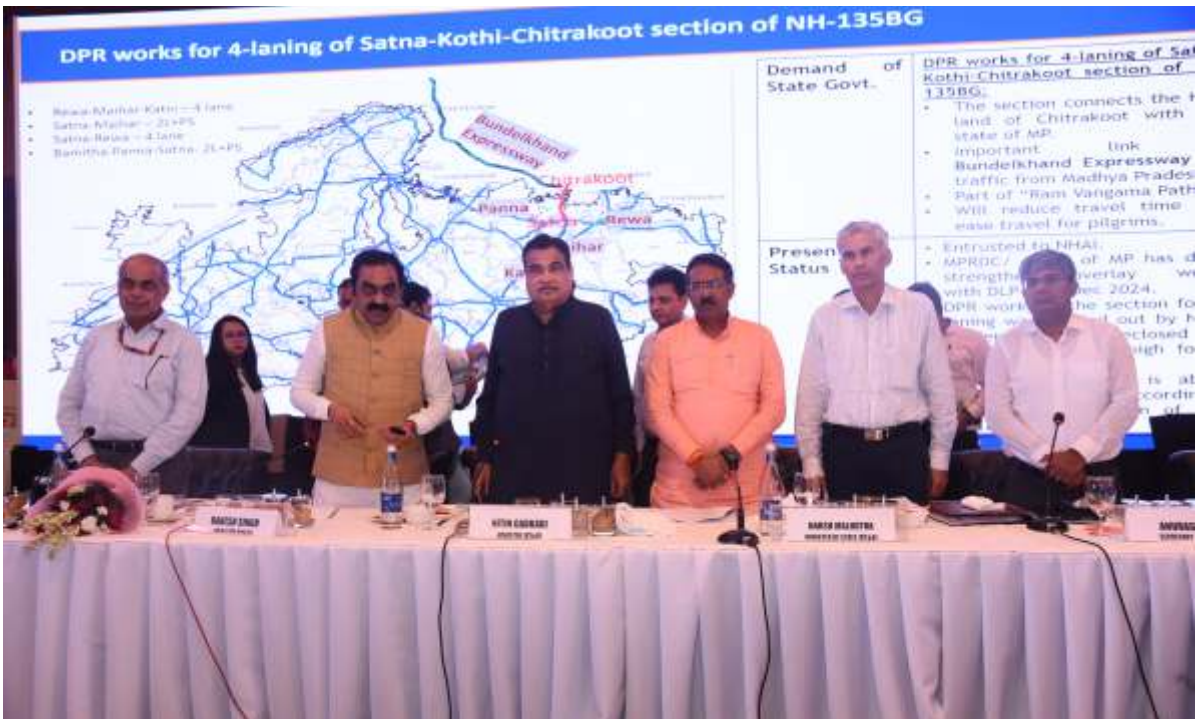

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा समीक्षा बैठक

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.

आगे चलकर दाएं मुड़ना
अनिवार्य (बाएं यदि संकेत विपरीत है)
Compulsory Turn Right Ahead
(Left if Symbol is
Reversed)

अध्याय III

सड़क विकास

3.1 इस मंत्रालय को साधारणत: सड़क परिवहन और राजमार्गों के विकास तथा विशेषत: राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के निर्माण और अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। राज्यों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर बाकी सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तथापि, यह मंत्रालय केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए निधि आवंटित करता है।

मंत्रालय, सड़कों और पुलों से संबंधित तकनीकी सूचना के आगार के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त देश में सड़कों और पुलों के मानकों और विनिर्देशों के निर्धारण के लिए भी उत्तरदायी है।

3.2 विज़न 2047

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयने राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक विज़न 2047 परिभाषित किया है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों और संबद्ध अवसंरचना के मास्टर प्लान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विज़न 2047 का लक्ष्य 5 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समानता, दक्षता और रणनीतिक संपर्कता प्रदान करना है:

1. सभी नागरिकों के लिए 100-150 किमी के भीतर हाई-स्पीड कॉरिडोर तक पहुंच
2. भारत को हाई-स्पीड कॉरिडोर सघनता के लिए जी20 में शीर्ष 10 देशों में शामिल करना
3. अल्प विकसित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों तक समान पहुंच
4. विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं के साथ यात्री सुविधा में सुधार
5. सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में लॉजिस्टिक्स लागत में कमी

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मास्टर प्लान उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

3.3 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,46,195 किमी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार सूची **परिशिष्ट – 2** में संलग्न है।

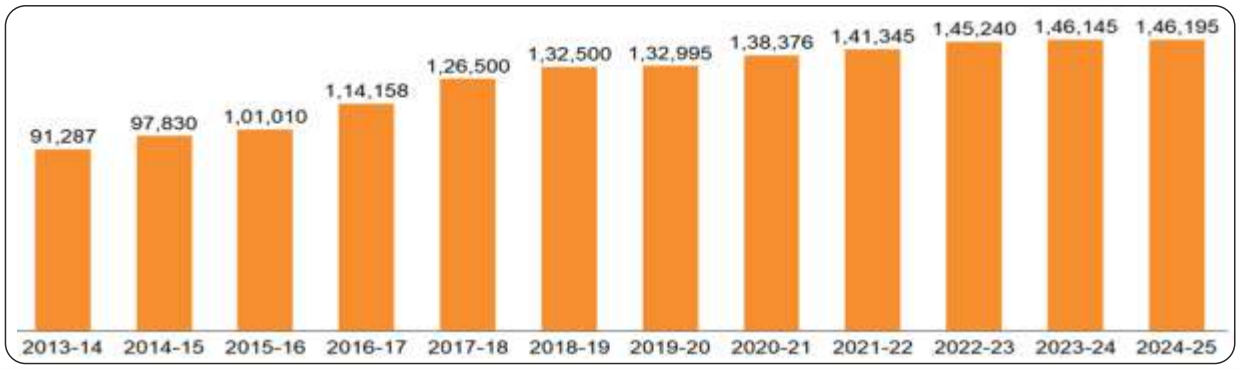

यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है।

This sign directs the driver to turn right only. Obeying this sign will lead to safety and hassle free drive.

3.4 राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

3.4.1 भारतमाला चरण-I [सम्मिलित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) सहित]

सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने दिनांक 16 जून, 2017 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान इस प्रस्ताव की सिफारिश की। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अक्टूबर, 2017 में भारतमाला चरण-1 को अनुमोदित किया।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अब तक 8,53,656 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत से कुल 26,425 किलोमीटर लंबाई को अनुमोदित किया गया है और कार्य सौंप दिए गए हैं (जिसमें एनएचडीपी की शेष 6,758 किलोमीटर लंबाई शामिल है)। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अब कोई और परियोजना नहीं शुरू की जा रही है।

31 दिसंबर, 2024 तक भारतमाला परियोजना के विभिन्न घटकों की स्थिति इस प्रकार है:

घटक	लंबाई (किमी में)	पूरी की गई कुल लंबाई (किमी में) 31.12.2024 तक
आर्थिक गलियारे	8,737	5,986
अंतर गलियारा सड़कें	2,889	2,108
फीडर सड़कें	973	540
राष्ट्रीय गलियारे	1,777	1,394
राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार	824	732
एक्सप्रेसवेज	2,422	1,791
सीमा सड़कें और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़कें	1,619	1,400
तटीय सड़कें	77	72
पत्तन संपर्क सड़कें	348	120
एनएचडीपी के तहत शेष सड़क कार्य	6,758	5,058
कुल-भारतमाला	**26,425**	**19,201**

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है।
This sign directs the traffic to either move straight or take right turn. Turning towards left is prohibited.

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सौपे गए कार्यों की मोड-वार स्थिति निम्नानुसार है:

कार्यान्वियन का मोड	सौंपे गए कार्य		
	लंबाई (किमी)	कुल पूंजीगत लागत (करोड़ रुपये)	% लंबाई
ईपीसी	14,748	4,06,024	55.81%
एचएएम	11,269	4,36,522	42.64%
बीओटी टोल	408	11,111	1.55%
कुल जोड	26,425	8,53,656	100%

3.4.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई)

31 दिसंबर, 2024 तक एसएआरडीपी-एनई के तहत किए गए कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

कुल लंबाई (किमी में)	पूरी की गई लंबाई (किमी में)
5,998 (मूल: 6,418)	5,714

3.4.3 विजयवाड़ा-रांची सड़क के विकास सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई)

31 दिसंबर, 2024 तक विजयवाड़ा-रांची सड़क के विकास सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) के तहत किए गए कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

कुल लंबाई (किमी में)	पूरी की गई लंबाई (किमी में)
6,014	5,780

3.4.4 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)

31 दिसंबर, 2024तक ईएपी [विश्व बैंक / जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) / एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण सहायता के साथ] के तहत किए गए कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

कुल लंबाई (किमी में)	पूरी की गई लंबाई (किमी में)
3,110	2,607

3.4.5 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल)

जो राष्ट्रीय राजमार्ग किसी भी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के तहत यातायात की आवश्यकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए प्राथमिकता दी जाती है तथा उपलब्ध बजट के भीतर परियोजना आधारित मूल्यांकन/अनुमोदन किया जाता है।

वर्तमान में देश में लगभग 9.80 लाख करोड़ रुपये की लागत से लगभग 37,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य चल रहा है, जिसमें से 31 दिसंबर, 2024 तक लगभग 15,000 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है।

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

3.5 वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रगति

कुल बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 के 2,76,351 करोड़ रुपये से 3% बढ़ाकर वित्त वर्ष 2024-25 में 2,84,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

2024-25 के दौरान आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का सारांश नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	योजना	2024-25 (करोड़ रु.)	
		आवंटन	व्यय*
	सेंट्रल सेक्टर रोड		
1	पूंजी	2,71,298	2,24,757
2	राजस्व	2,679	1,724
3	**कुल (सेंट्रल सेक्टर रोड)**	**2,73,977**	**2,26,480**
4	सीआरएफ (राज्य सड़कें)	9,030	5,845
5	राज्य की सड़कों के लिए ईआई और आईएससी – पूंजी	250	73
6	रोपवे	300	200
7	सड़क परिवहन	273	118
8	सचिवालय व्यय	170	127
9	**कुल (बजट)**	**2,84,000**	**2,32,843**
	अन्य संसाधन		
10	परियोजना आधारित वित्तपोषण		0$
11	इनविट		0$
12	निजी क्षेत्र निवेश		19,245

- व्यय 31.12.2024 तक

$- 31.12.2024 तक जुटाई गई धनराशि

3.6 राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण जैसे अभिनव वित्तपोषण में हुई प्रगति

टोल, संचालन और हस्तांतरण (टीओटी): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अगस्त, 2016 में विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) खंडों के मुद्रीकरण के लिए टीओटी मॉडल को अनुमोदित किया। टीओटी मोड के तहत अब तक 42,334 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई है। इसके अलावा, टीओटी बंडल-16 (251 किमी) के लिए 6,661 करोड़ रुपये की राशि के रियायत करार पर नवंबर 2024 में हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिसकी संभावित प्राप्ति फरवरी 2025 तक होगी।

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

अवसंरचना निवेश न्यास (इन्विट): इन्विट मोड के तहत अब तक 25,900 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई है। इसके अलावा, 844 किलोमीटर लंबाई में 12 खंडों के लिए इन्विट बंडल-4 शुरू किया गया है (20,000 करोड़ रुपये का अपेक्षित राजस्व), जिसके मार्च 2025 तक प्राप्त होने की संभावना है।

परियोजना आधारित वित्तपोषण: एनएचएआई ने परियोजना आधारित वित्तपोषण के माध्यम से भी सफलतापूर्वक निधि जुटायी है। परियोजना आधारित वित्तपोषण के तहत अब तक 42,207 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई है।

परियोजना-आधारित वित्तपोषण सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण के माध्यम से अब तक प्राप्त राशि का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

राशि करोड़ रु में

वर्ष	टीओटी	इनविट	परियोजना आधारित वित्तपोषण	कुल
2018-19	9,682			9,682
2019-20				-
2020-21	5,011		9,731	14,742
2021-22	1,011	7,350	14,006	22,367
2022-23	10,662	2,850	9,824	23,336
2023-24	15,968	15,700	8,646	40,314
कुल	**42,334**	**25,900**	**42,207**	**1,10,441**

3.7 एनएचएआई/एनएचएलएमएल को आवंटन

बजटीय संसाधनों के माध्यम से 2024-25 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक एनएचएआई/एनएचएलएमएल को लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित और जारी की गई है। एनएचएआई/एनएचएलएमएल ने 1.60 लाख करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय किया है। इसके अतिरिक्त, 2024-25 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक निजी निवेश के माध्यम से 19,245 करोड़ रुपये का व्यय भी किया गया है।

3.8 एनएचआईडीसीएल को आवंटन

बजटीय संसाधनों के माध्यम से 2024-25 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक एनएचआईडीसीएल को लगभग 15,718 करोड़ रुपये की राशि आवंटित और जारी की गई है, जिसमें से एनएचआईडीसीएल द्वारा लगभग 10,000 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

3.9 राज्य पीडब्ल्यूडी और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)

2024-25 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक राज्य पीडब्ल्यूडी/बीआरओ को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए 43,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से लगभग 26,400 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.

3.10 राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी कार्यों के लिए जनजातीय उप योजना (टीएसपी)

वर्ष 2011–12 से मंत्रालय जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत समर्पित निधियां निर्धारित करता आया है, जो वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) सड़क विकास योजना तक सीमित था। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-19 से जनजातीय क्षेत्रों के अंदर सीमित रारा परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) [एनएच (ओ)] योजना के अंतर्गत लाकर, मंत्रालय के टीएसपी घटक में काफी वृद्धि कर इसे कुल वार्षिक पूंजीगत बजटीय आवंटन के 4.3 प्रतिशत (बाह्य सहायता घटक के ऋण भाग और टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल वाले रारा की नीलामी से प्राप्त राजस्व के पुन: निवेश की राशि को छोड़कर) कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मंत्रालय के टीएसपी घटक के अंतर्गत निधियों के आवंटन और किए गए व्यय की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

राशि करोड़ रु में

वित्तीय वर्ष	टीएसपी के अंतर्गत परिव्यय	किया गया व्यय (31.12.2024 तक)
2024-25	16,300	13,012

3.11 राज्य सड़क क्षेत्र

मंत्रालय संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत राज्यीय सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निधियां आवंटित करता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, मंत्रालय ने 31 दिसंबर,2024 तक सीआरआईएफ (राज्य सड़क) योजना के अंतर्गत 9,030 करोड़ रुपये के समरूपी प्रोद्भवन को ध्यान में रखते हुए 5,845 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

वर्ष 2000-01 से 2024-25 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सड़कों के संबंध में प्रोद्भवन/आवंटन और जारी की गई निधि का सारांश **परिशिष्ट-3** में दिया गया है।

आर्थिक महत्व और अंतरराज्यीय संपर्कता की योजनाएं सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के अधिनियमन से पहले अस्तित्व में थीं, जहां आर्थिक महत्व और अंतरराज्यीय संपर्कता के सड़क कार्य को मंजूरी दी गई थी। इस योजना को केंद्रीय सड़क निधि (राज्य सड़क) नियम, 2014, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जा रहा था, जिसे 23 जून, 2016 और 18 दिसंबर, 2017 की अधिसूचनाओं द्वारा आगे संशोधित किया गया।

हालांकि, वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के अनुसार, केंद्र सरकार अब परियोजनाओं की मंजूरी और विशिष्ट परियोजनाओं और उन पर किए गए व्यय की निगरानी के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) और माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से "सीआरआईएफअधिनियम, 2000 के तहत राज्य सड़कों के विकास के लिए निधि के आवंटन के मानदंड" को अंतिम रूप दिया और इसे 31 जनवरी, 2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया और फिर अप्रैल, 2022 में संशोधनों के साथ जारी किया गया।

यद्यपि ईआई और आईएससी योजना 2021-22 से बंद कर दी गई है और इस योजना के तहत किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है, फिर भी योजना के तहत पहले से स्वीकृत कार्यों की लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए ईआई और आईएससी योजना के तहत आवंटन किया जा रहा है। 2024-25 के दौरान 31 दिसंबर, 2024 तक ईआई और आईएससी योजना के तहत 250 करोड़ रुपये के समरूपी परिव्यय को ध्यान में रखते हुए 72.56 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

3.12 एक्सप्रेसवे और पहुंच नियंत्रित गलियारों का विकास

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कुल 4,22,851 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से 9,860 किमी लंबाई के 27 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित कर रहा है। अंबाला-कोटपुतली कॉरिडोर को सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे (दिल्ली - लालसोट, झालावाड़ (राजस्थान) – म.प्र./गुजरात सीमा), अमृतसर - जामनगर कॉरिडोर (राजस्थान खंड), हैदराबाद - विशाखापत्तनम कॉरिडोर (सूर्यपेट - खम्मम खंड) और इंदौर - हैदराबाद कॉरिडोर (महाराष्ट्र खंड) के खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया है।

इसके अलावा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे (सवाईमाधोपुर-गरोठ,गोधरा-वडोदरा-अंकलेश्वर) खंड, यूईआर-II और दिल्ली-देहरादून गलियारा को मार्च, 2025 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

क. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का सारांश

प्रकार	गलियारों की संख्या	लंबाई (किमी)	कुल पूंजीगत लागत(करोड़ रुपये में)
एक्सप्रेसवे	5	2,489	1,68,488
पहुंच नियंत्रित	22	7,370	2,54,363
कुल	**27**	**9,860**	**4,22,851**

ख. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सूची

क्र.सं.	कॉरिडोर का नाम	लंबाई (किमी)	कुल पूंजीगत लागत (करोड़रुपये में)	पूरा करने का लक्ष्य वर्ष
1	दिल्ली – मुंबई एक्सप्रेसवे	1,386	1,03,636	वित्त वर्ष 24-25
2	अहमदाबाद - धोलेरा	109	4,372	वित्त वर्ष 24-25
3	बेंगलुरु – चेन्नई	262	17,356	वित्त वर्ष 24-25
4	दिल्ली – अमृतसर - कटरा	669	38,905	वित्त वर्ष 25-26
5	कानपुर - लखनऊएक्सप्रेसवे	63	4,219	वित्त वर्ष 25-26
कुल एक्सप्रेसवे		**2,489**	**1,68,488**	

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिगनल से प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते।

This sign on road indicates that this road is regulated by three-colour light signals, as driver may not expect such section of some roads.

ग. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे पहुंच नियंत्रित गलियारों की सूची

क्र.सं.	गलियारे का नाम	लंबाई (किमी)	कुल पूंजीगत लागत (करोड़रूपये में)	पूरा करने का लक्ष्य वर्ष
1	अम्बाला – कोटपूतली	313	11,375	पूरा हो गया
2	अमृतसर- भटिंडा - जामनगर	917	23,203	वित्त वर्ष 25-26
3	रायपुर – विशाखापत्तनम	465	17,273	वित्त वर्ष 24-25
4	हैदराबाद विशाखापत्तनम	222	6,104	वित्त वर्ष 24-25
5	यूईआर II	75	7,234	वित्त वर्ष 23-24
6	चेन्नई – सलेम	277	7,549	वित्त वर्ष 26-27
7	चित्तूर थाचुर	116	4,966	वित्त वर्ष 25-26
8	बैंगलोर रिंग रोड	280	11,367	वित्त वर्ष 26-27
9	दिल्ली – सहारनपुर - देहरादून	239	13,101	वित्त वर्ष 24-25
10	दुर्ग रायपुर आरंग	92	3,454	वित्त वर्ष 25-26
11	हैदराबाद – रायपुर	335	10,118	वित्त वर्ष 26-27
12	सूरत - नासिक - अहमदनगर - सोलापुर	730	24,812	वित्त वर्ष 26-27
13	सोलापुर - कुरनूल – चेन्नई	329	11,237	वित्त वर्ष 25-26
14	इंदौर – हैदराबाद	525	14,007	वित्त वर्ष 24-25
15	खड़गपुर – सिलीगुड़ी	231	10,247	वित्त वर्ष 26-27
16	कोटा इंदौर (गरोठ से उज्जैन)	135	2,695	वित्त वर्ष 24-25
17	नागपुर – विजयवाड़ा	401	12,745	वित्त वर्ष 25-26
18	थराद - डीसा - मेहसाणा -अहमदाबाद	214	10,534	वित्त वर्ष 26-27
19	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा एक्सप्रेस	342	14,195	वित्त वर्ष 25-26
20	वाराणसी – रांची - कोलकाता	612	23,200	वित्त वर्ष 26-27
21	कोटा – इटावा एक्सप्रेसवे	412	12,733	वित्त वर्ष 26-27
22	मोहाली - सरहिंद - खन्ना बाईपास - मलेरकोटला - बरनाला	108	2,214	वित्त वर्ष 26-27
	कुल पहुंच नियंत्रित	**7,370**	**2,54,643**	

यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घनाएं हो सकती है क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।

This sign indicates that there is great possibility of cattle straying on the road. Cattle on road can cause major crashes as animal reacts unpredictably in traffic. So drive carefully wherever you see this sign.

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2 अगस्त, 2024 को 50,655 करोड़ रुपये की लागत से 936 किलोमीटर लंबे 8 राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर के विकास को निम्नानुसार मंजूरी दे दी है:

क्र.सं.	गलियारा का नाम	राज्य	लंबाई	कुल पूंजीगत लागत (करोड़रुपये में)
1	आगरा – ग्वालियर	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश	88	4,613
2	खड़गपुर – मोरग्राम	पश्चिम बंगाल	231	10,247
3	थराद - दीसा - मेहसाणा - अहमदाबाद	गुजरात	214	10,534
4	अयोध्या रिंग रोड	उत्तर प्रदेश	68	3,935
5	रायपुर-रांची का पत्थलगांव - गुमला खंड	छत्तीसगढ़, झारखंड	137	4,473
6	कानपुर रिंग रोड	उत्तर प्रदेश	47	3,298
7	उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और एनएच 27 पर मौजूदा बाईपास का चौड़ीकरण/सुधार	असम	121	5,729
8	एलिवेटेड नासिक फाटा - खेड कॉरिडोर	महाराष्ट्र	30	7,827
कुल			**936**	**50,655**

3.13 परिसंपत्ति मुद्रीकरण

(i) **टीओटी मॉडल** - इस मॉडल के तहत, सार्वजनिक वित्त पोषण के माध्यम से निर्मित चयनित परिचालन राजमार्गों के संबंध में उपयोगकर्ता शुल्क (टोल) के संग्रहण का अधिकार सरकार/एनएचएआई को उद्धृत एकमुश्त राशि के अग्रिम भुगतान के बदले रियायतग्राही को 15-30 वर्षों की विशिष्ट अवधि के लिए बोली के परिणामस्वरूप किए गए रियायत समझौते के माध्यम से सौंपा जाता है। रियायत अवधि के दौरान, सड़क परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी रियायतग्राही की होती है।

इस मॉडल के तहत, एनएचएआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान चार टीओटी बंडल 11,12,13 और 14 का मुद्रीकरण करके 15,968 करोड़ रुपये अर्जित किए है, जो अब तक कुल 42,334 करोड़ रुपये है।

(ii) **इनविट मॉडल** - एनएचएआई ने सेबी इनविट विनियम, 2014 के तहत एक इनविट स्थापित किया है, जिसमें मुख्य निवेशकों (सीपीपीआईबी, ओटीपीपी आदि) के अलावा एनएचएआई की 16% हिस्सेदारी है। इनविट एक संयुक्त निवेश माध्यम है जो निवेशकों को यूनिट जारी करता है, जबकि न्यास के प्रबंधन के लिए तीन संस्थाएं - न्यासी, निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक होती हैं। तीनों संस्थाओं ने सेबी विनियमों के तहत भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित की हैं। दो राउंड (635 किमी) शुरू

यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

This sign cautions that there is a dip on road ahead. This sign helps driver to reduce the speed to cross the plunge on road.

करके उन्हें अंतिम रूप दिया गया था। इस मॉडल के तहत 2023-24 में 15,700 करोड़ रुपये का रियायत शुल्क यानी अब तक कुल 25,900 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं।

(iii) एसपीवी मॉडल के माध्यम से प्रतिभूतिकरण: विचाराधीन सड़क परिसंपत्तियों का बंडल बना करके और सड़क परिसंपत्तियों से भविष्य के उपयोगकर्ता शुल्क का प्रतिभूतिकरण करके एक एसपीवी/डीएमई (100% एनएचएआई के स्वामित्व) में बनाया गया है। एनएचएआई टोल संग्रहित करेगा, सड़क परिसंपत्तियों का रखरखाव करेगा और समय-समय पर एसपीवी स्तर पर ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए एसपीवी को पर्याप्त भुगतान हस्तांतरित करेगा। एनएचएआई द्वारा इस पद्धति (डीएमई-दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे) के माध्यम से 2023-24 में लगभग 8,646 करोड़ रुपये यानी अब तक कुल 42,207 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

3.14 राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर)

(i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि उनकी यातायात योग्यता सुनिश्चित की जा सके।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों का एम एंड आर, जहां विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/ संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) अनुबंध सौप दिए गए हैं, दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही/ठेकेदारों की जिम्मेदारी है। इसी तरह, टीओटी (टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर) और इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के तहत किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के लिए, एम एंड आर जिम्मेदारी रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही की है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के संबंध में कोई अलग रखरखाव व्यय दर्ज नहीं किया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी शेष खंडों के लिए, सरकार ने रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के एमएंडआर को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के एमएंडआर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा औसतन 6,000 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय किया गया है।

(iv) वर्तमान में, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल 1,46,195 किलोमीटर लंबाई में से लगभग 38,842 किलोमीटर लंबाई विकास के अधीन है, 55,448 किलोमीटर लंबाई डीएलपी/रियायती अवधि के अंतर्गत है और 29,030 किलोमीटर लंबाई रखरखाव के अधीन है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एसटीएमसी/पीबीएमसी मोड के माध्यम से लगभग 25,000 किलोमीटर लंबाई में रखरखाव करने की योजना बनाई है, जिसमें से लगभग 19,000 किमी लंबाई को पहलेही अनुमोदित कर दिया गया है।

कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है, जो यातायात को धीमा करने के लिए जान–बूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे।

Sometimes there is a hump on road intentionally created for slowing the traffic. This sign cautions the driver that he should reduce the speed to cross the hump comfortably.

अध्याय IV

लॉजिस्टिक्स और संबद्ध राजमार्ग अवसरंचना

4.1 मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी)

मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श की एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से अक्तूबर, 2021 में भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाले एमएमएलपी के लिए आदर्श रियायतग्राही समझौते (एमसीए) को अंतिम रूप दिया। यह दस्तावेज़ परियोजना के तहत अलग - अलग एमएमएलपी परियोजनाओं के लिए डेवलपर समझौते / रियायतग्राही समझौते के रूप में काम करेगा। एमसीए के अलावा, मंत्रालय ने नवंबर, 2021 में एमएमएलपी के विकास हेतु रियायतग्राही के चयन के आदर्श आरएफपी दस्तावेज को भी अंतिम रूप दिया और अनुमोदित किया।

भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का एक नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जिसमें कुल लगभग 46,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जो एक बार चालू होने पर लगभग 700 मिलियन मीट्रिक टन माल को संभालने में सक्षम होगा। इसमें से 15 प्राथमिकता वाले स्थानों पर लगभग 22,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश से एमएमएलपी विकसित किए जाएंगे।

ये मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विभिन्न औद्योगिक और कृषि नोड्स, उपभोक्ता केंद्रों और मल्टी-मॉडल संपर्कता वाले पत्तनों जैसे एग्जिम गेटवे के लिए क्षेत्रीय कार्गो एकत्रीकरण और वितरण केंद्र के रूप में काम करेंगे। कुछ मामलों में, पारंपरिक सड़क-आधारित आवाजाही की तुलना में बड़े पैमाने पर अंतर्देशीय कार्गो आवाजाही की लागत को और कम करने के लिए सागरमाला परियोजना के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनलों के साथ मिलकर भी एमएमएलपी विकसित किया जा रहा है।

4.1.1 एमएमएलपी जोगीघोपा (असम) उन्नत चरण में: सड़क, रेल और जल संपर्कता, क्षेत्र विकास जैसे साइट समतलन, सीमा कार्य, आंतरिक सड़क, प्रशासनिक भवन, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी आदि सहित विकास कार्यों का निष्पादन उन्नत चरण में है।

व्यापार केंद्र, कंटेनर यार्ड, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि जैसी लॉजिस्टिक सुविधाओं के निर्माण और उसके बाद के संचालन के लिए पीपीपी आधार पर डेवलपर का प्रबंध (रियायत अवधि: 45 वर्ष) प्रक्रिया में है।

परियोजना के पहले चरण की अनुमानित लागत 693.97 करोड़ है। परियोजना की आधारशिला अक्टूबर 2020 में माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। यह एमएमएलपी सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वितरण केंद्र के रूप में काम करेगा और बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा पार व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा।

4.1.2 सौंपे गए एमएमएलपी की स्थिति

क्र.सं.	एमएमएलपी	राज्य	स्थान	भूमि (क्षेत्रफल)	निवेश (करोड़ रु.)	मोड
1	जोगीघोपा	असम	जोगीघोपा	190	694	ईपीसी
2	चेन्नई	तमिलनाडु	मापेदु	181	1,423	पीपीपी
3	इंदौर	मध्य प्रदेश	पीथमपुर	255	1,111	पीपीपी
4	बैंगलोर	कर्नाटक	डब्बास्पेट	400	1,770	पीपीपी
5	नागपुर	महाराष्ट्र	सिंदी	150	673	पीपीपी
6	जालना	महाराष्ट्र	जालना	63	66	ईपीसी

पूरा होने पर ये परियोजनाएं कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी।

4.1.3 अनंतपुर, पुणे और नासिक में एमएमएलपी के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं और पटना, जम्मू, वाराणसी, कोयम्बटूर तथा हैदराबाद में एमएमएलपी के लिए व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

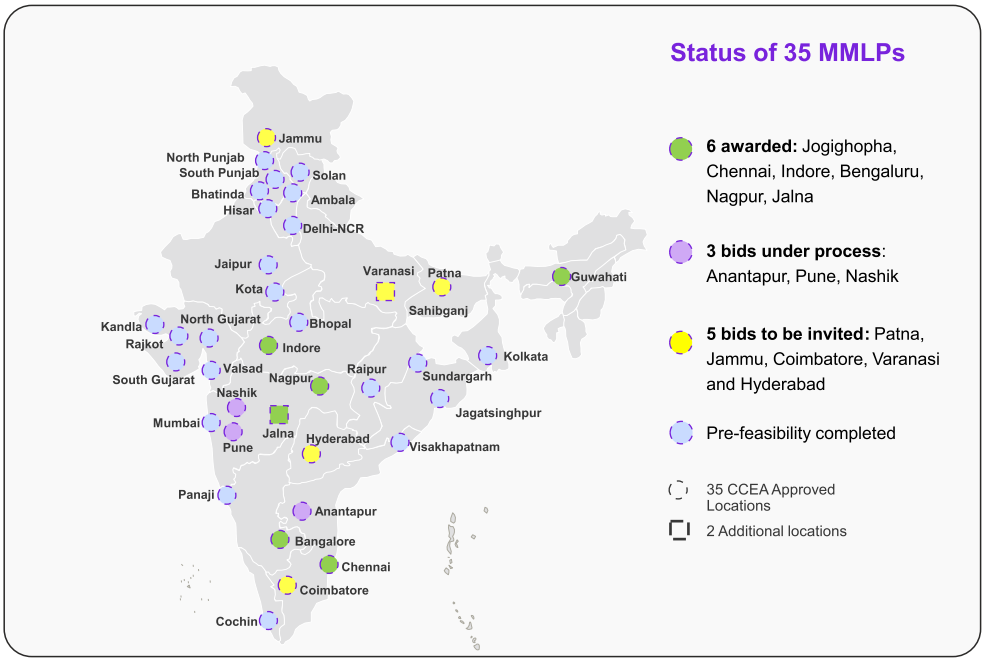

चित्र: एमएमएलपी की स्थिति

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बायीं ओर साइड सड़क हैं। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on left. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

4.2 पत्तन संपर्कता सड़क (पीसीआर) परियोजना

भारत की 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तटरेखा के किनारे 227 बंदरगाह (13 प्रमुख, 214 गैर-प्रमुख) हैं, जिनमें से 78 बंदरगाह चालू हैं (12 प्रमुख, 66 गैर-प्रमुख), 11 पत्तन (1 प्रमुख, 10 गैर-प्रमुख) कार्यान्वियन के अधीन हैं और अन्य 138 बंदरगाह वर्तमान में परिचालन में नहीं हैं। 89 चालू/कार्यान्वियन के अधीन बंदरगाहों में से 64 में पर्याप्त संपर्कता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3,700 किलोमीटर लंबाई की 108 पीसीआर परियोजनाओं के विकास की योजना बनाई है।

देश में सभी चालू/कार्यान्वियन किए जा रहे बंदरगाहों के लिए पर्याप्त अंतिम-मील संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के परामर्श से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक व्यापक पत्तन संपर्कता मास्टरप्लान विकसित किया गया था। मास्टरप्लान के हिस्से के रूप मेंसभी चालू और कार्यान्वियन किए जा रहे बंदरगाहों की संपर्कता आवश्यकताओं का आकलन किया गया और संपर्कता परियोजनाओं की पहचान की गई। लगभग 1,300 किलोमीटर लंबाई की 59 अतिरिक्त महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को अंततः कार्यान्वियन के लिए चुना गया।

ये परियोजनाएं भारत में सभी परिचालन/कार्यान्वियनाधीन पत्तन के लिए आवश्यक अंतिम-मील सड़क संपर्कता को बेहतर बनाने में मदद करेंगी, जिससे माल की निर्बाध आवाजाही के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सभी पत्तन संपर्कता परियोजनाओं के पूरा होने पर देश के सभी 89 परिचालन और कार्यान्वियनाधीन पत्तनों के लिए पर्याप्त संपर्कता होगी। वर्तमान में लगभग 313 किलोमीटर लंबाई वाली 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लगभग 1,754 किलोमीटर लंबाई वाली 26 परियोजनाएं कार्यान्वियन के अधीन हैं और शेष 72 परियोजनाओं (1,631 किलोमीटर) के लिए बोली प्रक्रिया/ डीपीआर प्रगति पर है।

4.3 मार्गस्थ सुविधाएं (डब्ल्यूएसए)

राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के आराम और सुविधा बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने पीपीपी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग प्रत्येक 40-60 किलोमीटर पर अत्याधुनिक मार्गस्थ सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) के विकास की योजना बनाई है। इन सुविधाओं का उद्देश्य राजमार्ग यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान आराम और जलपान के कई विकल्प उपलब्ध कराना है। प्रत्येक डब्ल्यूएसए में विकसित की जा रही कुछ अनिवार्य सुविधाओं में ईंधन स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन,फूड कोर्ट / रेस्तरां, ढाबे, सुविधा स्टोर, साफ और स्वच्छ शौचालय सुविधाएं, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा / चिकित्सा कक्ष जिसमें बाल देखभाल कक्ष, स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित क्षेत्र, कार/बस/ट्रक पार्किंग, ढाबे जैसी ट्रक सुविधाएं, शयनागार,ड्रोन लैंडिंग सुविधाएं/हेलीपैड इत्यादि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 तक राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर कुल 700 से अधिक डब्ल्यूएसए के कार्य सौंपे जाने की योजना है, जिनमें से 455 डब्ल्यूएसए का कार्य पहले ही सौंपा जा चुका है, जिनमें से 160 साइटें (113 ब्राउनफील्ड और 47 ग्रीनफील्ड) वित्त वर्ष 2022-23 तक सौंपी गईं, 162 साइटें (37 ब्राउनफील्ड और 125

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां दायीं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात को मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on right. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

ग्रीनफील्ड) वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) में सौंपी गईं और 133 साइटें (111 ब्राउनफील्ड और 22 ग्रीनफील्ड) वित्त वर्ष 2024-25 में सौंपी गई हैं। 455 डब्ल्यूएसए में से 90 साइटें चालू हैं। इन डब्ल्यूएसए से निवेशकों, डेवलपर्स, ऑपरेटरों और खुदरा विक्रेताओं के लिए बड़े अवसर सृजित होंगे। सभी आगामी ग्रीनफील्ड पहुंच-नियंत्रित राजमार्ग परियोजनाओं में मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनिवार्य प्रावधान है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को इन स्थानों पर विकसित ग्रामीण हाटों में अपने विशिष्ट उत्पादों/हस्तशिल्प आदि का विपणन करने में मदद मिलेगी।

4.4 रोपवे

केंद्रीय बजट 2022 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, मंत्रालय की पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों के लिए संपर्कता और सुविधा में सुधार और शहरी क्षेत्रों, जहां परिवहन का पारंपरिक साधन संतृप्त या व्यवहार्य नहीं है, में भीड़ कम करने के लिए देश भर में विकास कार्यक्रम - पर्वतमाला परियोजना है। इस कार्यक्रम के तहत, मंत्रालय ने भारत में लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए पहली और आखिरी मील संपर्कता प्रदान करने वाले सुरक्षित, किफायती, सुविधाजनक, कुशल, आत्मनिर्भर और विश्व स्तरीय रोपवे बुनियादी ढांचे के प्रावधान की परिकल्पना की है।

पर्वतमाला परियोजना के तहत, वित्त वर्ष 2024-25 तक ~60 किलोमीटर लंबाई की रोपवे परियोजनाओं को सौंपने की योजना है। इनमें से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 3.85 किलोमीटर के रोपवे निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, 4.93 किलोमीटर लंबाई की 03 रोपवे परियोजनाएं अर्थात् बिजली महादेव (हिमाचल प्रदेश), धोसी हिल (हरियाणा), महाकालेश्वर मंदिर (मध्य प्रदेश) सौंपी गई हैं। इसके अलावा 3.25 किलोमीटर की 2 परियोजनाएं अर्थात् संगम (उत्तर प्रदेश) और शंकराचार्य मंदिर (जम्मू और कश्मीर) के लिए अधिमान्य बोलीदाता को चिह्नित किया गया है। इसके अतिरिक्त टिकिटोरिया माता मंदिर (मध्य प्रदेश) परियोजना के लिए बोलियां प्राप्त कर ली गई हैं और मूल्यांकन चरण में हैं।

इसके अलावा, 53.28 किलोमीटर लंबाई की 7 परियोजनाओं अर्थात् सोनप्रयाग - केदारनाथ (उत्तराखंड), गोविंदघाट - हेमकुंड साहिब (उत्तराखंड), कामाख्या मंदिर (असम), तवांग मठ - पी टी त्सो झील (अरुणाचल प्रदेश), काठगोदाम - हनुमान गढ़ी मंदिर, नैनीताल (उत्तराखंड), रामटेक गढ मंदिर (महाराष्ट्र) और ब्रह्मगिरि से अंजनेरी (महाराष्ट्र) के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। 39 किलोमीटर लंबाई की अतिरिक्त 12 परियोजनाओं के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है। राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के समन्वय में पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4.5 जनोपयोगी गलियारा

भारत भर में मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में तेजी से विस्तार से 5जी और 6जी जैसे अगली पीढ़ी के

यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। आम तौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है।

This sign indicates that there is an eating place in the vicinity. This sign is common on highways and long stretches of road.

नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत अवसरों का पता लगाना और उनका पूरी तरह से उपयोग करना आवश्यक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) अवसंरचना भारत में इन अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की रीढ़ बनेगी और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पीएम गतिशक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान के सिद्धांतों के अनुरूप, मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल (डार्क फाइबर) संस्थापित करके देश में डिजिटल राजमार्गों के नेटवर्क के विकास की दिशा में काम कर रहा है। यह पहल मंत्रालय को पूरे देश में दूरदराज के स्थानों/दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। विकसित ओएफसीनेटवर्क दूरसंचार/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए एक सीधा प्लग-एंड-प्ले मॉडल या 'फाइबर-ऑन-डिमांड' मॉडल की अनुमति देगा और दूरसंचार कनेक्टिविटी में विस्तार और 5जीऔर 6जीजैसी नई पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकों को तेजी से लागू करने में सक्षम बनाएगा।

इस संबंध में, मंत्रालय ने हैदराबाद-बैंगलोर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे नामक एक ब्राउनफील्ड और एक ग्रीनफील्ड पायलट परियोजनाओं के साथ ओएफसी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2 पायलट परियोजनाएं सौंपी हैं, जिनकी कुल लंबाई ~1,900 किलोमीटर है। इन गलियारों में ओएफसी बिछाने का काम प्रगति पर है।

4.6 इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस)

इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस) की परिकल्पना एक विश्व स्तरीय यात्री आवागमन सुविधा के रूप में की गई है, जिसे एक ही सुविधा के भीतर विभिन्न इंटरसिटी, क्षेत्रीय और स्थानीय सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को जोड़ने और उन्हें आपस में जोड़ने के लिए एक केंद्र प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईएमएस एक एकीकृत सार्वजनिक परिवहन केंद्र है जो सतही परिवहन के कई साधनों के लिए है। इसके अतिरिक्त, आईएमएस लगातार बढ़ते यातायात विकास और परिवहन अवसंरचना की गंभीर कमी से उत्पन्न शहर की भीड़भाड़ की समस्या का समाधान करने में भी मदद करते हैं। इन स्टेशनों के विकास के दो स्पष्ट लाभ इस प्रकार हैं:

(i) **बेहतर यात्री सुविधा:** विभिन्न परिवहन साधनों के एक ही परिसर से संचालित होने के कारण पारगमन निर्बाध होता है। ये स्टेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी प्रदान करेंगे और व्यापक यात्री जनसांख्यिकी की जरूरतों को पूरा करेंगे।

(ii) **शहर की भीड़भाड़ को कम करना:** शहर में परिवहन नोड्स का एकत्रीकरण स्थानीय भीड़भाड़ की समस्या का समाधान कर सकता है। इसके अलावा, अगर ये हब राष्ट्रीय राजमार्गों या रिंग रोड के पास हैं, तो उनसे प्रभावी शहर निकासी उपलब्ध हो सकती है। पारगमन यात्रियों के कारण होने वाला ट्रैफ़िक काफी हद तक समाप्त हो जाता है।

4.7 ई-पहल

4.7.1 भूमिराशि पोर्टल: राजमार्ग अवसंरचना विकास परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के भुगतान में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचना प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए मंत्रालय ने भूमिराशि पोर्टल शुरू किया है। 1 अप्रैल, 2018 से सभी भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों की प्रक्रिया के लिए पोर्टल को अनिवार्य कर दिया गया है।

पोर्टल ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज और त्रुटि रहित बना दिया है। इसने अधिसूचनाओं के प्रकाशन की समय अवधि को बहुत कम कर दिया है और पूरी प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता लाई है।

भूमिराशि पोर्टल की मुख्य विशेषताएं हैं:

- सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल के लिए अलग-अलग कार्यप्रवाह प्रक्रिया।
- टेम्पलेट आधारित अधिसूचना तैयार करना और ई-गजट पोर्टल पर अपलोड करने के लिए वर्ड फ़ाइल का निर्माण।
- वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सुरक्षा और डेटा एन्क्रिप्शन।
- डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) आधारित अनुमोदन।
- ई-गजट पोर्टल से प्राप्त फ़ाइल को अपलोड करना।
- भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) और भूमि पक्षों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल का स्वतः निर्माण।
- पूर्ववर्ती डेटा का प्रावधान।
- अधिसूचना बनाने के लिए, उपयोगकर्ता को केवल गाँव/सर्वेक्षण संख्या/भूमि पक्षों का चयन करना होगा। अन्य सभी डेटा सिस्टम द्वारा तैयार किए जाएँगे।
- लाभार्थी को ऑनलाइन भुगतान।
- रिपोर्ट तैयार करना।

सार्वजनिक, वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से भूमिराशि पोर्टल के साथ मुआवजे के भुगतान को एकीकृत करके बैंक खातों में धन जमा न होने देने और भूमि/संपत्ति अधिग्रहित किए गए व्यक्तियों के खाते में पारदर्शी वास्तविक समय में धन जमा होना सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है। मंत्रालय की इस पहल के परिणामस्वरूप देश में सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिक मजबूत और कुशल हुआ है।

मंत्रालय ने भूमिराशि पोर्टल में नवीनतम अपडेट और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में नए विकास से क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचित कराने के लिए देश भर में कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत कुल 1,374 अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गई हैं और 1 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से अधिनियम की धारा 3-डी के अंतर्गत लगभग 6,450.15 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है।

4.7.2 ई-टोलिंग

शुल्क प्लाजा के माध्यम से यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और फास्टैग का उपयोग करके प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) केंद्रीय समाशोधन गृह (सीसीएच) है। सड़क प्रयोक्ताओं को फास्टैग जारी करने के लिए चालीस (40) बैंक (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों सहित) जारीकर्ता बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं और शुल्क प्लाजा पर लेनदेन को संसाधित करने के लिए बारह (12) अधिग्रहणकर्ता बैंक हैं।

मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2021 से मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। श्रेणी 'एम' का अर्थ है यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन। श्रेणी 'एन' का अर्थ है माल ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं। डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को और बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाजा के माध्यम से निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए, सरकार ने 15/16 फरवरी, 2021 की मध्यरात्रि से राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा की सभी लेन को "शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन" घोषित किया है।

31 दिसंबर, 2024 तक, सामूहिक रूप से बैंकों ने 10.30 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए हैं: ईटीसी के माध्यम से औसत दैनिक संग्रहण 192 करोड रुपए है और कुल शुल्क संग्रहण में इसकी व्याप्तता लगभग 98.5 प्रतिशत है। सभी लेन में ईटीसी अवसंरचना के साथ 1,051 राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा चालू हैं। राजमार्ग प्रयोक्ताओं द्वारा फास्टैग की निरंतर वृद्धि और इसे अपनाना बहुत उत्साहजनक है और इससे टोल संचालन में दक्षता बढ़ाने में मदद मिली है।

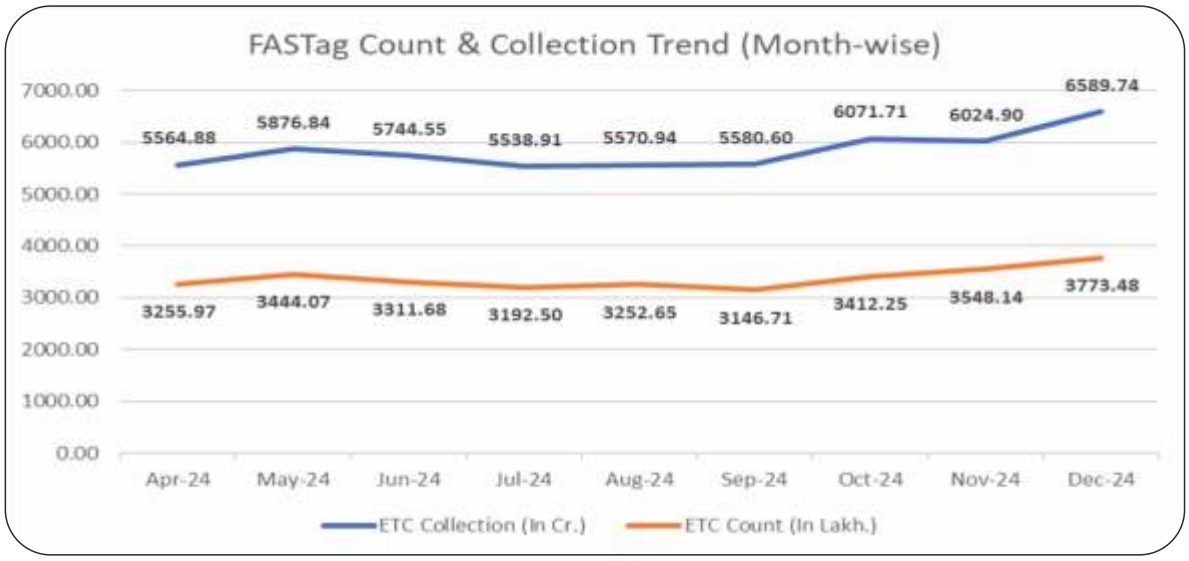

चित्र (क): मासिक ईटीसी लेनदेन गणना और संग्रहण

यह चिन्ह बस स्टॉप को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सभी बसें (सार्वजनिक परिवहन) इस स्थान पर रूकेंगी।
This sign indicates Bus Stop. It shows that all buses (public transport) will stop at this place.

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा हमसफर नीति का शुभारंभ

मार्गस्थ सुविधाएं

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

एनएचआईडीसीएल का 10वां स्थापना दिवस समारोह

इस चिन्ह का प्रयोग गोलचक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दायीं तरफ यातायात के दिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है।

This sign is used at roundabouts where a specific lane discipline is to be followed. This sign directs the traffic to give way to the fellow traffic on your right side.

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

एनएच-301 का कारगिल जांस्कर खंड

यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए, चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए।

This sign notifies that entry is prohibited for all vehicles. Certain pockets of an area or road are demarcated as 'no entry' areas for traffic. This could be entry to a restricted area or no-traffic zone. So the driver should obey it and divert his route.

सभी मोटर वाहनों
का आना मना है
All Motor
Vehicles Prohibited

अध्याय V

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5.1 मंत्रालय पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है और कुल बजट आवंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 16,125 किलोमीटर है और इनका विकास और रखरखाव चार एजेंसियों - राज्य पीडब्ल्यूडी, बीआरओ, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल द्वारा किया जा रहा है। कुल 16,125 किलोमीटर लंबाई में से लगभग 6,844 किलोमीटर एनएचआईडीसीएल के पास है, 6,787 किलोमीटर संबंधित राज्य सरकारों के पास है, 778 किलोमीटर एनएचएआई के पास है, 1,228 किलोमीटर बीआरओ के पास है और 488 किलोमीटर अभी सौंपा जाना बाकी है।

5.2 राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे देश के पूर्वोत्तर और सामरिक क्षेत्रों, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं, में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचना को तेजी से विकसित करने के उद्देश्य से 18 जुलाई, 2014 को शामिल किया गया था और सितंबर, 2014 से इसका संचालन शुरू हुआ।

5.3 सीआरआईएफ के तहत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 4,644 करोड़ रुपये की लागत से 147 कार्य प्रगति पर हैं।

5.4 आर्थिक महत्व और अंतरराज्यीय संपर्कता योजना (जिसे अब 2020 से सीआरआईएफ योजना के तहत शामिल कर लिया गया है) के तहत, 2020 से पहले स्वीकृत 368 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

5.5 राज्य पीडब्ल्यूडी के लिए 508 किलोमीटर की लंबाई में 5,322 करोड़ रुपये की लागत वाले 36 कार्य प्रगति पर हैं। एनएचएआई के लिए भारतमाला परियोजना के तहत 169 किलोमीटर की लंबाई में और 3,568 करोड़ रुपये की लागत वाले 3 कार्य प्रगति पर हैं। एनएचआईडीसीएल के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 3171 किलोमीटर की लंबाई में और 73,561 करोड़ रुपये की लागत वाले 151 कार्य प्रगति पर हैं।

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़–भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.

5.6 पूर्वोत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन/निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	कुल चालू परियोजनाएँ		
		परियोजनाओं की संख्या	लंबाई किलोमीटर में	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1	असम	53	978	34,777
2	अरुणाचल प्रदेश	19	354	4,215
3	मणिपुर	34	736	11,052
4	मेघालय	16	301	5,511
5	मिजोरम	14	436	8,019
6	नागालैंड	28	589	8,371
7	सिक्किम	13	197	4,019
8	त्रिपुरा	13	258	6,488
कुल		**190**	**3,848**	**82,452**

पूर्वोत्तर में कार्यों का राज्य-वार विवरण

5.7.1 अरुणाचल प्रदेश

राज्य पीडब्ल्यूडी:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 211 किलोमीटर की लंबाई और 1,392 करोड़ रुपये की लागत वाले 12 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

(ii) सीआरआईएफ के तहत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 2,060 करोड़ रुपये की लागत वाले 55 कार्य प्रगति पर हैं।

(iii) ईआई और आईएससी योजना के तहत 41 करोड़ रुपये की लागत वाले 2 कार्य प्रगति पर हैं।

एनएचआईडीसीएल:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 143 किलोमीटर की लंबाई और 2,823 करोड़ रुपये की लागत वाले 7 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

5.7.2 असम

राज्य पीडब्ल्यूडी:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 66 किलोमीटर की लंबाई और 1,801 करोड़ रुपये की लागत वाले 9 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।

As sign itself speaks the area designated is a no entry zone for Trucks or HMV. These could be narrow lanes or congested areas where entry of heavy transport vehicle could obstruct smooth flow of traffic.

(ii) सीआरआईएफ के तहत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 1,351 करोड़ रुपये की लागत वाले 18 कार्य प्रगति पर हैं।

एनएचआईडीसीएल:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 743 किलोमीटर की लंबाई और 29,408 करोड़ रुपये की लागत वाले 41 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

एनएचएआई:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 3,568 करोड़ रुपये की लागत वाले 3 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

5.7.3 मणिपुर

राज्य पीडब्ल्यूडी:

(i) सीआरआईएफ के तहत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 240 करोड़ रुपये की लागत वाले 13 कार्य प्रगति पर हैं।

एनएचआईडीसीएल:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 736 किलोमीटर की लंबाई और 11,052 करोड़ रुपये की लागत वाले 34 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

5.7.4 मेघालय

राज्य पीडब्ल्यूडी:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 49 किलोमीटर की लंबाई और 421 करोड़ रुपये की लागत वाले 4 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

(ii) सीआरआईएफ के तहत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 359 करोड़ रुपये की लागत वाले 24 कार्य प्रगति पर हैं।

एनएचआईडीसीएल:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 252 किलोमीटर की लंबाई और 5,090 करोड़ रुपये की लागत वाले 12 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

5.7.5 मिजोरम

राज्य पीडब्ल्यूडी:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 16 किलोमीटर की लंबाई और 129 करोड़ रुपये की लागत वाले 2 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

(ii) सीआरआईएफ के तहत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 236 करोड़ रुपये की लागत वाले 4 कार्य प्रगति पर हैं।

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ–ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

This sign indicates that the road has been prohibited for plying of Bullock & Hand Carts. These slow moving carts many a times hinder the smooth flow of traffic.

एनएचआईडीसीएल:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 420 किलोमीटर की लंबाई और 7,890 करोड़ रुपये की लागत वाले 12 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

5.7.6 नागालैंड

राज्य पीडब्ल्यूडी:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 116 किलोमीटर की लंबाई और 1113 करोड़ रुपये की लागत वाले 6 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

(ii) सीआरआईएफ के तहत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 272 करोड़ रुपये की लागत वाले 8 कार्य प्रगति पर हैं।

(iii) ईआई और आईएससी योजना के तहत 327 करोड़ रुपये की लागत वाले 8 कार्य प्रगति पर हैं।

एनएचआईडीसीएल:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 473 किलोमीटर की लंबाई और 7,257 करोड़ रुपये की लागत वाले 22 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

5.7.7 सिक्किम

राज्य पीडब्ल्यूडी:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 50 किलोमीटर की लंबाई और 467 करोड़ रुपये की लागत वाले 3 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

(ii) सीआरआईएफ के तहत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 110 करोड़ रुपये की लागत वाले 24 कार्य प्रगति पर हैं।

एनएचआईडीसीएल:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 147 किलोमीटर की लंबाई और 3,552 करोड़ रुपये की लागत वाले 10 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

5.7.8 त्रिपुरा

राज्य पीडब्ल्यूडी:

(i) सीआरआईएफ के तहत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 16 करोड़ रुपये की लागत वाला 1 कार्य प्रगति पर है।

एनएचआईडीसीएल:

(i) 31 दिसंबर, 2024 तक 258 किलोमीटर की लंबाई और 6,488 करोड़ रुपये की लागत वाले 13 विकास कार्य प्रगति पर हैं।

5.8 एनएचआईडीसीएल को सौंपी गई भारतमाला परियोजनाएँ

भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के तहत एनएचआईडीसीएल को 4,373 किलोमीटर सड़क का विकास करने का कार्य सौंपा गया था। अब तक एनएचआईडीसीएल को 66,001 करोड़ रुपये की लागत वाला 2,866 किलोमीटर सड़क का कार्य सौंपा गया है और इसके द्वारा 1,554 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा कर लिया गया है। सौंपे गए संघटक सीमा सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता सड़कें, आर्थिक गलियारा (एनईआर) और फीडर रूट- अंतर्देशीय जलमार्ग हैं:

क्र.सं.	गलियारे का प्रकार	कुल लंबाई (किमी में)
1	आर्थिक गलियारे	2,901
2	फीडर रूट	0
3	राष्ट्रीय गलियारे	0
4	सीमा संपर्कता सड़कें	567
5	अंतरराष्ट्रीय संपर्कता सड़कें	905
6	अंतर कॉरिडोर फीडर रूट	0
	भारतमाला कुल	**4,373**

5.9 एनएचआईडीसीएल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता स्थापित करना

नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लिए सीमा पार संपर्कता के निर्माण और इसकी वृद्धि में एनएचआईडीसीएल की महत्वपूर्ण भागीदारी है। इसने क्षेत्रीय व्यापार और संपर्कता में सुधार के उद्देश्य से कई परियोजनाएँ प्रारंभ की हैं।

5.9.1 बांग्लादेश से संपर्कता

त्रिपुरा: सबरूम के माध्यम से संपर्कता

एनएचआईडीसीएल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-08 पर फेनी ब्रिज सहित अगरतला-सबरूम खंड को पूरा कर लिया है; यह मार्ग बांग्लादेश में चटगाँव बंदरगाह के साथ एनईआर को जोड़ने की क्षमता रखता है। यह परियोजना वित्त वर्ष 2020-21 में पूरी हो गई है और जनता के लिए खुली है।

मेघालय: डालू और डॉकी के माध्यम से संपर्कता

क) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ओडीए ऋण(लोन) के तहत मेघालय राज्य में मौजूदा पुराने रारा-51 (नया रारा-217) के साथ तुरा से डालू रोड पर भारत और बांग्लादेश के बीच एक अन्य संपर्कता में सुधार किया जा रहा है और यह सड़क मार्च, 2025 तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी।

ख) जेआईसीए फंडिंग के तहत एनएचआईडीसीएल द्वारा रारा-40 पर शिलांग से डावकी रोड का निर्माण मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश के तमाबिल के साथ निर्बाध सीमा पार व्यापार संपर्कता प्रदान करेगा। परियोजना सड़क वित्त वर्ष 2025-26 तक जन-साधारण के लिए खोल दी जाएगी।

कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

Some times roads are intersected by the river without the provision of bridge. These roads are connected through ferry service. This sign indicates that there is a ferry service available to cross the river.

मिजोरम: के माध्यम से संपर्कता

रारा-302 के लुंगलेई-तलबंग खंड को दो पैकेजों में पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन में विकसित किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है और इसे दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

असम: सुत्तरखंडी के माध्यम से संपर्कता

एनएचआईडीसीएल द्वारा रारा-08 पर करीमगंज से सुत्तरकांडी रोड को 4-लेन कैरिजवे में विकसित किया जा रहा है, ताकि बांग्लादेश में सिलहट डिवीजन को एनईआर के दूसरे हिस्से से संपर्कता प्रदान की जा सके। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

5.9.2 म्यांमार संपर्कता

मणिपुर: मोरेह के माध्यम से संपर्कता

एनएचआईडीसीएल 2,216 करोड़ की कुल लागत से रारा-39 पर इम्फाल से मोरेह रोड और मोरेह बाईपास को 2/4-लेन बनाने का कार्य कर रहा है, जो एशियाई राजमार्ग(एएच)-02 का हिस्सा है। इससे भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को संपर्कता मिलेगी। यह परियोजना अंततः मार्च, 2025 तक पूर्ण हो जाएगी।

मिजोरम: लॉन्ग्टलाई के माध्यम से संपर्कता

एनएचआईडीसीएल द्वारा जेआईसीए ओडीए ऋण के तहत रारा-54 पर आइजोल-लॉन्ग्टलाई-तुईपांग खंड का पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार का कार्य शुरू किया जा रहा है, ताकि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना को संपर्कता प्रदान की जा सके, ताकि म्यांमार को एनईआर के अन्य हिस्से के साथ निर्बाध संपर्कता उपलब्ध कराई जा सके, जिसमें लॉन्ग्टलाई-म्यांमार सीमा खंड पहले ही पूर्ण हो चुका है। परियोजना अंततः मार्च, 2025 तक पूरी हो जाएगी।

नागालैंड: अवंगखु के माध्यम से संपर्कता

एनएचआईडीसीएल द्वारा रारा-202के के अकेगवो से अवंगखु खंड को 2-लेन में चौड़ीकरण के माध्यम से एनईआर के अन्य हिस्से नागालैंड होते हुए म्यांमार से जुड़ जाएंगे। वित्त वर्ष 2025-26 तक यह परियोजना सडक जन-साधारण के लिए खोल दी जाएगी।

5.9.3 नेपाल संपर्कता

पश्चिम बंगाल

भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल में काकभीटा और पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-327बी (एशियाई राजमार्ग-02) पर पानीटंकी को जोड़ने वाले मेची ब्रिज और उसके पहुंच मार्गों का निर्माण एडीबी-एसएएसईसी संपर्कता के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। एशियाई राजमार्ग 02 खंड की क्षमता के साथ मेल खाने और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा 586 मीटर मेची ब्रिज के अपस्ट्रीम पर 825 मीटर की पहुंच मार्ग के साथ मेची नदी पर नया 6 लेन बड़ा पुल (675 मीटर) बनाया गया है, क्योंकि मौजूदा पुल कुछ कमजोर है और धीमी गति से चलने वाले वाहनों और पैदल यात्रियों के अलावा वर्तमान तेज़ गति से चलने वाले/वाणिज्यिक यातायात को संभालने के लिए यह अपर्याप्त है। 1.5 किलोमीटर की यह परियोजना 5 सितंबर, 2020 को पूरी हो गई है।

तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर/चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर/चटट्ानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए।

In hilly roads the rocks fall on road during landslides in extreme climates. This sign shows that the road ahead is prone to such falling of rocks and driver should drive carefully to avoid crash.

5.10 वर्ष 2024-25 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सौंपी गई परियोजनाएँ

क्र.सं.	राज्य	01.04.2024 से 31.12.2024 तक सौंपी गई कुल परियोजनाएँ		
		परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किमी में)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1	अरुणाचल प्रदेश	15	325	4,367
2	असम	9	120	266
3	मणिपुर	0	0	0
4	मेघालय	2	63	1,241
5	मिजोरम	1	18	10
6	नागालैंड	0	0	0
7	सिक्किम	0	0	0
8	त्रिपुरा	0	0	0
	कुल	**27**	**526**	**5,884**

5.11 अरुणाचल प्रदेश में सीमांत राजमार्ग

- सीमावर्ती राजमार्ग(फ्रंटियर हाईवे) (रारा-913) भारत-तिब्बत-म्यांमार सीमा के साथ सामरिक महत्व की सड़क है जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों से आबादी का पलायन को रोकना है।
- फ्रंटियर हाईवे की कुल डिजाइन लंबाई 1,824 किलोमीटर है, इसमें से 271 किमी पर रक्षा मंत्रालय/सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से पहले ही कार्य शुरू किया जा चुका है।
- शेष 1,553 किलोमीटर लंबाई को 44 पैकेजों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत/सौंपा जा रहा है।
  - तीन एजेंसियों अर्थात राज्य पीडब्ल्यूडी, बीआरओ और एनएचआईडीसीएल द्वारा निष्पादित किया जाएगा
  - राज्य पीडब्ल्यूडी: 566 किलोमीटर (18 पैकेज) (बोमडिला-नफरा-लाडा-सरली-हुरी और मियाओ-खरसांग-विजयनगर)
  - बीआरओ: 414 किलोमीटर (11 पैकेज) (हुरी-तालिहा-टाटो और बाइल-मिगिंग)
  - एनएचआईडीसीएल: 573 किलोमीटर (15 पैकेज) (टुटिंग-जिदो-सिंघा-अनेली, इथुन पुल-हुनली-हयुलियांग, हवाई-मियाओ और पंगो-जोर्गिंग)

यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं।
This sign indicates that the Hand Cart is prohibited on the demarcated road as it would hinder the flow of fast moving traffic.

- स्वीकृति और सौंपे जाने की समग्र स्थिति निम्नानुसार है:
  - स्वीकृत: 36 पैकेज (1,280 किलोमीटर)
  - सौंपे गए: 6 पैकेज (239 किलोमीटर)
  - भूमि अर्जन(एल.ए.) आदि के कारण सौंपा जाना लंबित है : 1 पैकेज (47 किलोमीटर)
  - निविदा के अधीन : 22 पैकेज (756 किलोमीटर)
  - निविदा आमंत्रित की जाएगी : 7 पैकेज (239 किलोमीटर)
  - स्वीकृत किए जाने हैं : 8 पैकेज (272 किलोमीटर)

स्वीकृति और सौंपे जाने के संबंध में पैकेजों की संख्या का एजेंसी-वार विवरण निम्नानुसार है:

स्थिति	बीआरओ	राज्य पीडब्ल्यूडी	एनएचआईडीसीएल	कुल
स्वीकृत	10	18	8	36 पैकेज
स्वीकृत किए जाने हैं	1	0	7	8 पैकेज
सौंपे गए	0	0	6	6 पैकेज
सौंपा जाना लंबित	0	0	1	4 पैकेज
निविदा के अधीन	9	13	0	22 पैकेज
निविदा आमंत्रित की जाएगी	1	5	1	7 पैकेज

5.12 जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड (जेएलपीएल)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के माध्यम से असम के जोगीघोपा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित कर रही है। जोगीघोपा में प्रस्तावित एमएमएलपी भारत की लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार के लिए बनाए जा रहे 35 एमएमएलपी में से एक है। जोगीघोपा में एमएमएलपी को एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करेगी और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में घरेलू और साथ ही एक्सिम(ईएक्सआईएम) व्यापार को सुविधाजनक बनाएगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) प्रतिनिधित्व, एनएचआईडीसीएल और असम सरकार के बीच समझौता ज्ञापन में जोगीघोपा, असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए एक एसपीवी (क्रमशः 93.53%: 6.47% शेयरधारिता(शेयरहोल्डिंग) के गठन की परिकल्पना की गई थी। इस व्यवस्था के तहत, असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर दो चरणों में (चरण- I में 112 एकड़ और चरण- II में 88 एकड़) एक लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। इस एमएमएलपी के निष्पादन के लिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात् "जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड" को 26 फरवरी, 2021 को ₹ 50,000 की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसके अध्यक्ष असम सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के वरिष्ठतम सचिव और प्रबंध निदेशक ईडी (पी), आरओ-गुवाहाटी, एनएचआईडीसीएल

थे।

कार्यस्थल पर विकास कार्य शुरू करने के लिए, एनएचआईडीसीएल ने चरण-I में विकास के लिए कार्य शुरू किए थे जोकि एनएचआईडीसीएल द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में पूरे कर लिए गए हैं। आईडब्ल्यूएआई द्वारा किए गए कार्य के रूप में जोगीघोपा में आईडब्ल्यूटी (अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल) के विकास के अलावा, चरण-I को तीन पैकेजों में विभाजित किया गया है।

5.13 पर्वतमाला परियोजना

पर्वतमाला परियोजना के तहत, मंत्रालय ने भारत में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए चारों दिशाओं को संपर्कता प्रदान करने वाले सुरक्षित, किफायती, सुविधाजनक, कुशल, आत्मनिर्भर और विश्व स्तरीय रोपवे अवसंरचना के प्रावधान की परिकल्पना की है।

कामाख्या मंदिर (असम) और तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में परियोजनाओं के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन चल रहा है। राज्य सरकारों के समन्वय में पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए असम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.

सोनमर्ग (जेड मोड़) सुरंग

साइकिल–सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए, साइकिल–सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।

In order to ensure the safety of cyclists certain roads which are meant for fast moving vehicles are prohibited for cyclists. So the cyclists should not use the roads where this sign has been installed.

दाएं मुड़ना मना है
Right Turn Prohibited

अध्याय VI

सड़क परिवहन

6.1 सड़क परिवहन, यातायात हिस्सेदारी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान दोनों के संदर्भ में भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। माल और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के अलावा, सड़क परिवहन देश के सभी क्षेत्रों में समान सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश के सामाजिक और आर्थिक एकीकरण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आसान पहुंच, संचालन का लचीलापन, घर पहुंच सेवा और विश्वसनीयता के आधार पर परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में यात्री और माल यातायात दोनों में सड़क परिवहन को अधिक महत्व दिया गया है।

6.2 यह मंत्रालय पड़ोसी देशों से वाहन यातायात के लिए व्यवस्था करने/निगरानी करने के अलावा देश में सड़क परिवहन के विनियमन से संबंधित व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

6.3 मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति को शामिल करने वाले निम्नलिखित अधिनियम/नियम प्रशासित किये जा रहे हैं

- ❖ मोटर यान अधिनियम, 1988
- ❖ केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
- ❖ सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- ❖ सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007
- ❖ सड़क मार्ग से वहन नियम, 2011

6.4 ई-ट्रांसपोर्ट

परिवहन क्षेत्र के प्रबंधन और संचालन को आधुनिक बनाने के लिए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रमुख आईटी पहलों में से एक ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना है। एनआईसी की तकनीकी सहायता से विकसित यह व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, एक केंद्रीकृत, वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से सभी परिवहन-संबंधी सेवाओं को सक्षम बनाता है जो देश भर में संचालित होती है। इसने वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, कराधान, फिटनेस, परमिट और प्रवर्तन सहित विभिन्न परिवहन गतिविधियों के लिए सेवा वितरण तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। इस परियोजना ने संचालन को स्वचालित किया है और 200 से अधिक नागरिक/व्यापार-केंद्रित परिवहन सेवाओं को आधार प्रमाणीकरण, ईकेवाईसी, ईसाइन/डीएससी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन और जीपीएस लोकेशन कैप्चर जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाते हुए फेसलेस/संपर्क रहित मोड में बदल दिया है। इन फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ परिवहन प्रणाली में एक बड़ी उपलबब्धि है। ई-ट्रांसपोर्ट परियोजना में सरकार-से-सरकार (जी-जी), सरकार-से-व्यवसाय (जी-बी) और सरकार-से-नागरिक (जी-सी) सेवाओं

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़ें।
This sign directs driver not to turn towards right side in any circumstance.

की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिससे नागरिक, वाहन निर्माता, डीलर, ट्रांसपोर्टर, बैंक, बीमा कंपनियां, सुरक्षा एजेंसियां, प्रवर्तन एजेंसियां और साथ ही विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के विभाग और उनके एप्लीकेशन्स जैसे कई हितधारकों को लाभ होगा।

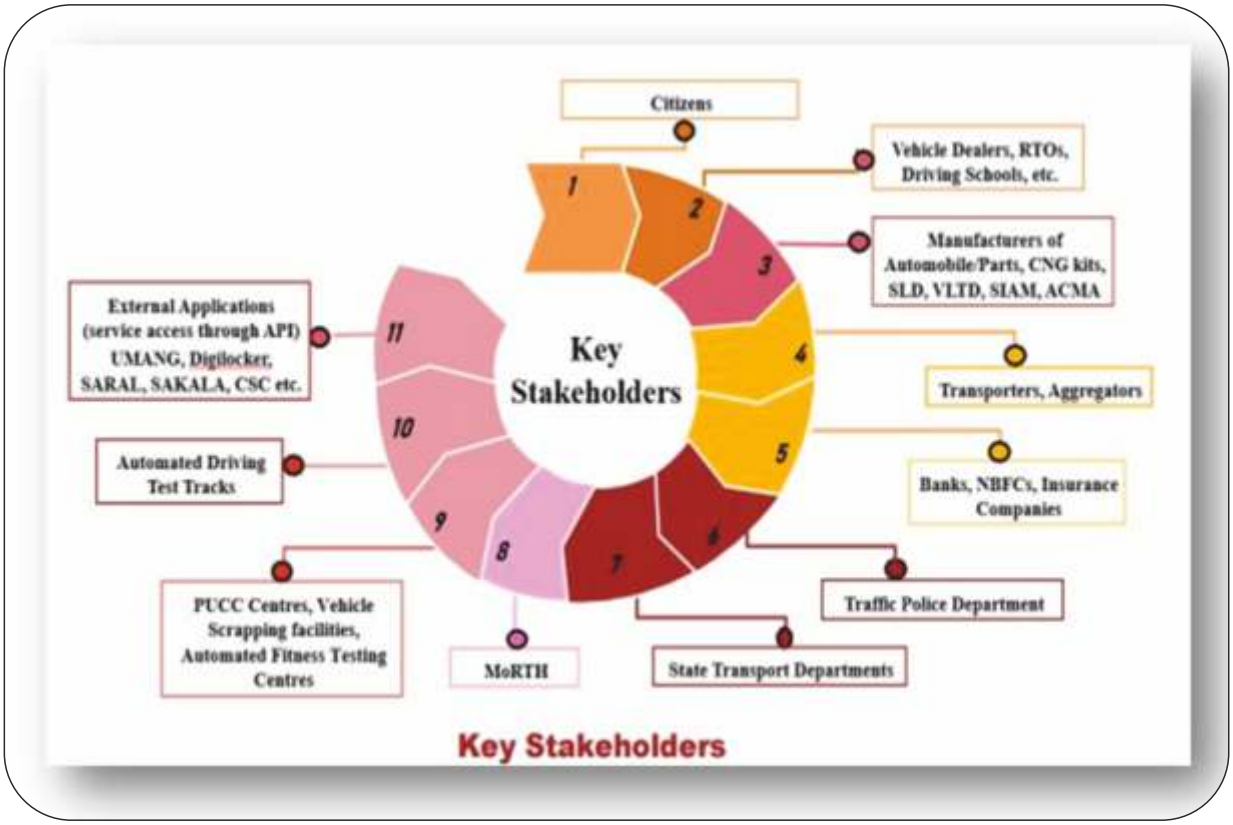

चित्र 1: ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के प्रमुख हितधारक

6.4.1 सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकास

ई-ट्रांसपोर्ट एमएमपी ऑनलाइन आरसी और डीएल से संबंधित सेवाओं के लिए मुख्य रूप से एक माध्यम से व्यापक सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है। इस परियोजना के तहत विकसित और कार्यान्वित किए गए अन्य प्रमुख एप्लीकेशन्स में ई-चालान (प्रवर्तन समाधान), पीयूसीसी (प्रदूषण अनुपालन प्रणाली), कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) के साथ ई-चालान का एकीकरण, अगली पीढी के (नेक्स्टजेन) एमपरिवहन (मोबाइल ऐप), ई-चालान मोबाइल एप्लिकेशन, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ), स्वचालित फिटनेस प्रबंधन प्रणाली (एएफएमएस), उन्नत रिपोर्टिंग-डैशबोर्ड और एनालिटिक्स पोर्टल आदि शामिल हैं। ई-ट्रांसपोर्ट पहल सेवा आपूर्ति को बढ़ाकर कई हितधारकों को सशक्त बनाती है।

परियोजना पूरे वाहन जीवन चक्र को एकीकृत करती है - जिसमें विनिर्माण, बिक्री, पंजीकरण, बीमा, वित्तपोषण, परीक्षण और फिटनेस, और स्क्रैपिंग शामिल हैं। डेटा और सेवाओं को वाहन निर्माताओं, डीलरों, बैंकों, फास्टैग, ईवे बिल, स्मार्ट सिटीज, प्रदूषण जांच केंद्र, फिटनेस सेंटर, ड्राइविंग स्कूल, जीएसटी, और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों (नेटग्रिड, एनसीआरबी, सीसीटीएनएस) जैसे संबद्ध क्षेत्रों के हितधारकों के साथ जोड़ा गया है।

इन एकीकरणों से आगे बढ़ते हुए निरंतर डेटा/सेवा विनिमयन, परियोजना को बड़ी मात्रा में डेटा प्रदान करता है, जिसका विश्लेषण अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने/निगरानी के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि हेतु किया जाता है। इसके अलावा, इससे आगामी प्रचलनों और परिदृश्यों के अनुकूल होने और सर्वोत्तम तरीके के साथ उपलब्धि के लिए आवश्यक तैयारी होती है।

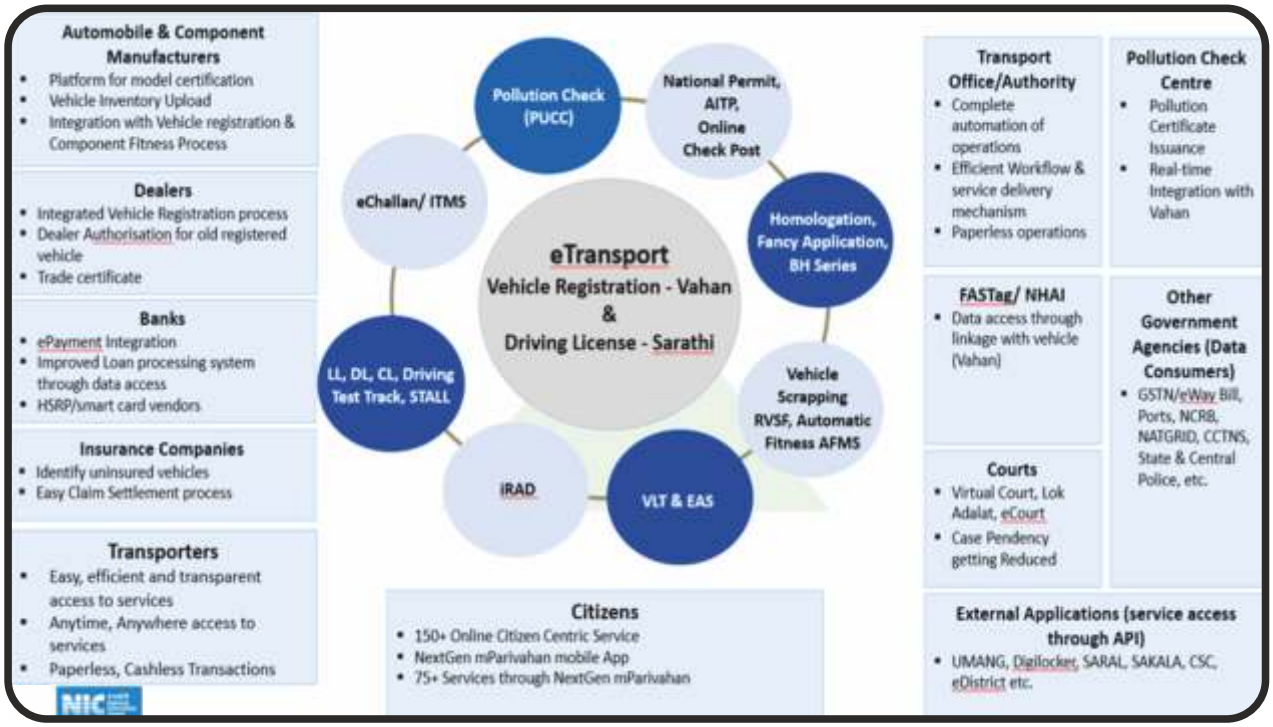

चित्र 2: ई-ट्रांसपोर्ट पारिस्थितिकी तंत्र

6.4.2 एमवाहन

एमवाहन को भारत के आरटीओ में विभागीय अधिकारियों और डीलरों जैसे आंतरिक हितधारकों के लिए एक सुविधाजनक मोबाइल समाधान के रूप में डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान में एंड्रॉइड प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध, यह वाहन निरीक्षण और फिटनेस प्रक्रियाओं को स्वचालित करने सहित विभिन्न वाहन सेवाओं को सुव्यवस्थित करता है। ऐप वाहन पंजीकरण के दौरान डीलरों और आरटीओ द्वारा निर्बाध दस्तावेज़ अपलोड की सुविधा भी देता है, जिससे दक्षता बढ़ती है और कागजी कार्रवाई कम होती है। इसके अतिरिक्त, एमवाहन पते में बदलाव के लिए अनुरोधों को संसाधित करने जैसी सेवाओं में सहायता करता है, जिससे

सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों (इंटरसेक्शन) पर यह चिन्ह देखा जा सकता हैं। इन चौराहों पर वापस मुड़ने (यू–टर्न) से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन न करें।

This sign can be seen at some of the busy intersections on roads. The U-turn at these intersection could result in major crashes or traffic jams. The driver should not violate this sign to avoid fine and any untoward incident.

परिवहन क्षेत्र के भीतर प्रशासनिक कार्यों को और सरल बनाया जाता है। यह डिजिटल पहल शासन को आधुनिक बनाने और अभिनव मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवा आपूर्ति बढाने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

6.4.3 कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) के साथ ई-चालान का एकीकरण

ई-चालान या इलेक्ट्रॉनिक चालान, एक "एक राष्ट्र एक चालान" ट्रैफ़िक प्रवर्तन समाधान है, जिसमें एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल ऐप और एक वेब इंटरफ़ेस शामिल है। इसे परिवहन प्रवर्तन अधिकारियों और यातायात पुलिसकर्मियों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है और आज तक 33 राज्यों में लागू किया गया है। समाधान में पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों जैसे सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,राज्य विभाग, पुलिस, नागरिक, न्यायालय आदि के लिए डिजिटल इंटरफेस हैं। यह एप्लिकेशन वाहन और सारथी एप्लिकेशन के साथ एकीकृत है और यातायात प्रवर्तन प्रणाली की सभी प्रमुख कार्यक्षमताओं को कवर करते हुए उपयोगकर्ता-अनुकूल कई सुविधाएँ प्रदान करता है।

एसआईएएम के सीईओ प्रतिनिधिमंडल की माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) के साथ बैठक

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

This sign directs the traffic to either move straight or take left turn. Turning towards right is prohibited. Violation of these sign may jeopardize your safety and may also lead to penal action.

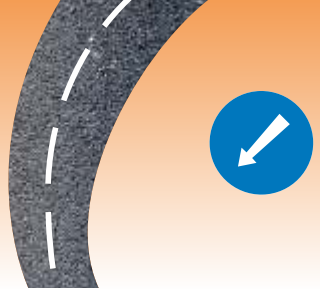

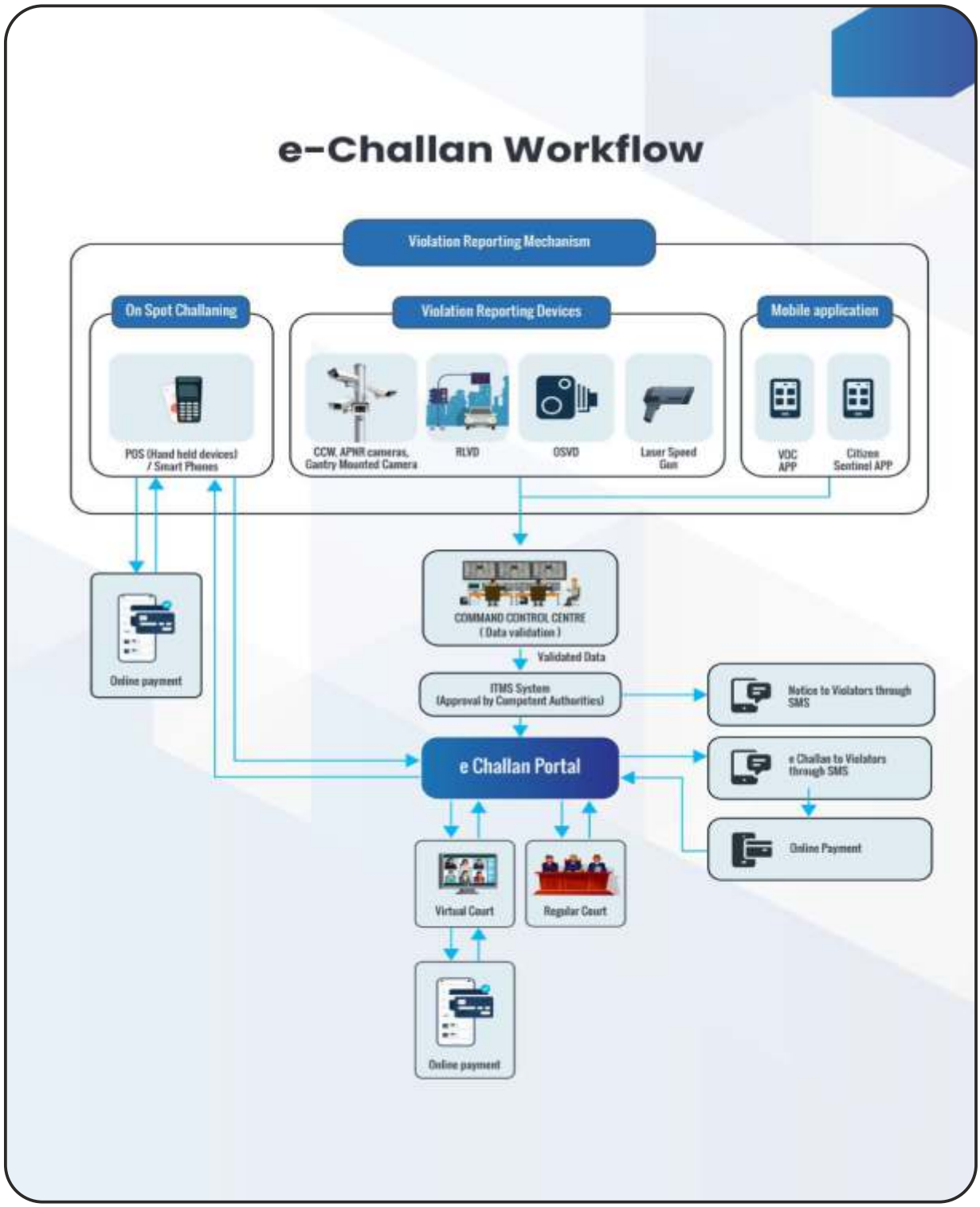

चित्र 3 : ई-चालान एप्लीकेशन कार्यप्रवाह

यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है, जहां बीच में विभाजक (डिवाइडर) नहीं होता और उसी सड़क पर दुतरफा यातायात प्रवाह रहता है।

This sign indicates that the driver should drive in left lane for smooth traffic flow. This sign is installed mainly on the roads which do not have divider in between and two way traffic flows on the same road.

यातायात प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, ई-चालान को कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें क्लोज्ड-सर्किट टेलीविज़न (सीसीटीवी) और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे, स्पीड गन, अति गति उल्लंघन पहचान (ओएसवीडी) और लाल बत्ती उल्लंघन पहचान (आरएलवीडी) जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है। यातायात उल्लंघनों की प्रभावी निगरानी के लिए इन तकनीकों को रणनीतिक रूप से संस्थापित किया गया है। इस प्रणाली द्वारा कैप्चर किए गए डेटा से एसएमएस सूचनाओं के माध्यम से ई-चालान और नोटिस जारी करने में आसानी होती है। सुव्यवस्थित प्रक्रिया यातायात प्रवर्तन सटीकता को बढ़ाती है और नागरिकों के उल्लंघनों का समाधान करने और उन्हें निपटाने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल साधन प्रदान करती है। आईटीएमएस का एकीकरण अभासी न्यायालय (वर्चुअल कोर्ट) के साथ एकीकृत किया गया है ताकि एंड-टू-एंड ऑनलाइन मामला निपटाने को सक्षम किया जा सके। इस एकीकृत प्रणाली को 23 राज्यों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

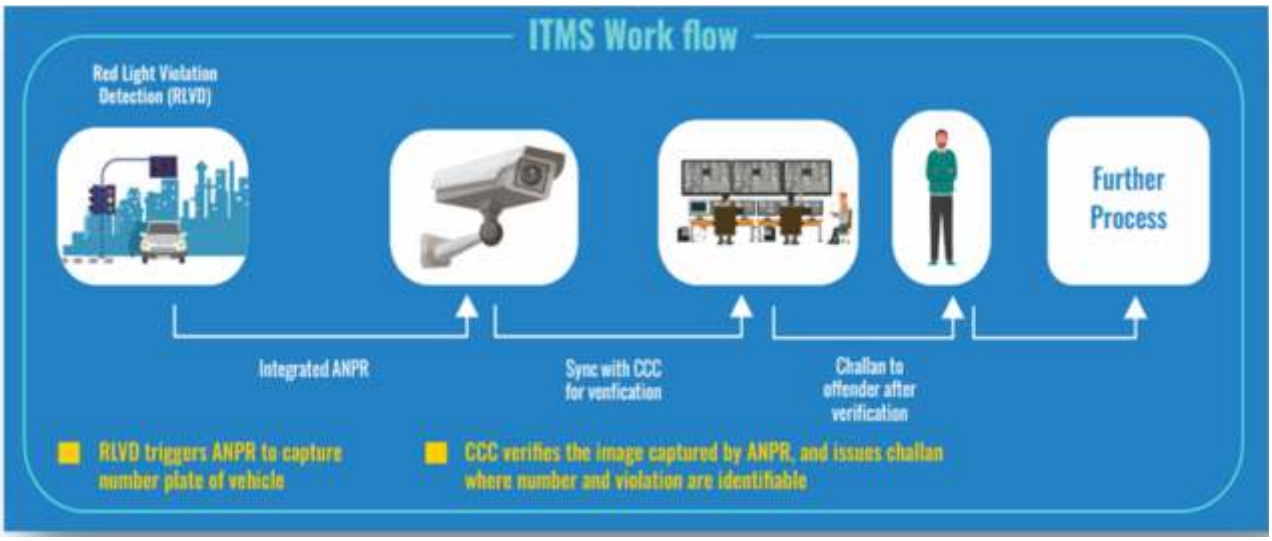

चित्र 4: आईटीएमएस कार्य प्रवाह

6.4.4 वीएलटीएस कमांड एवं कंट्रोल सेंटर समाधान

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश भर में कार्यान्वयन के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग और आपातकालीन चेतावनी प्रणाली (वीएलटीईएस) की कल्पना की गई है। मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित पूरी प्रणाली एआईएस-140 विनिर्देश पर आधारित है जो सार्वजनिक सेवा वाहनों में अनुमोदित ट्रैकिंग उपकरणों के फिटमेंट की प्रक्रिया को परिभाषित करती है और राज्य स्तर पर वीएलटीएस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (सीएंडसीसी) की स्थापना करती है। इसके लिए योजना के दिशानिर्देश निर्भया रूपरेखा के तहत 15 जनवरी, 2020 को जारी किए गए थे।

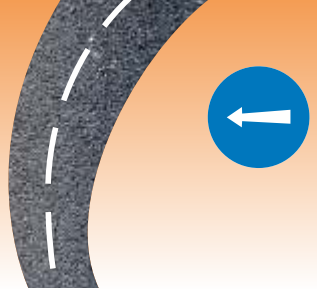

बाएं मुड़ना अनिवार्य
(दाएं यदि संकेत विपरीत है)
Compulsory Turn
Left (Right if Symbol
is Reversed)

मुख्य विशेषताएँ:

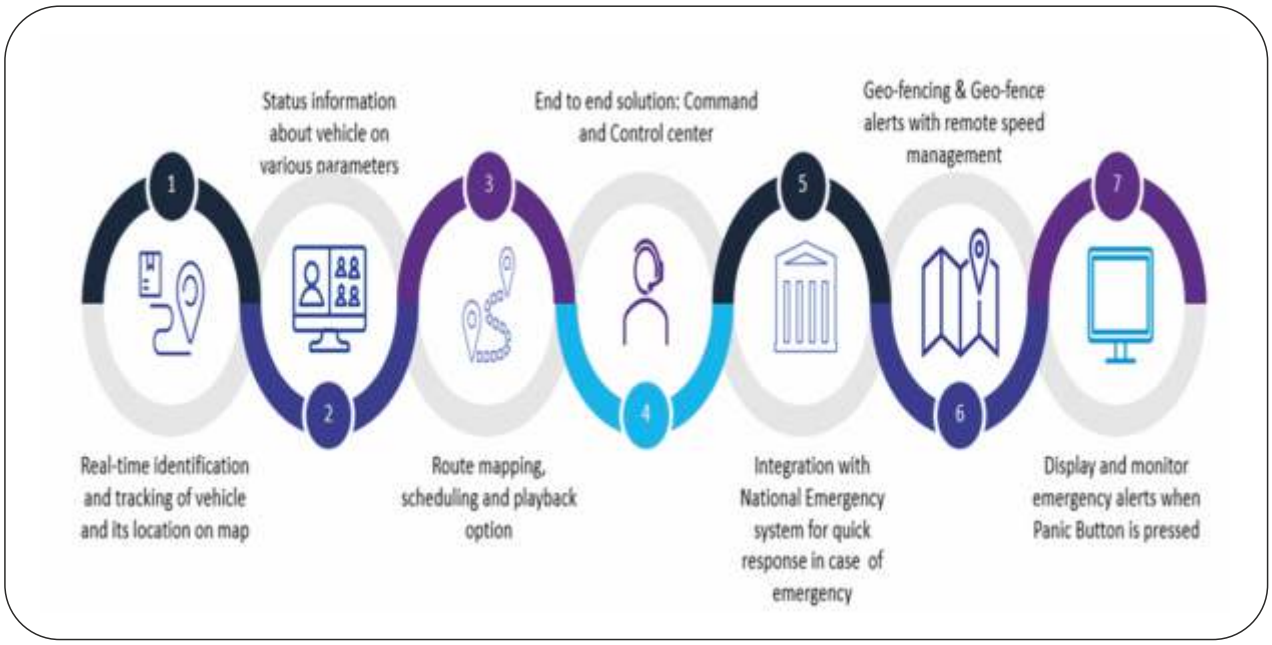

6.4.5 भारत श्रृंखला वाहन पंजीकरण

राज्यों के बीच वाहनों के निबंधि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने और अंतरराज्यीय मालिक हस्तांतरण के दौरान एक नया पंजीकरण चिह्न निर्दिष्ट करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना साकानि - 294 (अ) के अनुसार "भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज़)" का प्रावधान प्रदान किया गया है। एनआईसी ने डीलर पाइंट मॉड्यूल में आवश्यक परिवर्तनों को शामिल किया है और 29 राज्यों को पोर्टल से बीएच श्रृंखला पंजीकरण संख्या जारी करने की सुविधा प्रदान की गई है। कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं

- अंतरराज्यीय वाहन स्थानांतरण को सरल बनाता है
- अंतरराज्यीय मालिकाना हस्तांतरण के दौरान नया पंजीकरण चिह्न निर्दिष्ट करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- वैकल्पिक (पसंद) आधार पर उपलब्ध
- चार या अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी और निजी क्षेत्र की फर्मों के लिए सुलभ
- नये पंजीकरण तथा बी.एच. या सामान्य श्रृंखला में स्थानान्तरण के मामले में लागू।
- यह स्वामियों को सुविधा प्रदान करते हुए राज्यों के राजस्व को संरक्षित करता है।

इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.

6.4.6 वाहन रिकॉल प्रबंधन प्रणाली

इस एप्लिकेशन को वाहनों द्वारा सामना की जाने वाली नियम 127ग में उल्लिखित "दोष" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले वाहन जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए विकसित किया गया है। मंत्रालय और एनआईसी द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य वाहन रिकॉल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, ताकि विभिन्न रिपोर्ट की गई या पहचानी गई घटनाओं पर निर्माताओं द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इन घटनाओं में विशिष्ट वाहन भागों को प्रदर्शित नहीं करना, दोषपूर्ण विनिर्माण, सुरक्षा खतरे या अधिसूचित मानदंडों का गैर-अनुपालन शामिल हो सकता है। सिस्टम के विकास में वाहन रिकॉल प्रक्रिया के हर पहलू को शामिल किया जाएगा, जिसमें चक्र के अन्य आवश्यक चरणों में ग्राहक अधिसूचना और कार्रवाई तंत्र, प्रक्रिया ट्रैकिंग, अनुपालन और रिपोर्टिंग शामिल हैं। यह वाहनों में रेट्रोफिटिंग आवश्यकताओं के कारण की गई रिकॉल घटनाओं को प्रबंधित करने के लिए भी सक्षम होगा।

6.4.7 अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) मॉड्यूल

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजपत्र अधिसूचना साकानि 302(अ) के तहत एनआईसी द्वारा विकसित एआईटीपी, पर्यटक वाहन संचालकों को पूरे भारत में पर्यटकों और उनके सामान को ले जाने की अनुमति देता है। "अखिल भारतीय पर्यटक परमिट" (एआईटीपी) परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाने वाला एक परमिट है, जो पर्यटक वाहन संचालकों या मालिकों को परमिट शुल्क का भुगतान करने पर, पूरे भारत में पर्यटकों को, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, उनके निजी सामान के साथ ले जाने के लिए अधिकृत करता है।

यह पहल अंतरराज्यीय यात्रा को सरल बनाती है, गतिशीलता को बढ़ाती है तथा अनेक परमिटों की आवश्यकता को समाप्त करके पर्यटन क्षेत्र को सहायता प्रदान करती है।

6.4.8 फेसलेस, कांटेक्ट लेस, आधार - ईकेवाईसी आधारित सेवाएं

ई-परिवहन परियोजना में, वाहन और सारथी के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न परिवहन-संबंधी सेवाएँ प्रदान करने में एक कुशल और पूरी तरह से डिजिटल दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए फेसलेस सेवाएँ शुरू की गई हैं। यह नागरिकों को अपने घरों में आराम से पूरी तरह से ऑनलाइन, कांटेक्ट लेस तरीके से इसका लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और एनआईसी दोनों ने मौजूदा परिवहन सेवाओं को आधार प्रमाणीकरण, ईकेवाईसी, एआई-आधारित फेस रिकग्निशन, ई-साइन और अन्य व्यावसायिक प्रक्रिया परिवर्तनों जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए फेसलेस मोड में बदल दिया है। वर्तमान में, 90 से अधिक परिवहन सेवाएँ पूरी तरह से कांटेक्ट लेस हैं। हालाँकि, कार्यान्वयन राज्य दर राज्य अलग-अलग है।

मुख्य विशेषताएँ:

- ❖ पूरी तरह से ऑनलाइन और कांटेक्टलेस सेवा
- ❖ आवेदन के किसी भी चरण में आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं है
- ❖ आवेदक का आधार आधारित प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.

- शिक्षार्थी लाइसेंस परीक्षा के लिए एआई आधारित चेहरा पहचान और सत्यापन
- शिक्षार्थी लाइसेंस परीक्षा देने वाले आवेदक का वीडियो बनाने (एआई वीडियो प्रोसेसिंग) के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण
- सभी फेसलेस लेनदेन के लिए दस्तावेज़ अपलोड करने का प्रावधान

6.4.9 स्वचालित फिटनेस प्रबंध प्रणाली/स्वचालित परीक्षण प्रणाली

भारत में वाहन फिटनेस प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना साकानि 652 (अ), दिनांक 23 सितंबर,2024 के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा स्वचालित फिटनेस प्रबंधन प्रणाली (एएफएमएस) विकसित की गई है। एएफएमएस से पहले, वाहन मालिकों को किसी पंजीकरण प्राधिकारी या अधिकृत परीक्षण केंद्र से फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता था जहाँ उनका वाहन पहली बार पंजीकृत हुआ था। इससे अक्सर चुनौतियां पैदा होती थीं, खासकर उन लोगों के लिए जो यात्रा कर रहे हैं या स्थानांतरित हो रहे हैं। एएफएमएस देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) के साथ साझेदारी करके इन मुद्दों का समाधान करता है। ये स्टेशन वाहन फिटनेस परीक्षण करते हैं और परिणाम सीधे एएफएमएस सर्वर पर अपलोड करते हैं। परिणामस्वरूप, वाहन मालिक अब किसी भी एटीएस पर ऑनलाइन फिटनेस जांच के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, चाहे वह उनके राज्य में हो या भारत में कहीं अन्य स्थान पर। यह सुविधा उन्हें भौगोलिक बाधाओं के बिना फिटनेस सेवाओं तक पहुँचने, फिटनेस रिपोर्ट देखने और यदि आवश्यक हो तो पुनः परीक्षण के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है।

यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है।

This sign directs the driver to turn right only. Obeying this sign will lead to safety and hassle free drive.

6.4.10 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ)

वीस्क्रैप पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना साकानि 653(अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 के तहत विकसित किया गया था। यह एप्लिकेशन मोटर वाहन मालिकों को उच्च उत्सर्जन वाले पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को कुशलतापूर्वक चरणबद्ध तरीके से हटाने में सहायता करता है, जिससे वायु गुणवत्ता में गिरावट को कम किया जा सके। इस एप्लिकेशन का प्राथमिक उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों पर चलने से हटाना और इसके बाद देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहनों के लिए वाहन स्क्रैपिंग के लिए सभी आवेदन और प्रक्रियाएं ऑनलाइन और समयबद्ध कर दी गई हैं।

6.4.11 अगली पीढ़ी (नेक्स्ट जेन) का एम परिवहन मोबाइल ऐप

नेक्स्टजेन एमपरिवहन, वाहन, सारथी और अन्य ई-ट्रांसपोर्ट घटकों के मोबाइल एक्सटेंशन के रूप में कार्य करता है, जो एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। यह नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, कराधान, फिटनेस, परमिट और अन्य परिवहन-संबंधी ज़रूरतों के लिए 75+ ऑनलाइन सेवाओं/उपयोगिताओं तक पहुँच प्रदान करता है। वाहन, सारथी, ई-चालान और अन्य रिपॉजिटरी के साथ एकीकृत, यह निर्बाध डेटा विनियमन की सुविधा देता है। 11.55 करोड़ से ज़्यादा ऐप डाउनलोड के साथ, यह सबसे लोकप्रिय सरकारी ऐप में से एक है। ऐप में शामिल सेवाएँ और उपयोगिताएँ निम्नलिखित हैं:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन सचिवों के साथ कार्यशाला में सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) श्री वी. उमाशंकर

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है।
This sign directs the traffic to either move straight or take right turn. Turning towards left is prohibited.

नेक्स्टजेन एमपरिवहन सेवाओं की सूची

	वाहन सेवाएँ		ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएँ		फैंसी सेवाएँ
1	आरसी खोजें	1	ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) खोजें	1	उपलब्ध स्थिति
2	वर्चुअल आरसी	2	वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस	2	आवंटन स्थिति
3	डुप्लीकेट आरसी जारी करना	3	डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना	3	शुल्क रसीद डाउनलोड करें
4	आरसी में पते में परिवर्तन	4	ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण	4	आवंटन पत्र डाउनलोड करें
5	उपप्राधीयन (हाइपोथीकेशन)	5	डीएल में पते का परिवर्तन	5	फैंसी नंबर उपलब्ध स्थिति
6	हाइपोथीकेशन निरंतरता	6	डीएल का प्रतिस्थापन	6	फैंसी नंबर आवंटन स्थिति
7	हाइपोथीकेशन जोड़ना	7	डीएल का सार	7	शुल्क रसीद डाउनलोड करें
8	एनओसी जारी करना	8	आईडीपी	8	आवंटन पत्र डाउनलोड करें
9	शुल्क के आधार पर आरसी विवरण	9	मोबाइल नंबर अपडेट करें	9	कार्रवाई की स्थिति दर्शाएं
10	आवेदन की स्थिति	10	आवेदन की स्थिति		
11	रसीद डाउनलोड करें	11	अपलोड किए गए दस्तावेज़ देखें		**ई-चालान**
12	भुगतान स्थिति सत्यापित करें	12	फॉर्म डाउनलोड करें	1	चालान स्थिति
13	आवेदन का निपटान करें	13	एलएल में नाम परिवर्तन	2	चालान भुगतान
14	मोबाइल नंबर अपडेट करें	14	डुप्लीकेट एलएल जारी करना	3	भुगतान स्थिति सत्यापित करें
15	ऑनलाइन कर भुगतान	15	एलएल में पते में परिवर्तन	4	चालान डाउनलोड करें
16	स्वामित्व का हस्तांतरण	16	एलएल आवेदन में संशोधन	5	रसीद डाउनलोड करें
17	आरसी हस्तांतरण	17	अपाइंटमेंट रद्द करना		
18	आरसी निरस्तीकरण	18	डीएल में जन्म तिथि में परिवर्तन		**पीयूसीसी**
19	आरसी जारी करना	19	डीएल में नाम बदलना	1	पीयूसीसी खोजें
20	डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाणपत्र	20	पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति	2	पीयूसीसी डाउनलोड करें
21	राज्य परमिट का नवीनीकरण	21	नया कंडक्टर लाइसेंस		
22	डुप्लीकेट परमिट प्रमाणपत्र	22	डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस		**चेकपोस्ट सेवाएं**
23	अस्थायी परमिट	23	कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण	1	चेकपोस्ट रसीद विवरण सत्यापित करें
24	आरसी सेवाओं का ई-साइन	24	कंडक्टर लाइसेंस में पता परिवर्तन	2	चेकपोस्ट कर रसीद डाउनलोड करें
25	एनपी गृह प्राधिकृति	25	कंडक्टर लाइसेंस में नाम परिवर्तन		
26	कर निर्धारण	26	एलएल के लिए चेहरा पहचान एपीआई		
27	एनओसी डाउनलोड	27	एलएल/डीएल में आधार कार्ड आधारित ई-		
28	वाहन में परिवर्तन	28	एलएल/डीएल में वाहनों की श्रेणी जोड़ें		
29	नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ना	29	नया ड्राइविंग लाइसेंस		
30	चक्रवृद्धि शुल्क भुगतान	30	लर्नर्स लाइसेंस		
31	आरसी विवरण डाउनलोड करें	31	सेवा वापस ले ली गई		

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

6.4.12 वाहनों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री और लाइसेंस रिकॉर्ड

31 दिसंबर, 2024 तक वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड क्रमशः 38.7+ करोड़ और 21.1+ करोड़ हैं।

6.5 केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन के लिए वर्ष 2024 में की गई प्रमुख पहल

6.5.1 एल2-5 को नई वाहन श्रेणी के रूप में शामिल करना

26 जून, 2024 के साकानि 354(अ) के तहत केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में 'एल2-5' को वाहन की एक नई श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। इस विनियमन के पीछे उद्देश्य अभिनव ई-मोबिलिटी समाधान तैयार करना है, जिसमें दो पहिया मोटर वाहन अलग से चल सकता है और साथ ही इसे पीछे के मॉड्यूल से जोड़कर तीन पहिया वाहन बनाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दोपहिया या तिपहिया वाहन के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, यह तिपहिया ऑटो रिक्शा मालिकों को दोपहिया वाहन को वाणिज्यिक उद्देश्यों जैसे टैक्सी एग्रीगेटर, होम डिलीवरी सेवाएं, ई-कॉमर्स आदि के लिए उपयोग करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा। यह मौजूदा तिपहिया वाहन मालिकों को अपने वाणिज्यिक के साथ-साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी दोपहिया वाहन रखने में सक्षम बनाएगा, साथ ही उन्हें लाभों को इष्टतम करने का लचीलापन भी प्रदान करेगा।

6.5.2 बीएस VI में रेट्रोफिटमेंट

15 जुलाई, 2024 के साकानि 407 (अ) के तहत सीएमवीआर, 1989 के नियम 115ग में संशोधन किया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि एलपीजी किटों के साथ रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन, ऐसे अनुमोदन जारी होने की तारीख से छह साल के लिए वैध होगा और इसे एक बार में हर छह साल के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

6.5.3 सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर के लिए मानकों का संशोधन

मंत्रालय ने साकानि 514 (अ), दिनांक 14 अगस्त, 2024 के तहत केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन किया है, ताकि 1 अप्रैल, 2025 से श्रेणी एम, एन और एल7 के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबली, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली की संस्थापना के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान किए जा सकें। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहन, एआईएस-145-2018 के अनुसार सभी आगे की ओर वाली पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

6.5.4 इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन निर्माण उपकरण वाहनों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साकानि 721(अ) के तहत केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन निर्माण उपकरण वाहनों के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में नियम 125-त जोड़ा है और अनिवार्य किया कि 1 जनवरी, 2025 को और उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से लेस निर्माण उपकरण वाहन एआईएस-174 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जब तक कि

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता।

6.5.5 परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण

मंत्रालय ने साकानि 709 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2024 जारी किया है (केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 62 में संशोधन) जो केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को 1 अप्रैल, 2025 तक बढ़ाने का प्रावधान करता है।

6.6 मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदीरहित उपचार प्रदान करने की योजना

सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अनिवार्यता के अनुरूप, सरकार मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकदी रहित उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत आघात और बहुआघात के लिए स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अनुसार, पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति दुर्घटना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के नगदीरहित उपचार का अधिकार है।
- किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) आदि के साथ समन्वय करके, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) एप्लिकेशन और एनएचए के लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) की कार्यात्मकता को मिलाकर एक आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस योजना को लागू करेगा।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी तथा असम, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तराखंड राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकद रहित उपचार उपलब्ध कराने के लिए पायलट कार्यक्रम लागू किया है।

6.7 सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में आईटीएस सुदृढीकरण

- मंत्रालय ने जीपीएस/जीएसएम आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण/टिकटिंग प्रणाली, अंतर-मॉडल किराया एकीकरण, यात्री सूचना प्रणाली आदि जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में आईटीएस सुदृढीकरण" नामक मौजूदा योजना का मूल्यांकन किया है। इस योजना में आईटीएस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन विकास, संचालन, योजना, प्रबंधन, प्रशासनिक कार्य और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की नियुक्ति के पूंजीगत व्यय की लागत शामिल है।

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.

- राज्य परिवहन उपक्रम, राज्य परिवहन निगम, सार्वजनिक निजी भागीदारी और राज्य सरकार निकाय (पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित) इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- योजना की अवधि 4 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 अर्थात् 15वें वित्त आयोग चक्र की शेष अवधि) के लिए है। मंत्रालय से इस योजना का प्राक्कलित कुल व्यय 175 करोड़ रुपये है। पिछली योजना में मंत्रालय की हिस्सेदारी 50% थी, लेकिन संशोधित योजना में मंत्रालय की हिस्सेदारी 70% है और शेष 30% संबंधित परिवहन निकायों द्वारा दिया जाएगा।
- दिसंबर, 2024 तक 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जीएसआरटीसी, टीएसआरटीसी, केएसआरटीसी, भोपाल बीसीएलएल और सिक्किम एसएनटी के प्रस्तावों को 2022-24 में और असम एएसटीसी, मीरा भाईंदर एमबीएमटीयू, पुडुचेरी पीआरटीसी और एपीएसआरटीसी के प्रस्तावों को 2023-24 में मंजूरी दी गई है।

6.8 महिला यात्रियों की सुरक्षा (निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत परियोजनाएं)

भारत सरकार ने निर्भया फ्रेमवर्क के तहत एक समर्पित कोष की स्थापना की है, जिसका संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुशंसा के बाद, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्भया कोष से वित्तीय सहायता स्वीकृत करता है। सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया कोष योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन परिवहन निगम और तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की स्टैंडअलोन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

6.9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का विकास (निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने (15 जनवरी, 2020 को) "निर्भया फ्रेमवर्क के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में एआईएस 140 विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने, अपनाने,उन्हें लगाने और उनका प्रबंधन" के कार्यान्वयन के लिए एक योजना को मंजूरी दी है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 463.90 करोड़ रुपये (निर्भया फ्रेमवर्क के अनुसार केंद्र और राज्य हिस्सेदारी सहित) है।

प्रस्तावित प्रणाली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निगरानी केंद्र स्थापित करके महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा बढ़ाने की परिकल्पना की गई है, जो सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों (पीएसवी) पर नज़र रखेंगे, जिनमें आपातकालीन स्थिति में चेतावनी जारी करने के लिए लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन लगे हैं। निगरानी केंद्र चेतावनी की निगरानी करेगा और संकट कॉल में कार्रवाई करने के लिए राज्य आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (एसईआरएसएस) के साथ समन्वय करेगा। सडक परिवहन और

राजमार्ग मंत्रालय ने पहले 28 नवंबर, 2016 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) डिवाइस और आपातकालीन बटन लगाना अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा, वीएलटी डिवाइस और आपातकालीन बटन लगाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की है और यह योजना केवल पीएसवी की ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निगरानी केंद्र की स्थापना का वित्तपोषण करेगी।

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को पैंतीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् छत्तीसगढ़, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, चंडीगढ़, कर्नाटक, पंजाब, ओडिशा, केरल, मेघालय, असम, पुडुचेरी, झारखंड, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और लक्षद्वीप से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मंत्रालय ने 220.11 करोड़ रुपये की निधियां जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वियन की गंभीरता से निगरानी कर रहा है। राज्य प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। अब तक, 33 राज्यों को निधियां प्राप्त हो चुकी है और इनमें से चौदह राज्य अर्थात् बिहार, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान, ओडिशा, चंडीगढ़, केरल, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश ने पहले ही निगरानी केंद्र स्थापित कर लिए हैं। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निगरानी केंद्र शुरू करने के अंतिम चरण में हैं।

6.10 स्वैच्छिक वाहन-बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वीवीएमपी) (वाहन स्क्रैपिंग नीति)

स्वैच्छिक वाहन-बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) या "वाहन स्क्रैपिंग नीति" माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 अगस्त, 2021 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। इस नीति के सफल कार्यान्वियन को सक्षम बनाने के लिए, वाहनों की पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और वैज्ञानिक स्क्रैपिंग के लिए पूरे भारत में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (आरवीएसएफ) का एक नेटवर्क स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वाहनों की फिटनेस जांच में बेहतर पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) का एक नेटवर्क आवश्यक है। नीति का लक्ष्य अनुपयुक्त वाणिज्यिक और निजी वाहनों को स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करना है । नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- अनुपयुक्त वाहनों की संख्या कम करना।
- वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाना।
- सड़क एवं वाहन सुरक्षा में सुधार करना।
- बेहतर ईंधन दक्षता प्राप्त करना।
- वर्तमान में अनौपचारिक वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को औपचारिक रूप देना।

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिगनल से प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते।

This sign on road indicates that this road is regulated by three-colour light signals, as driver may not expect such section of some roads.

❖ ऑटोमोटिव, इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ावा देना।

6.10.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की हैं:

क) साकानि अधिसूचना 653 (अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 (साकानि 695 (अ), दिनांक 13 सितंबर, 2022 और साकानि 212 (अ), दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित) पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए नियम प्रदान करती है। अधिसूचना 25 सितंबर 2021 से लागू हो गई है।

ख) साकानि अधिसूचना 652 (अ), दिनांक 23 सितंबर , 2021 (साकानि 797 (अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 और साकानि 195 (अ), दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा संशोधित) स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रदान करती है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से लागू हो गई है।

ग) 4 अक्टूबर, 2021 की साकानि अधिसूचना 714 (अ) में वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में वृद्धि का प्रावधान है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है।

घ) साकानि अधिसूचना 720 (अ), दिनांक 5 अक्टूबर , 2021 में "जमा प्रमाणपत्र" जमा करने पर पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर में छूट का प्रावधान है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है।

ड.) साकानि अधिसूचना 29 (अ), दिनांक 16 जनवरी , 2023 में प्रावधान है कि केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत), राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को पंद्रह वर्ष के के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा और आरवीएसएफ में इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गई है।

च) साकानि अधिसूचना 663 (अ), दिनांक 12 सितंबर , 2023 (साकानि 709 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2024 द्वारा संशोधित) किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को 1 अप्रैल, 2025 तक बढ़ाने का प्रावधान करती है और केवल उन अधिकार क्षेत्रों में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों पर परिवहन वाहनों के फिटनेस परीक्षण को अनिवार्य बनाती है जहां एटीएस चालू हैं।

6.10.2 नीति के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

क. नागरिक केन्द्रित पहल

यह नीति किसी भी राज्य में पंजीकृत वाहनों को देश के किसी भी एटीएस/आरवीएसएफ में फिटनेस परीक्षण/स्क्रैप करने की अनुमति देकर नागरिक केंद्रित होने पर ध्यान केंद्रित करती है । किसी

नागरिक को अपने वाहनों को स्क्रैप करने पर केवल आरवीएसएफ द्वारा जारी किया गया जमा प्रमाणपत्र (सीडी) प्राप्त होता है। वाहन मालिकों को आरवीएसएफ में अपने वाहनों को स्क्रैप करने को प्रोत्साहित करने के लिए, सीडी के बदले खरीदे गए नए वाहनों पर सरकार और ऑटो ओईएम द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:

(i) मोटर वाहन कर में 25% तक की छूट तथा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साकानि 720 (अ) के तहत जमा प्रमाणपत्र के एवज में खरीदे गए परिवहन वाहनों के लिए 15% तक की छूट। अब तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मोटर वाहन कर में छूट की घोषणा की है।

(ii) देश भर में जमा प्रमाणपत्र के आधार पर खरीदे गए सभी वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी।

(iii) इसके अतिरिक्त, ऑटो ओईएम ने सीडी के एवज में खरीदे गए वाहनों पर छूट प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- वाणिज्यिक वाहन(सीवी): ~95% बाजार को कवर करने वाली 7 ओईएम (टाटा, आयशर, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, इसुजु मोटर्स, एसएमएल इसुजु, फोर्स) ने 3% तक की छूट पर सहमति व्यक्त की।
- परिवहन वाहन(पीवीएस(: लगभग 98% बाजार को कवर करने वाली 11 ओईएम (मारुति, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, किआ, टोयोटा, होंडा, जेएसडब्ल्यू एमजी, रेनॉल्ट, निसान, स्कोडा-वोक्सवैगन) ने 1.5% छूट या 20,000 रुपये कम करने की सहमति व्यक्त की है और मर्सिडीज बेंज (12 वीं ओईएम) ने 25,000 रुपये की छूट की घोषणा की है।

(iv) उपरोक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, कई गैर-वित्तीय प्रोत्साहन भी हैं, जिनमें शामिल हैं:

- पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने से प्रदूषण में कमी: अनुमान है कि औसतन एक प्री-बीएस एमएंडएचसीवी से होने वाला उत्सर्जन ~14 बीएस VI एमएंडएचसीवी के बराबर है। इसी तरह, एक बीएस I और बीएस II एमएंडएचसीवी से होने वाला उत्सर्जन क्रमशः ~7 बीएस VI एमएंडएचसीवी और ~6 बीएस VI एमएंडएचसीवी के बराबर है।
- एंड ऑफ लाइफ वाले वाहनों का पर्यावरण-अनुकूल सुरक्षित निपटान
- पुराने वाहनों की तुलना में नए वाहनों में बेहतर सुरक्षा सुविधाएँ
- पुराने वाहनों की तुलना में नए वाहनों के रखरखाव की लागत कम होती है
- इसके अलावा, वाहन मालिकों को पुराने वाहनों का उपयोग करने से हतोत्साहित करने के लिए , सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साकानि 714 (अ) के तहत पुराने वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने और फिटनेस परीक्षण के लिए शुल्क बढ़ा दिया है।
- नागरिकों की सुविधा और उपयोगकर्ताओं को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए, वी-वीएमपी के लिए वाहन पोर्टल पर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ताकि जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों को हटाने और फिटनेस परीक्षण की सुविधा मिल सके।
- वाहन मॉड्यूल (एएफएमएस और वीस्क्रैप) के माध्यम से स्क्रैपिंग और वाहन फिटनेस परीक्षण

यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

This sign cautions that there is a dip on road ahead. This sign helps driver to reduce the speed to cross the plunge on road.

की नागरिक यात्रा का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण, जिसमें अपॉइंटमेंट बुक करना, आवेदन जमा करना और लागू प्रमाण पत्र जारी करना (जैसे, स्क्रैपिंग पर जमा प्रमाणपत्र, फिटनेस परीक्षण रिपोर्ट और प्रमाण पत्र) शामिल है।

- ❖ वाहन डेटाबेस के साथ पूर्णतः एकीकृत पोर्टल, संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस में वास्तविक समय पर वाहन स्क्रैपिंग स्थिति और फिटनेस परीक्षण परिणाम जैसे रिकॉर्डों के गतिशील अद्यतन को सक्षम बनाता है, जिससे नागरिकों के लिए अतिरिक्त मैनुअल हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है।
- ❖ नागरिक प्रोत्साहनों को संबंधित राज्य विभाग के पोर्टलों पर कॉन्फ़िगर किया गया है ताकि सभी टचपॉइंट्स पर एमवी टैक्स रियायत और पंजीकरण शुल्क की छूट जैसे लाभों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- ❖ वाहन मालिकों को नीतिगत लाभों की जानकारी देने के लिए नागरिक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है।

ख. निवेश प्रोत्साहन और व्यापार करने में सुगमता

(i) नीति ने आर.वी.एस.एफ. और ए.टी.एस. में निजी निवेश को बढ़ावा दिया, जहां आर.वी.एस.एफ. और ए.टी.एस. की स्थापना के लिए संबंधित राज्य परिवहन विभागों से पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर.सी.) प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में शिथिल मानदंड निर्धारित किए गए।

(ii) 25 राज्यों में राज्य सरकारों के सहयोग से नियमित निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए , जिसमें नीति के उद्देश्यों, प्रभाव और व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करके निजी निवेश आकर्षित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरवीएसएफ के लिए 200 से अधिक आवेदन और एटीएस के लिए 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

(iii) इसके अलावा, आरवीएसएफ और एटीएस पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी पंजीकृत निवेशक/व्यवसाय को व्यापार करने में सुगमता के लिए वी-वीएमपी के तहत तैयार किए गए डिजिटल अवसरंचना में शामिल किया गया है।

(iv) **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्लूएस):** निवेशकों के लिए एकल खिड़की डिजिटल मंजूरी पोर्टल, जो एक ही स्थान पर अनुमोदन संग्रह, वास्तविक समय आवेदन स्थिति ट्रैकिंग और त्वरित संदेह निवारण करता है, जिससे राज्य परिवहन विभाग और निवेशक के बीच अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है।

(v) **आरवीएसएफ में सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ई-नीलामी:** मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) द्वारा विकसित समर्पित ई-नीलामी पोर्टल, वी-वीएमपी के तहत शामिल किए गए हैं, ताकि सरकारी विभागों (केंद्र, राज्य, पीएसयू) और आरवीएसएफ के बीच 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का पारदर्शी और संरचित आदान-प्रदान हो सके, जिससे मूल्य निर्धारण और मांग एकत्रीकरण संभव हो सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के

कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है, जो यातायात को धीमा करने के लिए जान–बूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे।

Sometimes there is a hump on road intentionally created for slowing the traffic. This sign cautions the driver that he should reduce the speed to cross the hump comfortably.

दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत आरवीएसएफ ही इन नीलामियों में भाग ले सकते हैं और स्क्रैपिंग के लिए इन वाहनों को खरीद सकते हैं।

(vi) **आरवीएसएफ और एटीएस में कार्य संचालन का डिजिटलीकरण:** वी-वीएमपी के तहत वाहन मॉड्यूल का लाभ उठाते हुए, निवेशक एटीएस और आरवीएसएफ में एंड-टू-एंड लाइफ़साइकिल कार्य संचालन - शेड्यूलिंग, बुकिंग स्वीकृति, दस्तावेज़ सत्यापन और प्रमाणपत्र जारी करने को डिजिटल रूप से कर सकते हैं। ये पोर्टल निर्बाध प्रक्रिया को सक्षम करते हैं, जिससे निवेशकों के लिए अपने कार्य करना आसान और किफायती हो जाता है:

- **एएफएमएस पोर्टल परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाता है: राष्ट्रीय** सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने एटीएस के माध्यम से परीक्षण के एंड-टू-एंड जीवनचक्र प्रबंधन के लिए वाहन पर एक मॉड्यूल विकसित किया है। स्वचालित फिटनेस प्रबंधन प्रणाली (एएफएमएस) मोटर वाहन मालिकों को वाहन फिटनेस परीक्षण बुक करने, फिटनेस परीक्षण के परिणाम और फिटनेस प्रमाणपत्र देखने और पुन: परीक्षण के लिए आवेदन करने की क्षमता प्रदान करती है। स्वचालित परीक्षण प्रणाली (एटीएस) से ऑपरेटर उपलब्ध परीक्षण स्लॉट तैयार करने, बुकिंग करने, वाहन फिटनेस स्थिति अपडेट करने और फिटनेस परीक्षण के परिणाम और फिटनेस प्रमाणपत्र अपलोड करने में सक्षम होंगे। एप्लिकेशन वाहन परीक्षण प्रक्रिया और उसके परिणाम में एंड-टू-एंड दृश्यता प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता बढती है। यह परीक्षणों की डिजिटल रिकॉर्डिंग बनाए रखने में भी मदद करता है।
- **वीस्क्रैप पोर्टल स्क्रैपिंग परितंत्र को सक्षम बनाता है:** एनआईसी ने आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैपिंग के एंड-टू-एंड लाइफसाइकिल प्रबंधन के लिए वाहन पर एक और मॉड्यूल विकसित किया है। वीस्क्रैप पोर्टल मोटर वाहन मालिकों को देश में किसी भी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति देता है। आरवीएसएफ आवेदन पत्र स्वीकार कर सकता है, पुराने वाहन के लिए स्क्रैप मूल्य पर बातचीत कर सकता है, स्क्रैपिंग के लिए वाहन की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में जमा प्रमाणपत्र (सीडी) तैयार कर सकता है और स्क्रैप किए गए वाहन के प्रमाण के रूप में वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र (सीवीएस) तैयार कर सकता है।
- **सीडी ट्रेडिंग पोर्टल:** स्क्रैपिंग के लिए वाहन जमा करने पर वाहन मालिकों को जारी किया जाने वाला 'जमा प्रमाणपत्र' नए वाहनों की खरीद पर कई प्रोत्साहनों से जुड़ा हुआ है। प्रोत्साहनों में पंजीकरण शुल्क में छूट, एमवी कर में रियायत और ओईएम द्वारा एक्स-शोरूम कीमत पर छूट शामिल है। वाहन मालिक सीडी का व्यापार भी कर सकते हैं। सीडी ट्रेडिंग को सक्षम करने के लिए एनसीडीईएक्स द्वारा डिजी ईएलवी पोर्टल विकसित किया गया है।

ग. अनुपालन ट्रैकिंग के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और डेटा

(i) एटीएस और आरवीएसएफ संचालनों की वास्तविक समय निगरानी के लिए समर्पित डैशबोर्ड, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में नीतिगत मैट्रिक्स पर नज़र रखने की अनुमति देते हैं तथा पोर्टलों पर एकीकृत डेटा प्रदान करते हैं जो निर्णय लेने और अधिसूचित नियमों के पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें।

This sign indicates that there is a crossing of roads ahead. This sign indicates that the vehicle should be slowed and intersection should be crossed cautiously by looking on both sides.

(ii) लेखापरीक्षा कार्यक्षमता के माध्यम से अनुपालन पर्यवेक्षण के लिए डिजिटल रूप से संचालित प्रक्रिया, एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से लेखापरीक्षा रिपोर्टों की डिजिटल प्रस्तुति और जांच को सक्षम करना, निवेशकों और सक्षम सरकारी प्राधिकारियों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

घ. नीति कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय प्रोत्साहन

(i) कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए, व्यय विभाग (डीओई) की '2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के तहत राज्य सरकारों को (जनवरी-मार्च 2023 में वी-वीएमपी लक्ष्य हासिल करने पर) 2,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए गए।

(ii) राज्यों को विशेष सहायता की योजना को 2024-25 के लिए बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है और इसे 9 अगस्त, 2024 को शिक्षा विभाग द्वारा पत्र संख्या 44(1)/पीएफ-एस/2023-24 (कैपेक्स) के माध्यम से जारी कर दिया गया है, ताकि राज्यों को उनके संबंधित आरवीएसएफ और एटीएस अवसंरचना सेट-अप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और साथ ही सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को हटाकर प्रारंभिक मांग का सृजन किया जा सके।

(iii) वी-वीएमपी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 19 राज्य सरकारों को शिक्षा विभाग द्वारा वितरण के लिए 1,291 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

- ❖ जनवरी-मार्च 2023 के निष्पादन के लिए 351 करोड़ रुपये
- ❖ अप्रैल 2023-मार्च 2024 के निष्पादन के लिए 940 करोड़ रुपये

(iv) राज्यों को विशेष सहायता योजना को 2024-25 तक 3,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया

- ❖ सरकारी और गैर-सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि
- ❖ एटीएस सौंपने और संचालित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन

6.11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभाग के अधिकारियों को परिवहन से संबंधित नए नियमों और विनियमों से अवगत कराने के लिए, यह मंत्रालय विभिन्न संस्थानों के माध्यम से मानव संसाधन के विकास के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये संस्थान हैं- इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ईएससीआई), हैदराबाद; एशियाई परिवहन विकास संस्थान (एआईटीडी), दिल्ली; केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), पुणे; सड़क यातायात शिक्षा संस्थान (आईआरटीई), फरीदाबाद; आईआईटी-दिल्ली; भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई), पुणे; सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी), देहरादून और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट (आईआईएचएस), बेंगलुरु।

2022-23 से प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभागों तथा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में मानव संसाधन विकास के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम" के संचालन के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश प्रशिक्षण संस्थानों को कार्यक्रम आयोजित करने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समयसीमा, प्रशिक्षण पर होने

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बायीं ओर साइड सड़क हैं। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on left. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

वाले व्यय आदि के बारे में विस्तृत निर्देश प्रदान करते हैं। वर्तमान वर्ष के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण इन दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, लगभग 3,700 प्रतिभागियों को 136 कार्यक्रमों (107 ऑफ़लाइन, 29 ऑनलाइन) के माध्यम से (लगभग) 6.37 करोड़ रुपये की लागत से प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2024-25 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी हैं।

6.12 सुगम्य भारत अभियान

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित पर्यावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच बनाने हेतु सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के सिद्धांतों पर आधारित है, जो यह प्रस्तावित करता है कि दिव्यांगता व्यक्ति की सीमाओं और दुर्बलताओं के आधार पर नहीं,बल्कि समाज के संगठित होने के तरीके के कारण होती है। शारीरिक, सामाजिक, संरचनात्मक और मनोवृत्ति संबंधी बाधाएं विकलांग लोगों (दिव्यांगजन) को सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने से रोकती हैं।

अभियान के अंतर्गत, सभी राज्य शिक्षण संस्थाओं को निम्नानुसार सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्य प्राप्त करने हैं:

(i) मार्च 2019 तक 25% सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन वाहनों को पूर्णतः सुगम्य बनाया जाना चाहिए।

(ii) सभी बस स्टॉप/टर्मिनल/बंदरगाहों को सुगम्य बनाया जाना चाहिए।

(iii) दिव्यांग व्यक्तियों को शीघ्र लाइसेंसिंग और पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

एस.टी.यू. बसों की सुगम्यता : इस संबंध में ए.एस.आर.टी.यू. द्वारा 61 एस.टी.यू. के संबंध में डेटा संकलित किया गया है। यह सामने आया है कि कुल संचालित बसों की संख्या 1,45,490 है, अंतर-शहरी परिचालन में शामिल बसों की संख्या 97,165 है तथा शहरी परिचालन में शामिल बसों की संख्या 48,325 है। इन बसों की सुगम्यता का प्रतिशत निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	एसटीयू की बसों की संख्या	बसों की कुल संख्या	सुगम्य बसों की संख्या	पूर्णतः सुगम्य बसों की संख्या	कुल	सुगम्यता की प्रतिशतता
i.	अंतरशहरी परिचालन	97,165	24,860*	356**	25,216	26%
ii.	शहरी परिचालन	48,325	15,308*	10,517**	25,825	53%
कुल		**1,45,490**	**40,168***	**10,873****	**51,041**	**36%**

नोट: * व्हील चेयर पहुंच के बगैर सुगम्य

** पूर्णतः सुगम्य, व्हील चेयर सुविधा सहित

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां दायीं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात को मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on right. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

42वीं परिवहन विकास परिषद बैठक, भारत मंडपम, नई दिल्ली

यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। आम तौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है।

This sign indicates that there is an eating place in the vicinity. This sign is common on highways and long stretches of road.

अध्याय VII

सड़क सुरक्षा

7.1 सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा

भारत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटनाएँ कई कारणों से होती हैं, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की सभी एजेंसियों के सम्मिलित प्रयासों के माध्यम से समस्याओं को कम करने के लिए बहु-आयामी उपायों की आवश्यकता होती है। सड़क दुर्घटना उपायों में सड़क सुरक्षा के लिए सड़क इंजीनियरिंग डिजाइन; उचित सड़क चिह्नांकन और संकेत; वाहनों के लिए सुरक्षा मानक जैसे सीट बेल्ट का उपयोग आदि, शिक्षा और जागरूकता अभियान और कार्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है।

7.2 हाल ही में मंत्रालय द्वारा दुर्घटना शमन के लिए किए गए विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं:

7.2.1 शिक्षा सबंधी उपाय

(i) **प्रचार और जागरूकता अभियान:** "सड़क सुरक्षा प्रचार के लिए वित्तीय सहायता अनुदान और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार" योजना के तहत, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विभिन्न पात्र एजेंसियों जैसे गैर सरकारी संगठन/न्यास/सहकारी समिति/फर्म/शैक्षणिक संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैसा कि योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, योजना के तहत शामिल कार्यक्रम विषय सड़क सुरक्षा ऑडिट, पायलट परियोजनाएं, जागरूकता अभियान (जागरूकता बढाना, सुरक्षित वाहन, सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता) और क्षमता निर्माण हैं।

(ii) सड़क सुरक्षा के बारे में प्रभावी जन जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान भी चलाता है।

7.2.2 इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों) उपाय

I. सड़क इंजीनियरिंग

(i) **दुर्घटना संभावित ब्लैकस्पॉट की पहचान और सुधार:** राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैकस्पॉट (दुर्घटना संभावित स्थान) की पहचान और सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार की दिशा में ठोस प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 13,795 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, जिनमें से 9,525 ब्लैक स्पॉट पर

यह चिन्ह इंगित करता है कि सड़क के नजदीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है।
This sign indicates that there is facility of light refreshment nearby on the road.

अल्पकालिक सुधार उपाय पूरे किए गए हैं और 4,777 ब्लैक स्पॉट पर स्थायी सुधार पूरा किया गया है। पहचाने गए ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, ई-डीएआर पोर्टल पर बताए गए दुर्घटना संभावित स्थानों पर भी प्राथमिकता के आधार पर सुधार उपाय किए जा रहे हैं।

मंत्रालय ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

- ब्लैकस्पॉट्स को तत्काल अल्पकालिक उपाय जैसे चेतावनी सड़क संकेत और चिह्न, अनुप्रस्थ बार चिह्न, रंबल स्ट्रिप्स और सौर ब्लिंकर आदि करके ठीक किया जा रहा है।
- दीर्घकालिक सुधार के लिए, जहां भी आवश्यक हो, फ्लाईओवर, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज, सर्विस रोड आदि जैसे उपाय किए जा रहे हैं।
- सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के जोखिम वाले खंडों पर यातायात सुचारू करने के उपाय जैसे यातायात चेतावनी संकेत, डिलिनिएटर, सड़क स्टड, बार चिह्न, पहुंच मार्गों पर उभार आदि लगाए जाते हैं।

एनएचएआई और ठेकेदार/रियायतग्राही के बीच हस्ताक्षरित संबंधित अनुबंध/रियायत करार के अनुसार सडक दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन/चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ii) **सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा:** सभी राजमार्ग परियोजनाओं के सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण और संचालन एवं रखरखाव के चरणों में सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा करना अनिवार्य है। सड़क सुरक्षा ऑडिट भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा निर्धारित लागू मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

(iii) **पैदल यात्री सुविधाएं:** एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारियों को पैदल यात्री अंडरपास (पीयूपी) और पैदल यात्री सबवे (पीएसडब्ल्यू) के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्ति और फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है,ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। पैदल यात्रियों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने हेतु, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एआईएस 100 को अधिसूचित किया, जिसमें मोटर वाहन से टक्कर की स्थिति में पैदल यात्रियों और जोखिम वाले अन्य सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यकताएं शामिल हैं। ये मानदंड नए मॉडलों के लिए 1 अक्टूबर, 2018 से और सभी मॉडलों के लिए 01 अक्टूबर, 2020 से लागू थे।

(iv) **एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश:** जुलाई 2023 में सभी श्रेणियों के राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन के लिए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी सड़क-स्वामित्व वाली एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं, ताकि एकरूपता बनी रहे। दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताओं में बेहतर दृश्यता और पठनीयता, सहज संचार के लिए सचित्र चित्रण, सड़क संकेतों पर बहुभाषी दृष्टिकोण और केंद्रित लेन अनुशासन शामिल हैं। आरओ को दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी नए आने वाले राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के साथ-साथ 20,000 से अधिक पीसीयू वाले राजमार्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संकेतक लगाने का निर्देश दिया गया है।

II. वाहन इंजीनियरिंग

मंत्रालय ने वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i वाहन में चालक के बगल वाली अगली सीट पर बैठे यात्री के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान।

ii मोटर साइकिल चलाने या उस पर सवार चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्धारित मानदंड। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।

iii निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियां संस्थापित करने के लिए अनिवार्य प्रावधान:-

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

- ❖ चालक एवं सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)।
- ❖ केंद्रीय लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- ❖ अति गति चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

- ❖ रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार से कम पहियों वाले मोटर वाहन और इसमें क्वाड्रिसाइकिल शामिल है], एम [यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए अनिवार्य एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. दो पहिया, तिपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाली कार्य प्रणाली/गति सीमित करने वाला उपकरण अनिवार्य किया गया है।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। नियमों में 31 अक्टूबर, 2022 और 14 मार्च, 2024 को संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई तथा पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने हेतु भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम(बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में प्रकाशित नियम।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से अधिक नहीं सकल वाहन भार वाले माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन में एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य किया गया।

xii. 1 अप्रैल, 2025 से श्रेणी एम, एन और एल7 के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबली, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणालियों की संस्थापना के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान प्रदान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर के मानकों के संशोधन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहन एआईएस-145-2018 के अनुसार सभी आगे वाली और पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

7.2.3 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

(i) **मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षणकेंद्र :** कुशल चालकों की कमी भारतीय सड़क क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों में से एक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 7 जून, 2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की है , जिसमें मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र को सिमुलेटर और समर्पित ड्राइस्कंध टेस्ट ट्रैक से लेस किया जाएगा। इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइस्कंध लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइस्कंध टेस्ट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, जो वर्तमान में आरटीओ में लिया जा रहा है। इन केंद्रों को उद्योग-विशिष्ट विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की भी अनुमति है।

(ii) चालकों को अच्छे ड्राइस्कंध कौशल और सड़क नियमों का ज्ञान हो, यह सुनिश्चित करने तथा चालकों की योग्यता और क्षमता बढाने के लिए ड्राइवर लाइसेंसिंग और प्रशिक्षण की प्रणाली को मजबूत करने के लिए मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदर्श ड्राइस्कंध प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइस्कंध प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइस्कंध प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) स्थापित कर रहा है। 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 31 आईडीटीआर, 15 आरडीटीसी और 41 डीटीसी स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत संस्थानों/केंद्रों में से 23 आईडीटीआर, 2 आरडीटीसीएस और 3 डीटीसी कार्यरत हैं और शेष पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

(iii) खराब रखरखाव और पुराने वाहनों का उपयोग जो सड़क पर चलने योग्य स्थिति (फिट नहीं हैं) में नहीं हैं, दुर्घटनाओं और मौतों का कारण बनते हैं। देश में फिटनेस जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित कर रहा है। अब तक, 28 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के तहत कवर किया गया है।

(iv) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास के साथ समझौता किया है, ताकि देश में सड़क सुरक्षा में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर केंद्रित नए उत्पादों के विकास, क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने, सहयोग, अनुसंधान और रणनीतिक पहलों पर ध्यान केंद्रीत किया जा सके।

7.2.4 प्रवर्तन उपाय

(i) मोटर यान अधिनियम, 1988 वह प्रमुख विलेख है जिसके माध्यम से देश में सड़क परिवहन को विनियमित किया जाता है। संसद द्वारा पारित और 9 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा इसे पहली बार व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। इस अधिनियम से बाद के पैराओं में वर्णित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार होने की अपेक्षा है।

(ii) यह अधिनियम सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएगा, नागरिक सुविधा बढाएगा, पारदर्शिता लाएगा और सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से तथा बिचौलियों को हटाकर भ्रष्टाचार को कम करेगा। यह अधिनियम सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करेगा, नेक नागरिक (गुड समारिटन) की सुरक्षा करेगा और बीमा तथा मुआवजा व्यवस्था में सुधार करेगा। यह अधिनियम दिव्यांगों को सुविधा प्रदान करेगा, मोटर वाहनों को कार्योत्तर अनुमोदन के साथ अनुकूलित वाहनों में परिवर्तित करने की अनुमति देगा और अनुकूलित वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस की सुविधा प्रदान करेगा।

(iii) कुछ महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा प्रावधान और दंड निम्नानुसार हैं:

(क) प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा सुदृढीकरण

- निवारण प्रभाव में सुधार के लिए कठोर दंड।
- मामूली अपराधों के लिए न्यूनतम जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया।
- किशोर के अपराधों के लिए कठोर दंड।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया और लाइसेंस रद्द करना।
- तेज गति से वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, नशे में वाहन चलाने, असुरक्षित वाहन का उपयोग करने, हेलमेट न पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने आदि के मामले में ड्राइस्कंध लाइसेंस जब्त या रद्द किया जा सकता है।
- आईटी सक्षम प्रवर्तन उपकरणों के उपयोग को मान्यता प्रदान करना।
- लाइसेंस के निलंबन की स्थिति में सुधारात्मक उपाय के रूप में चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को मान्यता देना।

इस चिन्ह का प्रयोग गोलचक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दायीं तरफ यातायात के दिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है।

This sign is used at roundabouts where a specific lane discipline is to be followed. This sign directs the traffic to give way to the fellow traffic on your right side.

- फिटनेस प्रमाणन के लिए अनिवार्य स्वचालित परीक्षण।
- सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन।

(ख) दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र सहायता

- दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले गुड समारिटन का संरक्षण।
- एम्बुलेंस को रास्ता न देने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- महत्वपूर्ण समय (गोल्डन ऑवर) के दौरान नगदीरहित उपचार।
- गंभीर चोट के मामले में 2.5 लाख रुपए और मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपये के मुआवजे के लिए त्वरित और परेशानी मुक्त प्रावधान।
- हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढा कर मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा गंभीर चोट की स्थिति में 50,000 रुपये किया गया।
- तृतीय पक्ष बीमा के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया तथा किराये पर लिए गए ड्राइवर को भी बीमा कवर के अंतर्गत लाया गया।

(ग) सरलीकरण और नागरिक सुविधा

- राज्य में कहीं भी ड्राइस्कंध लाइसेंस जारी करने की अनुमति देना।
- ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना।
- डीलर द्वारा नये वाहनों का पंजीकरण, जिसमें वाहन की डिलीवरी से पहले पंजीकरण संख्या प्रदान करना भी शामिल है।
- परिवहन लाइसेंस का नवीनीकरण वर्तमान में तीन वर्ष के प्रावधान के स्थान पर पांच वर्ष बाद किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज़ीकरण स्वीकार्य है।
- वाहनों के पुनर्चक्रण का प्रावधान।
- दिव्यांगों के लिए अनुकूलित वाहन।

(घ) सार्वजनिक परिवहन का सुदृढीकरण

- एग्रीगेटर्स को कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दी गई।
- ग्रामीण परिवहन को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना।
- अंतिम मील संपर्कता को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय परिवहन योजनाएँ।
- राज्य अधिनियम की शर्तों की छूट देते हुए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बना सकते हैं।

यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए, चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए।

This sign notifies that entry is prohibited for all vehicles. Certain pockets of an area or road are demarcated as 'no entry' areas for traffic. This could be entry to a restricted area or no-traffic zone. So the driver should obey it and divert his route.

(ड.) स्वचालन और कम्प्यूटरीकरण

- इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्रों और दस्तावेजों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- ड्राइवर लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के राज्य रजिस्टरों से राष्ट्रीय स्तर के डेटाबेस में स्थानांतरण।

(च) राज्यों का सशक्तिकरण

- अपराधों को जुर्माने के बराबर की राशि या अधिक राशि में अपराध शमन
- किसी भी जुर्माने को 10 गुणक तक बढ़ा कर लगाना
- ग्रामीण परिवहन के हित में स्टेज कैरिज की आवश्यकता से छूट।
- अंतिम मील संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षाओं से छूट।
- किसी अन्य व्यक्ति को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
- पैदल यात्रियों की आवाजाही और गैर-मोटर चालित यातायात को विनियमित करना।

7.2.5 नागरिकों की सड़क सुरक्षा बढ़ाना

(i) **गुड समारिटन की सुरक्षा:** मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में "गुड सेमेरिटन की सुरक्षा" नामक एक नई धारा 134क को शामिल किया गया है। इस धारा में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी गुड समारिटन को उसका नाम, पहचान, पता या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, बशर्ते कि गुड समारिटन स्वेच्छा से अपना नाम प्रकट कर सकता है।

(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'ऐसे गुड समारिटन' को पुरस्कार देने कीएक योजना शुरू, जिन्होंने मोटर वाहन से जुड़ी किसी घातक दुर्घटना के पीड़ित की तत्काल सहायता करके और गोल्डन ऑवर के भीतर उसे अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाकर चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवाकर उसकी जान बचाई हो। इस योजना के तहत गुड समारिटन को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उनके कार्यों को बढ़ावा मिले।

7.2.6 अन्य पहल

(i) **इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन:** सड़क सुरक्षा (स्पीड कैमरा, सीसीटीवी, स्पीड गन, डैश कैम, बॉडी वियरेबल कैमरा आदि के माध्यम से) की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के प्रावधान के लिए 11 अगस्त, 2021 के साकानि 575 (अ) के माध्यम से नियम अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) **घटना प्रबंधन प्रणाली और घटना प्रबंधन सेवाएं:** प्रत्येक टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस, गश्ती वाहन, क्रेन जैसी सेवाएं तैनात की जाती हैं।

(iii) **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (एनआरएसबी):** राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड और इसके नियमों को 3 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया है। नए निकाय के गठन के लिए स्थापना व्यय समिति (सीईई) का मूल्यांकन प्राप्त कर लिया गया है और बोर्ड गठन की आगे की कार्रवाई की जा रही है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़–भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.

(iv) **सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय समिति:** सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय समिति, राज्य सड़क सुरक्षा समिति और जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालियों के साथ समन्वय करके सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

(v) **इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर)/एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरएडी):** ईडीएआर/आईआरएडी प्रणाली देश में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग, प्रबंधन, दावा प्रक्रिया और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार है। इस एप्लिकेशन को एनआईसी/एनआईसीएसआई द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में सीओईआरएस, आईआईटी, मद्रास द्वारा डेटा पर आवश्यक विश्लेषण किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के लाइव डेटा एंट्री के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस एप्लिकेशन को शुरू किया गया है। इसे वाहन, सारथी, पीएम गतिशक्ति, एनएचएआई के डेटा लेक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के टीएमएस आदि जैसे राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसे ई-कोर्ट एप्लिकेशन, सीसीटीएनएस (23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा हो चुका है) के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है।

7.3 परिवहन अनुसंधान

7.3.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिवहन अनुसंधान स्कंध (टीआरडब्ल्यू) सड़क दुर्घटनाओं सहित सड़कों और सड़क परिवहन क्षेत्र पर डेटा का संग्रहण, संकलन, प्रसार और विश्लेषण करता है। स्कंध की जिम्मेदारी नीति नियोजन और निगरानी के लिए मंत्रालय को अनुसंधान और डेटा सहायता प्रदान करने की भी है। इस दिशा में, स्कंध डेटा की गुणवत्ता में लगातार व्यवस्थित सुधार के लिए कार्य कर रहा है और प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से सड़क परिवहन क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों पर अध्ययन भी कर रहा है।

7.3.2 सड़कों और सड़क परिवहन क्षेत्र पर, टीआरडब्ल्यू चार वार्षिक प्रकाशनों अर्थात् भारत की आधारभूत सडक सांख्यिकी, सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका, भारत में सड़क दुर्घटनाएं और राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा के माध्यम से डेटा प्रसारित करता है।

(i) **भारत की आधारभूत सड़क सांख्यिकी (बीआरएस):** यह प्रकाशन देश में सड़क नेटवर्क पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राज्यीय राजमार्ग; जिला सड़कें (राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित); पीएमजीएसवाई, राज्य पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत आने वाली सडकों सहित ग्रामीण सड़कें; नगर पालिकाओं, पत्तन न्यासों और सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के अंतर्गत सड़कों सहित शहरी सड़कें; परियोजना सड़कें जिनमें रेलवे, सीमा सड़क संगठन, कोयला सार्वजनिक उपक्रम, राज्य विभाग जैसे वन, बिजली, सिंचाई आदि जैसे विभिन्न संगठनों के अंतर्गत सड़कें शामिल हैं। प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट वर्ष 2018-19 के लिए है। वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट मुद्रण चरण में है और वर्ष 2020-21 और 2021-22 के आंकड़े संकलन चरण में हैं।

(ii) **सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका (आरटीवाईबी):** यह विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा देश के

जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।

As sign itself speaks the area designated is a no entry zone for Trucks or HMV. These could be narrow lanes or congested areas where entry of heavy transport vehicle could obstruct smooth flow of traffic.

दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या, मोटर वाहन कराधान, लाइसेंस और परमिट तथा सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व के बारे में जानकारी/डेटा का प्राथमिक स्रोत है। टीआरडब्ल्यू इस प्रकाशन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन आयुक्तों से जानकारी एकत्र करता है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए आरटीवाईबी का प्रकाशन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

(iii) **भारत में सड़क दुर्घटनाएँ:** यह प्रकाशन एक कैलेंडर वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों के सभी पहलुओं पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डेटा प्रदान करता है। टीआरडब्ल्यू द्वारा कैलेंडर वर्ष के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटा (एपीआरएडी) आधार परियोजना के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत (यूएनईएससीएपी) द्वारा उपलब्ध कराए गए मानकीकृत प्रारूपों में डेटा एकत्र किया जाता है। "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ" का नवीनतम अंक कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए है । वर्ष 2023 के लिए प्रकाशन अनुमोदन चरण में है।

(iv) **राज्य सड़क परिवहन उपक्रम (एसआरटीयू) के कार्य निष्पादन की समीक्षा :** यह प्रकाशन राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एसआरटीयू के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है। प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट वर्ष 2018-19 के लिए है। वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए रिपोर्ट का प्रकाशन अनुमोदन चरण में है।

7.3.3 प्रकाशनों के आंकड़ों से यथा स्पष्ट भारत में सड़क एवं सड़क परिवहन क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) **सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका:** '2020-21 और 2021-22 के लिए सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका' रिपोर्ट का प्रकाशन अनुमोदन चरण में है। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, देश में पंजीकृत वाहनों की संख्या 31 मार्च, 2021 की अवधि तक लगभग 3,355 लाख (335 मिलियन) और 31 मार्च, 2022 की अवधि तक 3,540 लाख (354 मिलियन) थी, जो क्रमशः 2011 से 2021 और 2012 से 2022 के दौरान 8.99 प्रतिशत और 8.30 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर दर्ज करती है। 31 मार्च , 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कुल पंजीकृत वाहनों में दोपहिया वाहन क्रमशः 74.5 प्रतिशत और 74.4 प्रतिशत हैं **(परिशिष्ट-11)**। पंजीकृत वाहनों में दोपहिया वाहन सबसे बड़ा खंड है। वर्ष 2020-2021 और 2021-22 के लिए "परिवहन" वाहनों की श्रेणी में कुल पंजीकृत वाहनों का हिस्सा क्रमशः 8.5 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत है, जबकि गैर-परिवहन वाहनों में शेष 91.5 प्रतिशत और 91.7 प्रतिशत हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय तुलना से पता चलता है कि विकसित देशों में कार व्यापता अनुपात अधिक है, जबकि विकासशील देशों में दोपहिया वाहनों की व्यापता अधिक हैं।

(ii) **भारत में सड़क दुर्घटनाएँ:** जहाँ तक कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट का सवाल है, देश में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 4,43,366 लोग घायल हुए और 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई। कैलेंडर वर्ष 2005 से 2022 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, घायलों और मृतकों

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ–ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

This sign indicates that the road has been prohibited for plying of Bullock & Hand Carts. These slow moving carts many a times hinder the smooth flow of traffic.

की संख्या का रुख **परिशिष्ट-12** में दिया गया है।

- वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 11.9%, मरने वालों की संख्या में 9.4% तथा घायलों की संख्या में 15.3% की वृद्धि हुई है।
- हालाँकि, प्रति 100 दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में व्यक्त दुर्घटना की गंभीरता 2021 में 37.3 से घटकर 2022 में 36.5 हो गई है।
- कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए सड़क दुर्घटना पीड़ितों की आयु प्रोफ़ाइल से पता चलता है कि 2022 के दौरान 18-45 वर्ष की आयु के युवा वयस्क पीड़ित 66.5% हैं। 2022 के दौरान कुल सड़क दुर्घटना में 18-60 वर्ष की आयु के कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु दर 83.4% है।
- वाहन श्रेणियों में सड़क दुर्घटनाएं, 2022 में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की कुल संख्या सबसे अधिक दोपहिया वाहनों (44.5%) में थी, इसके बाद पैदल यात्री (19.5%), कार, टैक्सी, वैन और एलएमवी वाहन (12.5%), ट्रक/लॉरी (6.3%), ऑटो-रिक्शा (3.9%), साइकिल (2.9%), बसें (2.4%), और अन्य (8.0%) का स्थान है।

  यातायात नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत, सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक तेज गति है, जिसकी वजह से 2022 में 72.3% सड़क दुर्घटनाएं हुई और सड़क दुर्घटना में 71.2% मौतें हुई है।

(iii) **भारत की आधरभूत सड़क सांख्यिकी:** भारत की आधारभूत सड़क सांख्यिकी 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक सड़कों की कुल लंबाई 63,60,004 किलोमीटर है। सड़कों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	श्रेणी	2020		
		कुल	सतही	कुल सड़क में % हिस्सा
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	1,32,995	1,32,995	2.1
2	राज्यीय राजमार्ग	1,78,749	1,77,710	2.8
3	जिला सड़कें	6,16,964	5,92,587	9.7
4	ग्रामीण सड़कें (*)	44,95,948	26,16,982	70.7
5	शहरी सड़कें	5,48,394	4,42,295	8.6
6	परियोजना सड़कें	3,86,954	1,66,879	6.1
	कुल (जेआरवाई सड़कों सहित)	63,60,004	41,29,448	
	कुल में प्रतिशत हिस्सा		**64.9**	

(*) इसमें 1990-1999 के दौरान जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) के अंतर्गत निर्मित 9 लाख किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।

धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं। इसलिए, कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

The slowest form of transport many a times becomes obstruction to the free flow of traffic hence certain zones have been demarcated where bullock carts are not allowed to ply.

31 मार्च, 2020 तक, राष्ट्रीय राजमार्ग देश में कुल सड़क नेटवर्क का 2.1%, राज्यीय राजमार्ग 2.8% और ग्रामीण सड़कों (जेआरवाई सहित) का हिस्सा सबसे अधिक 70.7% था, इसके बाद जिला सड़कें (9.7%) और शहरी सड़कें (8.6%) थीं। कुल सड़क लंबाई में सतही सड़कों का प्रतिशत 64.9% था। देश की कुल सड़क की लंबाई 1951 में 3.99 लाख किमी से बढ़कर 2020 में 63.6 लाख किमी हो गई, जो 2010 की तुलना में 2020 में 3.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रही है। 1951 से 2020 तक कुल सड़क लंबाई का श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट - 13** में है।

(iv) **राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की समीक्षा और कार्य निष्पादन**: 'वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा' रिपोर्ट का प्रकाशन अनुमोदन चरण में है।

अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 58 रिपोर्टिंग एसआरटीयू के पास कुल 1,47,032 बसें थीं, जिनमें से 1,06,293 बसें संचालित की गईं, जिसका तात्पर्य है कि 2021-22 के दौरान बेड़े का औसत उपयोग 72.29% रहा। 2021-22 में 58 एसआरटीयू द्वारा संसूचित समेकित निवल हानि 30,19,193.16 लाख रुपये थी। 2021-22 में 58 रिपोर्टिंग एसआरटीयू की संयुक्त कर्मचारियों की संख्या 6,45,954 थी और कर्मचारियों तथा बस का अनुपात 4.39 था। 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान 58 रिपोर्टिंग एसआरटीयू का संयुक्त वास्तविक कार्य निष्पादन **परिशिष्ट-14** में दिया गया है।

प्रत्येक एसआरटीयू के लिए निवल लाभ/हानि अंतर्निहित परिचालन दक्षता मानदंडों जैसे बेड़े की आयु, बेड़े का उपयोग, अधिभोग अनुपात, स्टाफ उत्पादकता आदि पर निर्भर करते हुए अलग-अलग होती है।

कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

Some times roads are intersected by the river without the provision of bridge. These roads are connected through ferry service. This sign indicates that there is a ferry service available to cross the river.

जियो कंपोजिट कार्य की प्रगति

बायो इंजीनियरिंग

तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर/चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर/चटट्ानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए।

In hilly roads the rocks fall on road during landslides in extreme climates. This sign shows that the road ahead is prone to such falling of rocks and driver should drive carefully to avoid crash.

अध्याय-VIII

अनुसंधान और प्रशिक्षण

8.1 सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) की भूमिका सड़क और पुल निर्माण के लिए मानकों और विनिर्देशों का अद्यतन करना है, ताकि लागत इष्टतमीकरण, तीव्र आपूर्ति, अधिक टिकाऊपन, सुरक्षा और सेवाक्षमता तथा पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित ध्यान केंद्रित करते हुए राजमार्गों की कुशल योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान योजनाएं आम तौर पर जरूरत आधारित और 'व्यवहारिक' प्रकृति की होती हैं, जो मानकों, विशिष्टताओं, दिशानिर्देशों आदि को तैयार करने में मदद करती हैं जिनका उपयोग राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वियन में लगी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अध्ययन क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, सुरंगों आदि के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। ये अनुसंधान कार्य विभिन्न ख्याति प्राप्तं अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं के माध्यिम से कराए जाते हैं। अनुसंधान निष्कंर्षों का प्रचार-प्रसार भारतीय सड़क कांग्रेस के द्वारा उनकी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से किया जाता है और इसके अलावा इन निष्करर्षों को भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देशों / कार्य संहिताओं / मैनुअलों में, मंत्रालय के विनिर्देशों में, अत्याकधुनिक रिपोर्टों में और मंत्रालय द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों / अनुदेशों / परिपत्रों में शामिल किया जाता है। इस प्रकार, देश में सड़क अवसंरचना संबंधी विकास में अनुसंधान कार्य की महत्वापूर्ण भूमिका है।

8.2 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (वर्ष 2024 में)

8.2.1 सड़कों और पुलों के विकास के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान योजनाओं को मंजूरी दी गई है :

- ❖ सीएसआईआर-सीआरआरआई, नई दिल्ली और आईआईपी, देहरादून द्वारा 3.21 करोड़ रुपये की लागत से "बिटुमिनस सड़क निर्माण में उपयोग के लिए कृषि अपशिष्ट से बायो बाइंडरों का विकास"
- ❖ एनआईटी राउरकेला द्वारा 2.52 करोड़ रुपये की लागत से "भारी यातायात सड़क के लिए उच्च पॉलिमर संशोधित बिटुमेन बाइंडर और मिश्रण का विकास और मूल्यांकन"
- ❖ आईआईटी रुड़की द्वारा 3.38 करोड़ रुपये की लागत से "पुल अवसंरचना एप्लीकेशन्स में अल्ट्रा-हाई-परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्सड कंक्रीट (यूएचपीएफआरसी) के लिए डिजाइन मानदंडों की व्युत्पत्ति"
- ❖ आईआईटी तिरुपति द्वारा 7.82 करोड़ रुपये की लागत से "यूएचपीएफआरसी तत्वों के लिए मिक्स डिजाइन, संरचनात्मक निष्पादन और निर्माण दिशानिर्देश"

सुरंगों के विकास के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी गई है:

आईआईटी रुड़की द्वारा 82.79 लाख रुपए की लागत से "हिमालय में सुरंगों की भूकंपीय भेद्यता"।

यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं।
This sign indicates that the Hand Cart is prohibited on the demarcated road as it would hinder the flow of fast moving traffic.

8.2.2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरंग परियोजनाओं पर तकनीकी सहयोग के लिए शैक्षणिक संस्थान और सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन

सुरंग परियोजनाएँ खासकर चुनौतीपूर्ण इलाकों में संपर्कता बढ़ाने, यात्रा के समय को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय परिवहन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुरंग निर्माण की योजना, डिजाइन और निष्पादन में सुधार के लिए उन्नत तकनीकों और नवोन्मेषी समाधानों को अपनाने को प्राथमिकता दी है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, वर्ष 2024-25 के दौरान, मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरंग परियोजनाओं पर तकनीकी सहयोग के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी (डब्ल्यूपीयू), पुणे
- दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू), दिल्ली
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), इंदौर
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)
- राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान (एनआईआरएम)

8.3 वार्षिक अनुसंधान योजना अवधारणा

मंत्रालय ने सभी हितधारकों के परामर्श से व्यवहारिक एवं आवश्यकता आधारित तथा भविष्योन्मुखी अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान करने के लिए वर्ष 2022-23 से "वार्षिक अनुसंधान योजना" की अवधारणा शुरू की है।

8.4 नई सामग्री और प्रौद्योगिकी

8.4.1 मंत्रालय का प्रयास राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई/वैकल्पिक सामग्रियों/प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने लंबी अवधि के पुलों के लिए यूएचपीएफआरसी जैसी उन्नत सामग्री का उपयोग बढ़ाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं।

8.4.2 राष्ट्रीय राजमार्गों की चल रही परियोजनाओं में निम्नलिखित नई/वैकल्पिक सामग्रियों का भी उपयोग किया जा रहा है। सक्षम दिशा-निर्देशों और नियमित निगरानी के माध्यम से ऐसी सामग्रियों के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

1. कॉयर/जूट सहित जियो-सिंथेटिक्स
2. फ्लाई ऐश

दाएं मुड़ना मना है
Right Turn Prohibited

3. अपशिष्ट प्लास्टिक
4. उपांतरित बिटुमेन (सीआरएमबी, पीएमबी, एनआरएमबी)
5. सीमेंट उपचारित उप-आधार/ आधार
6. मृदा स्थिरीकरण
7. जियो कंपोजिट
8. ग्रांऊड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लेग
9. जियो ग्रिड/सोइल नेलिंग और अन्य उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ढलान स्थिरीकरण
10. पीक्यूसी में फाइबर
11. सिलिका फ्यूम
12. तटबंध में डोलाचेर (स्पंज आयरन का अवशिष्ट)।
13. मिट्टी गिट्टी के रूप में स्टील और आयरन स्लैग
14. एल्कोफाइन/माइक्रोसिलिका
15. रीक्लेम्ड एसफाम्ट पेवमेंट
16. कॉपर स्लैग
17. जिंक स्लैग
18. रीसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट
19. अल्ट्रा-उच्च प्रदर्शन फाइबर रीइंफोस्ड कंक्रीट (यूएचपीएफआरसी)
20. औद्योगीकृत प्री-कास्ट कंक्रीट तत्व
21. ग्लास फाइबर रीइंफोस्ड पॉलिमर रेबार (जीएफआरपी)
22. छोटे पैनल वाला कंक्रीट फुटपाथ
23. बाँडेड कंक्रीट फुटपाथ
24. जैव बिटुमेन
25. फाइबर रीइंफोस्ड माइक्रो-सरफेसिंग
26. बांस का क्रैश बैरियर
27. प्री-स्ट्रेस्ड प्रीकास्ट कंक्रीट फुटपाथ
28. ग्राफीन मोडिफाइड एस्फाल्ट (जीआईपीएवीई)
29. हाई मॉड्यूलस एस्फाल्ट
30. स्टोन मैट्रिक्स एस्फाल्ट
31. हॉट इन प्लेस पुनर्चक्रण
32. टेक्सटाइल रीइंफोस्ड कंक्रीट

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़ें।
This sign directs driver not to turn towards right side in any circumstance.

33. भविष्योन्मुखी लचीला फुटपाथ
34. सतत फुटपाथ
35. रोलर संकुचित कंक्रीट फुटपाथ
36. आरएपी के साथ जियो-पॉलिमर कंक्रीट
37. ग्राफीन संवर्धित कंक्रीट
38. ठोस घरेलू नगरपालिका अपशिष्ट पेवर ब्लॉक
39. प्राकृतिक रेत का कंक्रीट में प्रतिस्थापन के रूप में बॉटम पांड ऐश
40. वार्म मिक्स एस्फाल्ट (डब्ल्यूएमए)
41. गैप-ग्रेडेड रबराइज्ड बिटुमेन (जीजीआरबी)
42. सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मैकडैम (सीजीबीएम)
43. सेल्फ हीलिंग कंक्रीट
44. चमकने वाले सड़क चिन्हांकन
45. स्थिरीकरण प्रौद्योगिकी
46. पूर्वनिर्मित मॉड्यूलर स्टील ब्रिज
47. फॉस्फोरस-जिप्सम का पुन: उपयोग
48. सफ़ेद टॉपिंग
49. बायो-सीमेंट
50. रिसायकलिंग किया गया ग्लास एग्रीगेट
51. स्वचालित एवं कुशल मशीन-सहायता प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण (एआईएमसी)

8.4.3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में "गुणवत्ता सर्वप्रथम" मंत्र, गुणवत्ता आश्वासन को सख्ती से लागू करने और गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र पर लगातार ध्यान केंद्रित किया गया है। तदनुसार, समय से पहले परेशानी का कारण बनने वाली एवं गुणवत्ता में चूक के लिए ठेकेदार/रियायतग्राही /परामर्शदाता को दंडित करने/निषिद्ध करने/गैर-निष्पादक घोषित करने के लिए कुशल दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

8.5 मानकीकरण

ग्रामीण सड़कों सहित राजमार्ग सुविधाओं के कुशल और किफायती विकास के लिए भू-भाग, मिट्टी और जलवायु में परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में मानकीकृत तरीकों को अपनाना जरूरी है। इस मोर्चे पर, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) ने सड़कों, पुलों और यातायात अभियांत्रिकी के विभिन्न पहलुओं पर मानकों, विनिर्देशों, तरीकों का संहिता, दिशानिर्देशों और नियमावली को तैयार / संशोधित कर इस पेशे में बहुमूल्य योगदान दिया है। वर्ष 2024 के दौरान आईआरसी द्वारा चार पत्रिकाओं, नामत: इंडियन हाईवेज (मासिक), जर्नल ऑफ आईआरसी (त्रैमासिक), हाईवे रीसर्च जर्नल (अर्धवार्षिक) और हाईवे रीसर्च रिकॉर्ड (वार्षिक) के प्रकाशन के अलावा निम्नलिखित दस्तावेजों को अनुमोदित किया गया है।

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े।
This sign indicates that left turn is prohibited.

2024 में आईआरसी द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़

क्र.सं.	आईआरसी प्रकाशन संख्या	दस्तावेज़ का नाम
1	आई.आर.सी.:5 का संशोधन	सड़क पुलों के लिए मानक विनिर्देश और अभ्यास संहिताखंड-I डिजाइन की सामान्य विशेषताएं (नौवां संशोधन)
2	आई.आर.सी.:40 का संशोधन	सड़क पुलों के लिए मानक विनिर्देश और अभ्यास संहिताखंड-IV ईंट, पत्थर और सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक चिनाई (तीसरा संशोधन)
3	आई.आर.सी.:78 का संशोधन (भाग-1)	सड़क पुलों की नींव और उपसंरचना के लिए मानक विनिर्देश और अभ्यास संहिता भाग - 1 सामान्य विशेषताएं और कार्यशील तनाव डिजाइन (तृतीय संशोधन)
4	आईआरसी:139	मल्टीमॉडल पैसेंजर टर्मिनलों के लिए दिशानिर्देश
5	आईआरसी:एसपी:35 का संशोधन	पुल प्रबंधन, सूची, निरीक्षण और रखरखाव के लिए मैनुअल(प्रथम संशोधन)
6	आईआरसी:एसपी:104 का संशोधन	स्टील पुलों के निर्माण और स्थापना के लिए दिशानिर्देश(प्रथम संशोधन)
7	आईआरसी:एसपी:140	राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए लघु स्लैब कंक्रीट फुटपाथ के डिजाइन के लिए दिशानिर्देश
8	आईआरसी:एसपी:142	लाल बत्ती उल्लंघन पहचान प्रणाली(आरएलवीडीएस) के लिए मैनुअल
9	आईआरसी:एसपी:143	सड़क पुलों के लिए स्टील कंक्रीट कम्पोजिट बॉक्स गर्डर सुपरस्ट्रक्चर पर दिशानिर्देश
10	आईआरसी:एसपी:144	स्टील पुलों के विवरण के लिए दिशानिर्देश
11	आईआरसी:एसपी:59-2019 में संशोधन	सड़क फुटपाथ और संबंधित कार्यों में जियोसिंथेटिक्स के उपयोग के लिए दिशानिर्देश (प्रथम संशोधन)
12	आईआरसी:एसपी:32-2023 में संशोधन	स्कूलों तक सुरक्षित आवागमन के लिए दिशानिर्देश(प्रथम संशोधन)
13	आई.आर.सी.:24-2010 में संशोधन	सड़क पुलों के लिए मानक विनिर्देश और अभ्यास संहिताखंड V - स्टील रोड ब्रिज (सीमा राज्य विधि)(तीसरा संशोधन)
14	आईआरसी:112-2020 में संशोधन	कंक्रीट सड़क पुलों के लिए अभ्यास संहिता(प्रथम संशोधन)
15	आईआरसी:एसपी:114-2018 में संशोधन	सड़क पुलों के भूकंपीय डिजाइन के लिए दिशानिर्देश

सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों (इंटरसेक्शन) पर यह चिन्ह देखा जा सकता हैं। इन चौराहों पर वापस मुड़ने (यू–टर्न) से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन न करें।

This sign can be seen at some of the busy intersections on roads. The U-turn at these intersection could result in major crashes or traffic jams. The driver should not violate this sign to avoid fine and any untoward incident.

8.6 मंत्रालय द्वारा 2024 के दौरान जारी किए जाने वाले दिशानिर्देश/परिपत्र

- राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्षतिग्रस्त कठोर फुटपाथ की उचित मरम्मत के लिए दिनांक 27 दिसंबर , 2024 का पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/21-एसएंडआर (पीएंडबी) (कंप्यूटर संख्या 194425)।
- दिनांक 13 दिसंबर, 2024 के पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2021-एसएंडआर(पीएंडबी) (कंप्यूटर संख्या 194425) के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नीतिगत परिपत्रों का कार्यान्वयन।
- पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/55/2021-एसएंडआर (पीएंडबी) पीटी/हिल स्लोप मॉनिटरिंग (कंप्यूटर संख्या 219394), दिनांक 28 नवंबर , 2024 के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के लिए किफायती दीर्घकालिक सुधारात्मक उपायों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट।
- पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35083/02/2024-एसएंडआर (कंप्यूटर संख्या 238879), दिनांक 26 नवंबर , 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और रखरखाव कार्यों में बिटुमिनस कंक्रीट वेयरिंग कोर्स मिक्स में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग।
- पत्र संख्या फाइल संख्या डीजी (आरडी) और एस5/02/2024 (भाग) [कंप्यूटर संख्या 244075] दिनांक 7 नवंबर , 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के संबंध में परिपत्रों/दिशानिर्देशों का व्यापक संग्रह।
- पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35083/09/2024-एसएंडआर (पीएंडबी) (कंप्यूटर संख्या 241094), दिनांक 3 अक्टूबर , 2024 के तहत व्हाइट टॉपिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/27/2024-एसएंडआर (पीएंडबी) (कंप्यूटर संख्या 243038), दिनांक 23 सितंबर , 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निष्क्रिय सामग्री के उपयोग पर नीति दिशानिर्देश।
- पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-34049/01/2020-एसएंडआर (पीएंडबी) पीटी. (कंप्यूटर संख्या 207229), दिनांक 20 सितंबर , 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव में नई/वैकल्पिक सामग्री और प्रौद्योगिकी का उपयोग और उसमें मूल्य इंजीनियरिंग प्रथाओं को अपनाना।
- ईफाइल संख्या आरडब्लू/एनएच-33044/02/2023-एस एंड आर (कंप्यूटर संख्या 218375) दिनांक 12 सितंबर , 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित सड़क कार्यों के लिए मानक ईपीसी अनुबंध समझौता-पत्र संख्या के अनुसार प्राधिकरण के इंजीनियर द्वारा परीक्षण जांच में संशोधन।
- परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-34066/09/2017-एसएंआर(बी),दिनांक 12 फरवरी, 2021 के तहत सख्त अनुपालन : सड़क और पुल निर्माण कार्यों के लिए मंत्रालय के विनिर्देशों के खंड 100.9.3.1 और परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच -34049/03/2020-एसएंआर(बी),दिनांक 22 जनवरी, 2021 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों में स्टेनलेस स्टील के उपयोग और पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच -34066/09/2017-एसएंआर(बी), (कंप्यूटर संख्या 185417), दिनांक 3 सितंबर,

2024 के तहत समुद्री वातावरण में गंभीर जंग के लिए अतिसंवेदनशील अन्य केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं का निर्माण किया जाना।

- पत्र संख्या ईफाइल आरडब्ल्यू/एनएच-33044/25/2024-एसएंडआर (पीएंडबी) (कंप्यूटर संख्या 240989) दिनांक 28 अगस्त , 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए एकल बोली की स्वीकृति।
- पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-36098/05/2024-एसएंडआर (पीएंडबी) (कंप्यूटर संख्या 235702) दिनांक 29 जुलाई , 2024 के माध्यम से राज्य पीडब्ल्यूडी, बीआरओ और मंत्रालय के पीआईयू के माध्यम से निष्पादित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन
- पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एसएंडआर (बी), दिनांक 12 जून , 2024 के तहत देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों (एचटी-1 से एचटी-13) पर एकल इकाई ओडीसी/ओडब्ल्यूसी खेप के लिए ऑनलाइन अनुमति।
- पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/22/2020-एसएंडआर (पीएंडबी) (कंप्यूटर संख्या 186381), दिनांक 4 जून , 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए शोल्डर (पेव्ड और अर्दन) की चौड़ाई
- पत्र संख्या ईफाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच -35072/05/2018-एसएंडआर (पीएंडबी) (कंप्यूटर संख्या 165688), दिनांक 19 अप्रैल , 2024 के तहत भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे कार्यों के लिए विभिन्न जलवायु और यातायात लोडिंग के लिए अनुशंसित बिटुमेन प्रकार और ग्रेड

8.7 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई)

8.7.1 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आईएएचई की व्यापक गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

- नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं का प्रशिक्षण।
- वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अभियंताओं के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- सड़क विकास में शामिल वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं और प्रशासकों के लिए लघु अवधि के तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम।
- राजमार्ग क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों और नए रुझानों में प्रशिक्षण।
- घरेलू और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास।
- अल्पकालिक पाठ्यक्रम/प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करना, सड़क सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना और देश में सड़कों और राजमार्गों की योजना/डिजाइन/निर्माण और प्रबंधन में सहयोगात्मक अनुसंधान आयोजित करना।
- सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और गुणवत्ता नियंत्रण पर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अफ्रीकी/अन्य विदेशी देशों के अभियंताओं का प्रशिक्षण।

8.7.2 वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान, अकादमी ने 55 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहायक विद्युत अभियंताओं के लिए एक 10 महीने का फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक एनएचएआई के उप प्रबंधकों के लिए 16 सप्ताह का फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम, एनएचएआई के कॉरिडोर प्रबंधन अधिकारियों (सीएमओ) के लिए एक कॉरिडोर प्रबंधन प्रशिक्षण, परामर्शदाताओं के कर्मियों के लिए राजमार्ग परियोजनाओं के लिए डीपीआर की तैयारी पर सात अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम , राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के अधिकारियों के लिए एक पाठ्यक्रम और सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षकों के लिए आठ 15 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं।

इसके अलावा, अकादमी परिसर के बाहर चार पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें से तीन कार्यक्रम "पुलियों और छोटे/छोटे पुलों के डिजाइन निर्माण और रखरखाव" पर छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए (रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में एक-एक) और एक "भूस्खलन रोकथाम नियंत्रण और शमन उपाय" पर केरल के नेरियामंगलम में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 350 पेशेवरों ने भाग लिया। तीन मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनमें से प्रत्येक मुख्य अभियंता (सीई), अधीक्षण अभियंता (एसई) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्यकारी अभियंता (ईई) के लिए आयोजित किए गए, जिसमें मंत्रालय के 24 अभियंताओं ने भाग लिया। कुल 1613 अभियंताओं और पेशेवरों ने अकादमी के परिसर में/परिसर के बाहर, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

8.7.3 आईएएचई में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली केंद्र (सीएटीटीएस) की स्थापना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के दौरान 48.71 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की (संशोधित लागत 2023-24 के दौरान 55.89 करोड़ रुपये मंजूर की गई), ताकि न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सिडनी और दो प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में आईएएचई में सीएटीटीएस की स्थापना के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सक्षम वातावरण तैयार करने हेतु एक परियोजना शुरू की जा सके। परियोजना का व्यापक दायरा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भारत विशिष्ट मैक्रो-मॉडल (कम्प्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल) और भारत विशिष्ट शहरी व्यापक डेटा मॉडल का निर्माण करना है। ये मॉडल परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने, क्षेत्रवार और देश भर में व्यापक आर्थिक लाभों का मूल्यांकन करने, अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का विश्लेषण करने, विभिन्न विकल्पों में से कॉरिडोर/चौराहे के स्तर पर किसी समस्या के लिए सबसे कुशल समाधान का चयन करने, यातायात कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के लिए कुशल आईटीएस समाधान तैयार करने, सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन करने आदि में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेंगे। चरण-1 "आरंभ रिपोर्ट" यूएनएसडब्ल्यू द्वारा प्रस्तुत की गई है, आईआईटी रुड़की द्वारा अनुशंसित और सीएटीटीएस के लिए परियोजना निगरानी और निरीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित की गई है। चरण-2 के तहत डेटा को पर्याप्त रूप से एकत्र किया गया है जिसमें मेरठ और नागपुर शहर के लिए यातायात और वीडियोग्राफी डेटा शामिल है, और डेटा विश्लेषण जारी है।

बाएं मुड़ना अनिवार्य
(दाएं यदि संकेत विपरीत है)
Compulsory Turn
Left (Right if Symbol
is Reversed)

भारतीय सडक कांग्रेस का 83वां सत्र

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी

इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.

अंबाला कोटपुतली पहुंच नियंत्रित गलियारा एनएच-152डी

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे (मध्यप्रदेश खंड)

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.

अध्याय-IX

प्रशासन और वित्त

(क) प्रशासन

9.1 मंत्रालय को अपने 1118 कर्मचारियों (समूह क, ख और ग) की सेवा और प्रशासनिक मामलों, हाउसकीपिंग संबंधी कार्यों और वेतन और अन्य व्यय के आहरण और संवितरण का कार्य सौंपा गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि द्वारा जारी अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन किया जाता है। कर्मचारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, मंत्रालय द्वारा 2019-20 से ई-एचआरएमएस को लागू किया गया है।

9.2 मंत्रालय के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं। मंत्रालय में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में जानकारी **परिशिष्ट-4** में दी गई है।

9.3 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन कागजात समय पर वेतन एवं लेखा कार्यालय में जमा कर दिए जाते हैं तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम कार्य दिवस पर सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान कर दिया जाता है।

9.4 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री ने भारत में प्रत्येक सिविल सेवक की दक्षताओं को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) और कर्मयोगी भारत की स्थापना की गई।

इस सतत शिक्षा और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, डीओपीटी, सीबीसी और कर्मयोगी भारत ने संयुक्त रूप से एक सप्ताह तक चलने वाले शिक्षण अभियान 'कर्मयोगी सप्ताह' का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने 19 अक्टूबर, 2024 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया।

19 अक्टूबर, 2024 से 27 अक्टूबर, 2024 तक राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा कुल 1,405 पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया गया। इसके अलावा, मंत्रालय के मीडिया सेंटर में विख्यात व्यक्तियों द्वारा तीन वेबिनार प्रसारित किए गए, जिनमें कर्मचारियों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण आयोग ने वेबिनार श्रृंखला अर्थात् 'कर्मयोगी वार्ता' के लिए प्रमुख विचारकों और विशेषज्ञों की सूची भी तैयार की है। इस कार्यक्रम के तहत हर बुधवार को सुबह 9:30 बजे साप्ताहिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। मंत्रालय के कर्मचारियों को आईजीओटी पोर्टल पर सत्रों में भाग लेने के अनुदेश दिए गए हैं।

यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है।

This sign directs the driver to turn right only. Obeying this sign will lead to safety and hassle free drive.

9.5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में एक कल्याण प्रकोष्ठ भी मौजूद है जो मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याण संबंधी सभी कार्यकलाप करता है। मंत्रालय के कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विदाई देने के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है और स्मृति चिन्ह तथा उपहार भी भेंट किए जाते हैं। मंत्रालय की महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय किए गए।

9.6 विभागीय अभिलेख कक्ष

मंत्रालय में ई-ऑफिस को अपनाने के कारण भौतिक फाइलों के अभिलेख तैयार करने में काफी कमी आई है। मंत्रालय द्वारा अभिलेख प्रबंधन पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक विशेष अभियान 4.0 के दौरान कुल 27237 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई और इनमें से 4889 फाइलों को हटाया गया। इसके अलावा, कुल 6240 ई-फाइलों की समीक्षा की गई और इनमें से 3483 ई-फाइलें बंद कर दी गईं। ये फाइलें एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, आईएएचई, सडक परिवहन स्कंध, सडक स्कंध और क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित हैं।

9.7 शिकायत और नागरिक चार्टर प्रकोष्ठ: – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ओ एंड एम इकाई कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के प्रावधानों के कार्यान्वयन, प्रेरक सामग्री के निर्माण/अद्यतन, अभिलेख प्रबंधन, नागरिक चार्टर तैयार करने और अन्य संबद्ध गतिविधियों से संबंधित है। इस इकाई में शिकायत और नागरिक चार्टर प्रकोष्ठ भी शामिल है, जिसे सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित और तुरंत निपटान के लिए बनाया गया है।

9.8 शिकायत निवारण और सीपीजीआरएएमएस: मंत्रालय में लोक शिकायत निवारण तंत्र की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (ओ एंड एम) करते हैं। उन्हें लोक शिकायतों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त होने वाली लोक शिकायतों को शीघ्र निवारण करने के लिए संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को भेजा जाता है। वेब आधारित शिकायत निवारण तंत्र, केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भी मंत्रालय में कार्य कर रही है और इसका नवीनतम 7.0 संस्करण में अद्यतन किया गया है।

मंत्रालय में एक कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है। संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के प्रभारी निदेशक/उप सचिव को शिकायतों की सुनवाई करने तथा शिकायत याचिकाएं प्राप्त करने के लिए कर्मचारी शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव (ओ एंड एम) भी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपलब्ध हैं।

9.9 ई-ऑफिस

9.9.1 बडे पैमाने पर की जा रही लिखित कागजी कार्रवाई को समाप्त करके पारंपरिक सरकारी कार्यालयों को अधिक कार्यक्षम और पारदर्शी ई-ऑफिस में परिवर्तित करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा संचालित ई-ऑफिस का लक्ष्य अंत:सरकारी और अंतर-सरकारी प्रक्रियाओं अधिक प्रभावी और पारदर्शी पारदर्शी बनाने के लिए गवर्नेंस में सहायता प्रदान करना है।

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है।
This sign directs the traffic to either move straight or take right turn. Turning towards left is prohibited.

ई-ऑफिस सुविधा का अभिन्न अंग ई-फाइल प्रणाली, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों के लिए डिजाइन की गई है, ताकि फाइल का सृजन, नोटिंग, संदर्भन, पत्राचार संलग्नक, अनुमोदनार्थ प्रारूप और अंतत: फाइलों के संचलन एवं पावतियों के साथ ही स्कैनिंग, रजिस्टरिंग और रूटिंग द्वारा कागज रहित कार्यालय सक्षम बन सकें।

9.9.2 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

ई-ऑफिस को पहले ही सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में कार्यान्वित कर दिया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा निर्धारित 80% ई-ऑफिस का लक्ष्य बहुत पहले ही हासिल किया जा चुका है। वर्तमान में इस मंत्रालय द्वारा 96% से अधिक कार्य ई-ऑफिस में किया जा रहा है। ई-ऑफिस से संबंधित किसी भी मुद्दे/शिकायत का समय पर निवारण किया जाता है। ई-ऑफिस के माध्यम से प्रशासन, मानव संसाधन, तकनीकी, परियोजना और वित्तीय प्रभाग एक-दूसरे से बहुत आसानी से संवाद कर रहे हैं। फाइलों की स्थिति का पता लगान भी अब बहुत आसान हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कागज रहित संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरजोर प्रयास कर रहा है।

9.9.3 परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी)

निवेशकों को संपूर्ण सुविधा और सहायता प्रदान करने तथा केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी सुगम बनाने के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु संसाधनों के विकास के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में एक परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) की स्थापना की गई है।

लक्ष्य - मंत्रालय के परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) का लक्ष्य निवेश योग्य परियोजनाओं की सक्षम और नीतियां/रणनीतियां बनाकर भारत में राजमार्गों, संबद्ध राजमार्गों और परिवहन क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से निजी निवेश आकर्षित करना है।

विजन

i. संभावित निवेशकों की पहचान करके निवेशक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र में निवेश के लिए विभिन्न निवेशक वर्ग विकसित करना और अंततः कराधान और अन्य प्रोत्साहनों सहित अन्य प्रतिस्पर्धी गंतव्यों की तुलना में भारत के लाभ का आकलन करना।

ii. विभिन्न मुद्रीकरण तंत्र के माध्यम से राजमार्गों, संबद्ध राजमार्गों (जैसे रोप-वे, मार्गस्थ सुविधाएं, इंटर मॉडल स्टेशन आदि) और परिवहन परिसंपत्ति वर्गों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इष्टतम रणनीति और डिजाइन योजनाएं विकसित करना।

iii. पूरे भारत में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (आरवीएसएफ) का नेटवर्क स्थापित करने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करके स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण नीति के आरंभ और सफल कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना।

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

9.9.4 डेटा लेक

डेटा लेक एक केंद्रीकृत एप्लीकेशन है जो राजमार्ग क्षेत्र में निर्माण से पहले, निर्माण और निर्माण के बाद के सभी कार्यकलाप को कवर करता है। डेटा लेक 2.0 को सबसे पहले एनएचएआई में कार्यान्वित किया गया और इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। सड़क स्कंध और एनएचआईडीसीएल सहित सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बेहतर डेटा समेकन, रिपोर्टिंग और एमआईएस के लिए एकरूपता लाने के उद्देश्य से मंत्रालय में डेटा लेक 2.0 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया।

इस पहल से सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसकी एजेंसियों में पारदर्शिता, दक्षता और अंतर-संचालन क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में डेटा लेक 2.0 से संबंधित सभी विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और सभी चरणों के लिए इसे शुरू किया जाएगा।

(ख) वित्त

9.10 लेखा एवं बजट

9.10.1 मंत्रालय के लिए सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वह अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रधान सीसीए) के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। प्रधान सीसीए का कार्यालय अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के समेकन, निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधान सीसीए कार्यालय को बजट, केंद्रीय लेन-देन का विवरण (एससीटी), वित्तीय लेखों और विनियोजन लेखों को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, जबकि मंत्रालय को वित्तीय और लेखांकन मामलों, रोकड प्रबंधन पर तकनीकी सलाह देने, प्रधान सीसीए का कार्यालय लेखा महानियंत्रक (सीजीए), भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी भी सौपी गई है।

9.10.2 प्रधान सीसीए के प्रशासनिक नियंत्रण में 12 क्षेत्रीय/भुगतान एवं लेखा कार्यालय (आरपीएओ/पीएओ) हैं, जो नई दिल्ली (दो), मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, रायपुर, हैदराबाद और पटना में स्थित हैं।

9.10.3 लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

(i) **ई-लेखा :** लेखांकन सूचना का दैनिक/मासिक एमआईएस/व्यय तैयार करने के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन। सभी पीएओ/आरपीएओ को लेखा पोर्टल ई-लेखा के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। उनके द्वारा अपने दैनिक लेन-देन को इस पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है, ताकि व्यय और प्राप्तियों की तारीख दैनिक आधार पर उपलब्ध हो सके। इससे व्यय और प्राप्ति पर वास्तविक समय के डेटा की उपलब्धता संभव हुई है जो व्यय/प्राप्तियों और बजटीय नियंत्रण की प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है।

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

(ii) **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):** पीएफएमएस को शुरुआत में भारत सरकार की योजनागत स्कीमों के तहत निधि जारी करने के लिए शुरू किया गया था। अब पीएफएमएस का दायरा बढ़ाकर विभिन्न मौजूदा स्टैंडअलोन प्रणालियों को एकीकृत किया गया है, जिनका उपयोग आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) और पीएओ द्वारा स्वीकृतियों, बिलों और सभी प्रकार के व्यय जैसे कार्य, अनुदान, वेतन आदि के भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है।

महालेखा नियंत्रक (सीजीए) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों में पीएफएमएस लागू कर दिया है। पीएफएमएस को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सभी 12 आरपीएओ और सभी डीडीओ में कार्यान्वित किया गया है।

(iii) **कोषागार एकल खाता (टीएसए):** टीएसए एक बैंक खाता या संबंद्ध खातों का एक समूह है जिसके माध्यम से सरकार अपनी सभी प्राप्तियों और भुगतानों का लेन-देन करती है। एकता का सिद्धांत सभी नकदी की विनिमयशीलता से उत्पन्न होता है, चाहे उसका अंतिम उपयोग कुछ भी हो। स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों (एबी/आईए) के लिए टीएसए प्रणाली का उद्देश्य एबी/आईए को 'उचित समय पर' सरकारी अनुदान जारी करने की सुविधा प्रदान करना और पीएसबी में धको जमा रखने या एबी/आईए के पास अप्रयुक्त अनुदानों के संचय से बचना है। इससे एबी/आईए को एकमुश्त नकद हस्तांतरण से बचा जा सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी खाते से आहरण की सुविधा मिल सकेगी।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में टीएसए प्रणाली लागू की गई है। एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल को सड़क निर्माण योजना के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया गया है। एनएचएआई (सीएनए) और एनएचआईडीसीएल (सीएनए) से संबंधित अनुदेशन खाता भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में खोला गया है। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा योजना के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में सीएनए खाते खोले गए हैं।

(iv) **ई-बिल :** दावों की शुरू से अंत तक डिजिटल प्रोसेसिंग और उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए ई-बिल प्रणाली की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। इस प्रणाली को पीएफएमएस, सीजीए, व्यय विभाग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था और इसे 2 मार्च, 2022 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ई-बिल प्रणाली से विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के लिए कार्यालयों में शारीरिक रूप से संपर्क किए बिना अपने बिल/दावे जमा करने में सुविधा उपलब्ध होती है और इससे वे अपने दावों को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा, यह हर चरण में ऑडिट ट्रेल्स के साथ एक तेज, कागज रहित प्रारंभ से अंत तक बिल प्रोसेसिंग प्रदान करता है। इस पहल में सहायता के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्षेत्र के अधिकारियों को ई-बिल प्रणाली से सफलतापूर्वक परिचित कराने और ई-बिल प्रक्रिया की ओर एक सहज परिवर्तन को सक्षम करने के लिए पांच से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं। मंत्रालय के सभी आरपीएओ/पीएओ और डीडीओ को ई-बिल प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया के लिए सक्षम बनाया गया है।

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.

9.10.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान सीसीए संगठन में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की स्थापना मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज में व्यवस्थित त्रुटियों और खामियों की पहचान करने और परिणामस्वरूप संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई/सुधार के लिए सलाह देने हेतु एक प्रभावी साधन के रूप में की गई है। प्रधान सीसीए का कार्यालय मंत्रालय के सभी स्कंधों के खातों की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण करता है, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान सीसीए के कार्यालय के अंतर्गत आने वाले आरपीएओ शामिल हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा दैनिक कामकाज में निष्पक्षता और वित्तीय औचित्य तथा वित्तीय विवेक के प्रति अधिक संवेदनशीलता लाने के लिए एक प्रभावी प्रबंधन साधन साबित हुई है। इससे मंत्रालय के लगभग सभी कार्यालियों में लेखा/रिकॉर्ड के रखरखाव में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत में 930 पैरा लंबित थे। 54 पैरा का निस्तारण कर दिया गया और 84 नए पैरा के बारे में जानकारी मांगी गई है। 31 दिसंबर 2024 तक 960 पैरा लंबित हैं। लंबित सी एंड एजी पैरा की स्थिति **परिशिष्ट-15** में दर्शाई गई है।

9.10.5 मंत्रालय का मुख्य शीर्ष-वार व्यय **परिशिष्ट-6** में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियों के संबंध में पिछले चार वर्षों के दौरान केंद्रीय लेन-देन विवरण (एससीटी) के अनुसार निधियों का स्रोत **परिशिष्ट-7** में दर्शाया गया है, पिछले चार वर्षों के लिए राजस्व प्राप्तियों का शीर्ष-वार विवरण **परिशिष्ट-8** में और खातों की मुख्य विशेषताएं **परिशिष्ट-9** में दर्शाई गई हैं।

9.10.6 राष्ट्रीय परमिट शुल्क योजना

(i) वर्ष 2010-11 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में माल वाहनों के परिवहन के लिए एक नई राष्ट्रीय परमिट योजना को अपनाया। इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में लगभग 1200 आरटीओ, राज्य परिवहन प्राधिकरणों आदि से राष्ट्रीय परमिट शुल्क के संग्रहण तथा सहमत सूत्र के अनुसार हर महीने के संग्रहीत शुल्क का वितरण सभी राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों में करने संबंधी समन्वय कार्य की जिम्मेदारी स्वीकार की।

(ii) राष्ट्रीय परमिट शुल्क योजना (मई, 2010 में शुरू की गई) के अनुसार ट्रांसपोर्टरों को समेकित शुल्क के रूप में प्रति वर्ष प्रति वाहन 15,000 रुपये का भुगतान करना अपेक्षित है। यह शुल्क भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संग्रहित किया जा रहा है तथा केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 2010 में निर्धारित सूत्र के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र सरकार को कोई राशि उपार्जित नहीं होगी।

(iii) राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं (राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित शुल्क के संग्रह के लिए मान्यता प्राप्त बैंकर) के माध्यम से राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित शुल्क के संग्रहण

की ऑनलाइन प्रणाली पर संबंधित प्राधिकारियों को इसकी रिपोर्टिंग और लेखांकन कार्य पीएओ (सचिवालय), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। दिसंबर, 2024 तक राष्ट्रीय परमिट शुल्क के राज्य-वार संवितरण को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-5** में दिया गया है।

9.10.7 अखिल भारतीय पर्यटक वाहन

(i) मंत्रालय ने 10 मार्च, 2021 के साकानि 166(अ) के तहत अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट प्राधिकार नियम, 2021) प्रकाशित किए हैं। योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(क) शुल्क संग्रहण

क्र.सं.	चालक को छोड़कर सवारी क्षमता के अनुसार पर्यटक वाहन की श्रेणी	प्राधिकार शुल्क (रुपये में)	वातानुकूलित परमिट शुल्क (रुपये में)	गैर-वातानुकूलित परमिट शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नौ से कम	500	25,000	15,000
2	दस या अधिक लेकिन तेईस से कम	750	75,000	50,000
3	तेईस या अधिक	1,000	3,00,000	2,00,000

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समेकित प्राधिकार या परमिट शुल्क के वितरण के लिए सूत्र: प्राधिकार या परमिट के लिए भुगतान किया गया शुल्क, जैसा भी मामला हो, क्षेत्राधिकार वाले राज्य को मासिक आधार पर प्रेषित किया जाएगा।

(ii) संग्रहित परमिट शुल्क नीचे दिए गए सुत्र के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरित किया जाता है:

एसएस = देश के लिए महीने का वास्तविक राजस्व

एसआरएन = एन वें राज्य के लिए माह का वास्तविक राज्य राजस्व

एसएसएन = एन वें राज्य का राज्य हिस्सा

$$= \frac{\text{पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य का कुल राजस्व}}{\text{पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का कुल राजस्व}}$$

स्पष्टीकरण - इस प्रयोजन के लिए, शब्द "कुल राजस्व" का तात्पर्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अंतर-राज्य परमिट शुल्क लगाने से प्राप्त राजस्व है।

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिगनल से प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते।

This sign on road indicates that this road is regulated by three-colour light signals, as driver may not expect such section of some roads.

यह शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही संग्रहित की जाती है। उपयोगकर्ता / ट्रांसपोर्टर वेबसाइट www.vahan.nic.in पर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं और अपेक्षित शुल्क का भुगतान करते हैं। यह पोर्टल बैक-एंड पर भारत-कोष पोर्टल के साथ एकीकृत है। संग्रहित किया गया संपूर्ण शुल्क मान्यता प्राप्त बैंक में जमा किया जाता है और वहां से भारत के समेकित कोष में दिन-प्रतिदिन के आधार पर जमा किया जाता है। मार्च से दिसंबर, 2024 तक अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) शुल्क का राज्य-वार वितरण दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट 10** में दिया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय परमिट और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के लिए नए समेकित शुल्क के संग्रहण, रिपोर्टिंग और लेखांकन के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा एक विशिष्ट लेखा प्रक्रिया तैयार की गई है।

(ग) सतर्कता

9.11.1 मंत्रालय की सतर्कता इकाई मंत्रालय के सतर्कता संबंधी कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। इस इकाई के प्रधान संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) मे एक अलग पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) में भी एक अंशकालिक सीवीओ है।

9.11.2 वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 63 शिकायतों की जांच की गई और उनमें से 48 शिकायतों का निपटान किया गया। एक मामले में अभियोजन की स्वीकृती दी गई और तीन मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है। जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई के परामर्श से सतर्कता संबंधी शिकायतों से निपटने के अलावा, निवारक सतर्कता पर विशेष जोर दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि सड़क स्कंध को पीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों की समय पर प्रगति/पूर्णता के साथ-साथ निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए। सड़क स्कंध को निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उनके समय पर पूरा होने में देरी का कारण बनने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए नियमित अंतराल पर सभी चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण करने की भी सलाह दी गई। पहुँच अनुमति दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और इस मुद्दे पर किसी भी शिकायत के लिए कोई गुंजाइश न छूटे, इसके लिए वास्तविक समय एमआईएस के प्रावधानों के साथ पहुँच अनुमति की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।

9.11.3 भ्रष्टाचार, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, आर्थिक विकास, पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य और ऐसे कई विकास कार्यों को कमजोर करता है। इसलिए, यह जरूरी है कि भ्रष्टाचार रोधी प्रयासों में जनता को जागरूक और प्रेरित किया जाए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं:

क. एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, आईआरसी तथा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को 28 अक्टूबर, 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 मनाने की सलाह दी गई।

ख. 28 अक्टूबर, 2024 को महानिदेशक (आरडी) एवं एसएस द्वारा मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। सत्यनिष्ठा शपथ को मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड किया गया।

ग. पूरे सप्ताह के दौरान मंत्रालय की वेबसाइट के साथ-साथ रिसेप्शन पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर "सतर्कता" के बारे में विभिन्न उद्धरण/ट्वीट प्रदर्शित किए गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशक श्री अजय कुमार वर्मा ने 30 अक्टूबर, 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को जागरूक किया और सभी अधिकारियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की।

घ. केंद्रीय सतर्कता आयोग के सोशल मीडिया हैंडल (ट्विटर: @CVCIndia; फेसबुक: CVCofIndia को भी टैग किया गया। वीएडब्ल्यू-2024 से संबंधित ग्राफिक्स और सीवीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए जिंगल भी मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए।

ङ. "शिक्षा प्रणाली और सत्यनिष्ठा की भावना का विकास: सतत राष्ट्रीय विकास का मार्ग" विषय पर हिंदी में और "Education Systems and Development of a Sense of Integrity: A path to Sustainable National Development" विषय पर अंग्रेजी में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एक समारोह में उन अधिकारियों को 3,000 रुपये, 2,500 रुपये और 2,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनके लेख अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम- कार्यान्वयन

9.12 नागरिकों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और अपील करने में सक्षम बनाने वाला एक वेब पोर्टल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किया गया है और यह इस मंत्रालय में पूरी तरह कार्यात्मक है। आवेदक को सूचना समय सीमा और छूट संबंधी खंडों सहित आरटीआई अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और उनके अधीन प्रदान की जाती है। तीन संगठनों अर्थात्: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी ने भी आरटीआई अधिनियम में निर्देशित आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए अपने अलग सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) नियुक्त किए हैं। इस मंत्रालय में विभिन्न विषयों जैसे मोटर यान अधिनियम, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर, पुल, टोल प्लाजा, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण, पेट्रोल पंपों की स्थापना, निविदाएं आदि से संबंधित आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं।

01 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 5,864 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अग्रेषित आवेदन के साथ-साथ भौतिक और ऑनलाइन आवेदन भी शामिल हैं। इसी अवधि के दौरान कुल 499 अपीलें (अग्रेषित किए गए सहित) प्राप्त हुई हैं और संबंधित एफएए को भेजी गई हैं। इस प्रणाली में संबंधित लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ)/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (एफएए) को उनके ईमेल के माध्यम से सिस्टम जनरेटेड रिमाइंडर/अलर्ट की सुविधा भी है। ऑनलाइन प्रणाली में उपलब्ध सुविधा का उपयोग करके, समय-समय पर आरटीआई आवेदनों/अपीलों के निपटान की निगरानी भी की जाती है।

यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

This sign cautions that there is a dip on road ahead. This sign helps driver to reduce the speed to cross the plunge on road.

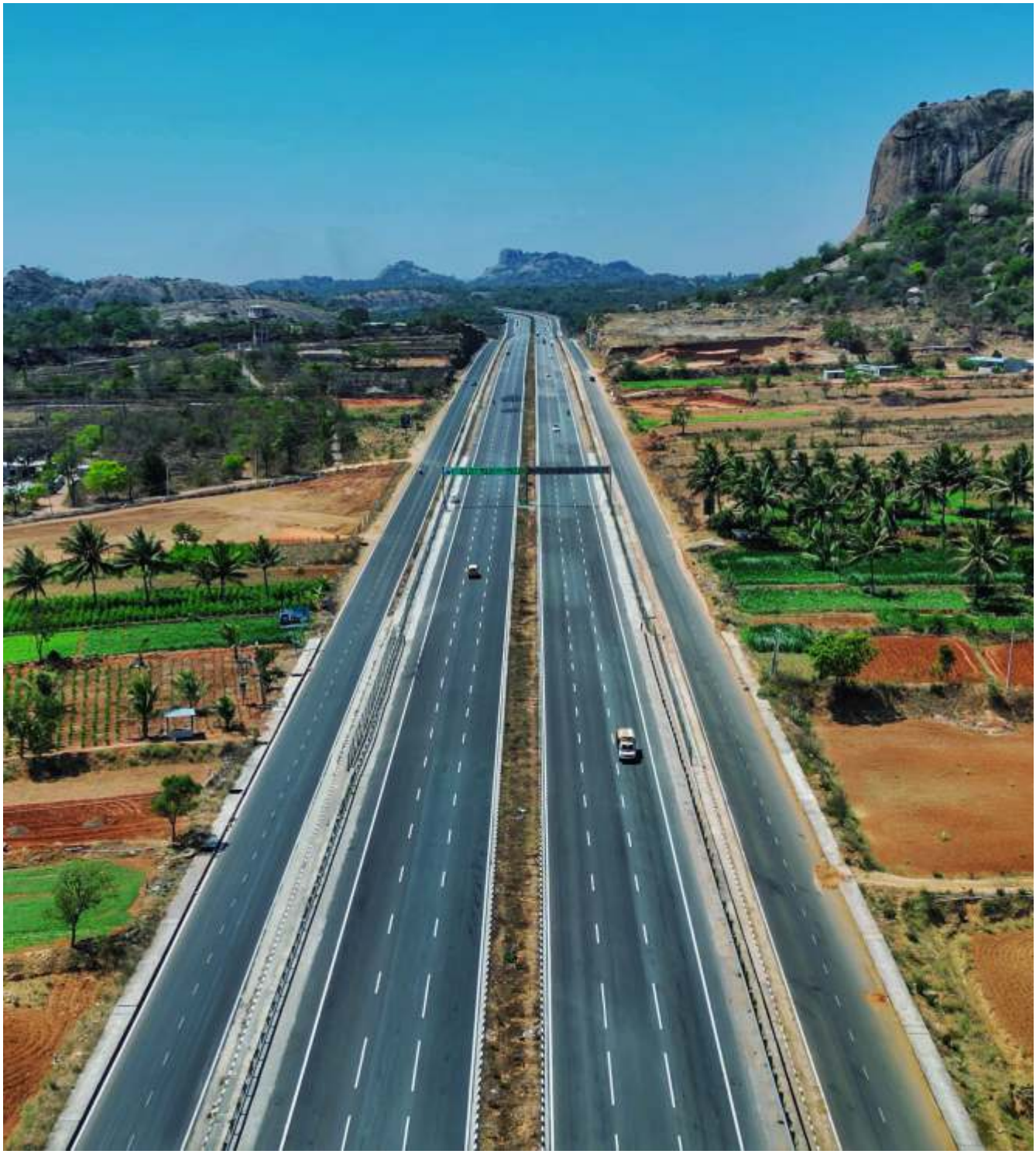

बैंगलुरू- मैसुरू पहुंच नियंत्रित गलियारा

कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है, जो यातायात को धीमा करने के लिए जान–बूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे।

Sometimes there is a hump on road intentionally created for slowing the traffic. This sign cautions the driver that he should reduce the speed to cross the hump comfortably.

अध्याय X

10.1 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हमेशा प्राथमिकता रही है। मंत्रालय में हिंदी अनुभाग राजभाषा नीति कार्यान्वित करता है।

10.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव (प्रशासन और राजभाषा) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है। मंत्रालय और इसके अधीनस्थ संगठनों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने वर्ष में (अप्रैल से दिसंबर, 2024 तक) तीन समीक्षा बैठकें आयोजित की। ये बैठकें 27 जून, 2024, 12 सितंबर, 2024 और 30 दिसंबर, 2024 को आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में त्रैमासिक हिंदी प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के तरीके सुझाए गए।

10.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथासंशोधित) की धारा 3(3) का अनुपालन और हिंदी में पत्राचार

10.3.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में यथासंशोधित) की धारा 3(3) के प्रावधानों के अनुपालन में, इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज़ द्विभाषी रूप से जारी किए जा रहे हैं।

10.3.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों, अर्थात् हिंदी में लिखे गए या हिंदी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हुए हों।

10.3.3 'क' और 'ख' क्षेत्रों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों और आम जनता के साथ हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

10.4 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा एनएचएआई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, अर्थात् रायपुर, चण्डीगढ और लखनऊ का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षण कार्यक्रमों के दौरान संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने समिति को मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति से अवगत कराया तथा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन दिया।

10.5 राजभाषा नियमों के अनुसार, मंत्रालय के हिंदी अनुभाग की टीम ने आईआरसी, एनएचआईडीसीएल और मंत्रालय तथा एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया, ताकि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का जायजा लिया जा सके और इन कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के तरीके सुझाए जा सकें।

10.6 हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के विशिष्ट उपाय

10.6.1 नकद पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना

मंत्रालय में, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं में हिंदी में टिप्पण और आलेखन करने वालों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष के दौरान हिंदी में सर्वाधिक श्रुतलेख देने वाले अधिकारियों को भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

10.6.2 हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाना

हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2024 को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री के संदेश को मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के संदर्शनार्थ परिचालित किया गया। मंत्रालय में 14 सितंबर, 2024 से 28 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिंदी सुलेख, अनुवाद, सामान्य कार्यालयीन ज्ञान और हिंदी कविता-पाठ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं मंत्रालय के हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग-अलग आयोजित की गईं। प्रतियोगिता परीक्षा परिणामों के आधार पर 45 (पैतालिस) प्रतिभागियों को पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है।

10.6.3 हिंदी पखवाड़ा 2024 पुरस्कार वितरण समारोह

हिंदी पखवाड़ा 2024 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 17 जनवरी, 2025 को परिवहन भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में प्रतिष्ठित हिंदी कवियों ने भाग लिया, जिन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोताओं का दिल जीत लिया। इससे मंत्रालय में हिंदी के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिली है।

10.6.4 हिंदी कार्यशालाएं

मंत्रालय में वर्ष 2024 के दौरान कार्मिकों के लिए 20 मार्च, 2024, 30 अगस्त, 2024 और 26 सितम्बर, 2024 को हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को कंप्यूटर पर कार्य करने के दौरान हिंदी के प्रयोग से संबंधित अभिनव जानकारी दी गई। इनके परिणामस्वरूप शासकीय कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग परिलक्षित होता है।

10.7 हिन्दी सलाहकार समिति

18वीं लोक सभा के गठन के उपरांत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर है। इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा के संबंध में किये गये प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। यह समिति केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है। समिति मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की सलाह भी देती है।

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बायीं ओर साइड सड़क हैं। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on left. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

10.8 सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना

कार्य को दक्षता एवं शीघ्रता से करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की अनुशंसा के अनुसार कम्प्यूटरों में नवीनतम हिन्दी यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर संस्थापित किए गए है। इसके अलावा मंत्रालय के ई-ऑफिस पर संक्षिप्त शीर्षक वाली टिप्पणियाँ भी दी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा के प्रयोग को बढावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए ई-ऑफिस में एक नया फीचर अर्थात् कंठस्थ 2.0 को शामिल किया गया है।

10.9 मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों को अधिसूचित करना

इस वर्ष के दौरान एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् आरओ, चण्डीगढ तथा आरओ, रायपुर को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

परिवहन भवन में कवि सम्मेलन

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां दायीं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात को मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on right. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

एनएच-44 का मदुरै-कन्याकुमारी खंड

एनएच-48 पर द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवरलीफ इंटरचेंज

यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। आम तौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिन्ह देखा जा सकता है।

This sign indicates that there is an eating place in the vicinity. This sign is common on highways and long stretches of road.

अध्याय-XI

निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

11.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कारगर कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। चयनित/नामांकित दिव्यांगजनों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर समायोजित किया जाता है। 31 दिसंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार दिव्यांगजनों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों का विवरण इस प्रकार है:

समूह	स्वीकृत संख्या	नियुक्त दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या
क (गैर-तकनीकी)	88	1
क (तकनीकी)*	425	8
ख (गैर-तकनीकी)	224	3
ख (तकनीकी)	81	2
ग (तकनीकी, गैर-तकनीकी और एमटीएस)	300	6
कुल	**1,118**	**20**

***संख्या 328 से बढ़ाकर 425 कर दी गई है। प्रवेश स्तर के पदों पर रिक्तियां अगले 5 वर्षों में आनुपातिक रूप से भरी जाएंगी।**

11.2 जिन पदों/रिक्तियों के लिए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भर्ती एजेंसी नहीं है, उनकी सूचना यूपीएससी/एसएससी को दी जाती है। ऐसी रिक्तियों पर भर्ती यूपीएससी/एसएससी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

यह चिन्ह इंगित करता है कि सड़क के नजदीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है।
This sign indicates that there is facility of light refreshment nearby on the road.

श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री (सडक परिवहन और राजमार्ग) की भूटान की शाही सरकार के अवसंरचना और परिवहन माननीय मंत्री श्री ल्योन्पो चंद्र बहादुर गुरुंग के साथ बैठक

श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री (सडक परिवहन और राजमार्ग) की श्री इस्माइल एनएबीई, योजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री और श्री महामदौ अब्दुल्लाये डायलो, अवसंरचना और सार्वजनिक मंत्री, गिनी गणराज्य के साथ बैठक

यह चिन्ह रेलवे स्टेशन के स्थान को दर्शाता है।
This sign indicates location of Railway Station.

अध्याय-XII

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12.1 मंत्रालय वर्ष 2024 के दौरान पड़ोसी और अन्य देशों के साथ सहयोग के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर के कार्यकलापों में सम्मिलित रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहले से ही जापान, कोरिया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग की रूपरेखा (एफओसी)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी) किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच यात्री और निजी वाहनों के संचालन के लिए नवंबर, 2014 में भारत और नेपाल के मध्य मोटर यान करार (एमवीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार के तहत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से 12 मार्गों पर बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, भारत और बांग्लादेश के बीच 5 मार्गों अर्थात् कोलकाता-ढाका, अगरतला-ढाका, ढाका होते हुए कोलकाता-अगरतला, गुवाहाटी-ढाका और कोलकाता-खुलना मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन के लिए बस सेवा करार मौजूद हैं।

12.2 2024-25 में की गई मुख्य पहलें

12.2.1 शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

शंघाई सहयोग संगठन 15 जून, 2001 को शंघाई में स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में, एससीओ में 9 सदस्य देश- भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। एससीओ सदस्य देशों के परिवहन मंत्रियों की 11वीं बैठक जून 2024 में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आभासी रूप से(वर्चुअली) आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, इसकी तैयारी के लिए विशेषज्ञ बैठक आभासी रूप से आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) ने किया।

12.2.2 बीबीआईएन एमवीए

बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) मोटर यान करार (एमवीए), जिस पर जून 2015 में थिम्पू में हस्ताक्षर किए गए थे, का उद्देश्य बीबीआईएन देशों के मध्य यात्री, व्यक्तिगत और मालवाहक वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। इसके पूरी तरह से लागू होने के पश्चात्, सीमा पार से महंगे और अधिक समय लेने वाले माल हस्तांतरण(ट्रांस-शिपमेंट) को कम करने, लोगों के बीच संपर्कता को बढ़ावा देने और मुख्य व्यापार मार्गों में आर्थिक आदान-प्रदान के लिए अधिक अवसर पैदा करने की परिकल्पना की गई है। चूंकि बीबीआईएन एमवीए एक रूपरेखा करार है, इसलिए करार को लागू करने के लिए देशों द्वारा यात्री और मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल पर वर्तमान में बातचीत की जा रही है।

बीबीआईएन एमवीए पर वार्ता का नवीनतम दौर मार्च, 2024 में ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। वार्ता के इस दौर का प्राथमिक उद्देश्य कार्गो ट्रायल रन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देना और मसौदा कार्गो वाहन प्रोटोकॉल के बारे में आगे की चर्चा करना था।

यह चिन्ह बस स्टॉप को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सभी बसें (सार्वजनिक परिवहन) इस स्थान पर रूकेंगी।
This sign indicates Bus Stop. It shows that all buses (public transport) will stop at this place.

12.2.3 ब्रिक्स

ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह के मध्य सहयोग के लिए एक मंच है। परिवहन अर्थव्यवस्थाओं के विकास को गति देने के अवसर उपलब्ध कराता है, व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाता है और साथ ही ब्रिक्स क्षेत्र में संपर्कता में सुधार के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला, सुरक्षित, पारदर्शी और लचीला बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक 7 जून, 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (एसपीआईईएफ) की सीमाओं में आयोजित की गई थी। सचिव (आरटीएंडएच) के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया।

12.2.4 दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) कार्यक्रम

दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) कार्यक्रम बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को एक परियोजना-आधारित साझेदारी मे एकजुट करता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना, आर्थिक अवसरों को बढाना और उप क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है।

एसएएसईसी पहल पर कार्य योजना (एपीएसआई) मध्यम अवधि के लिए एसएएसईसी कार्यक्रम को गति देने के लिए विकसित की गई है।

एसएएसईसी परिवहन कार्य समूह एसएएसईसी कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए परिवहन के सभी साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वार्षिक बैठकें करता है।

एसएएसईसी कार्यक्रम के परिवहन कार्य समूह की बैठक 5-6 नवंबर, 2024 को थिम्पू, भूटान में आयोजित की गई थी, जिसमें एपीएसआई के व्यापार सुविधा और परिवहन तथा पर्यटन क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी, जिसमें एपीएसआई 2024-26 और एपीएसआई 2025-27 के लिए परियोजनाएं और ज्ञान कार्य शामिल थे।

12.2.5. आईएमटी एमवीए

भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) एमवीए को आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग के साथ व्यापार प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा माना जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों के लिए एक कड़ी है।

एक बार लागू होने के बाद, आईएमटी एमवीए गलियारे के साथ-साथ, लोगों के मध्य बेहतर व्यापार और आर्थिक आदान-प्रदान के अवसरों को बढ़ाएगा।

वर्तमान में आईएमटी एमवीए में परिचालन प्रोटोकॉल पर चर्चा की जा रही है।

12.2.6 भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह

भारत गणराज्य के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय ने सड़क परिवहन, सड़क उद्योग, कुशल परिवहन प्रणाली (आईटीएस) क्षेत्रों में संचार और सहयोग के दीर्घकालिक और प्रभावी द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के लिए सितंबर 2019 में सड़क परिवहन और सड़क उद्योग में

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

द्विपक्षीय सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस ज्ञापन के उद्देश्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, विशिष्ट सहयोग गतिविधियों और सेवाओं को चिन्हित करने के लिए संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के गठन पर सहमति हुई। सड़क परिवहन और कुशल परिवहन प्रणालियों पर भारत-रूस कार्य समूह की प्रथम बैठक मार्च, 2023 में दिल्ली में हुई।

सड़क और कुशल परिवहन प्रणालियों पर रूसी-भारतीय कार्य समूह की दूसरी बैठक 24 सितंबर, 2024 को मास्को, रूस में हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और रूसी संघ के सड़क परिवहन के राज्य सचिव और उप मंत्री ने संयुक्त रूप से की। दोनों पक्षों ने सड़क और पुल निर्माण में प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को बेहतर बनाने के क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान-प्रदान और साझा करने की सुविधा के तरीकों पर चर्चा की और इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा दिया। राजमार्गों और परिवहन अवसंरचना से संबंधित कार्यक्रमों/परियोजनाओं में आपसी निवेश विकसित करने के अवसरों पर भी चर्चा की गई।

12.2.7 भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह

जापान के भूमि, अवसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय (एमएलआईटी) और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मध्य, सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र में सितंबर, 2014 में "सहयोग की रूपरेखा" (एफओसी) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एफओसी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना को समन्वित करने और इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए जापान-भारत संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना की गई थी। इस तंत्र के माध्यम से राजमार्ग और परिवहन क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच का सहयोग संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है।

भारत और जापान के बीच संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक 7 अक्टूबर, 2024 को परिवहन भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष ने जापान के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की और द्वारका एक्सप्रेसवे के स्थल का दौरा भी किया।

12.2.8 विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बैठक

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) ने वर्ष 2024 के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं, जिनमें गाम्बिया गणराज्य के मंत्री, गिनी गणराज्य के मंत्री, भूटान के प्रतिनिधिमंडल, इज़राइल के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक शामिल थी।

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) श्री नितिन गडकरी की इजराइल की परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री माननीय सुश्री मिरी रेगेव के साथ बैठक

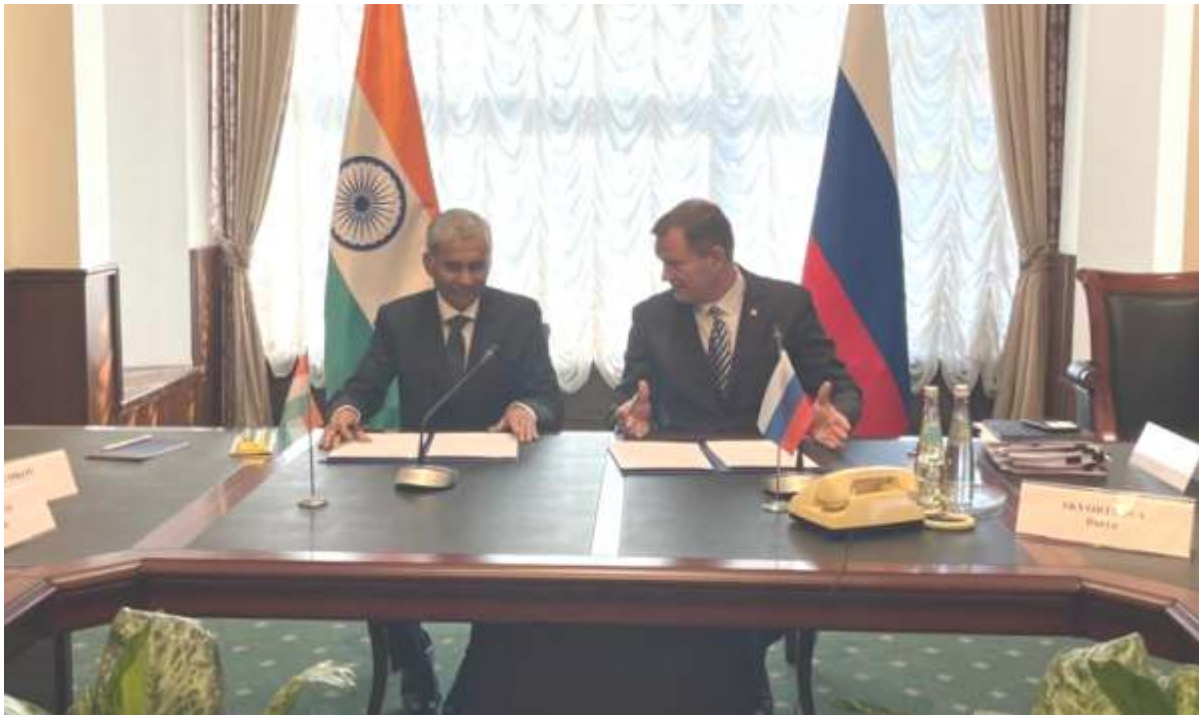

भारत रूस संयुक्त कार्य समूह की बैठक

यह चिन्ह दर्शाता है कि यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप चिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए, चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए।

This sign notifies that entry is prohibited for all vehicles. Certain pockets of an area or road are demarcated as 'no entry' areas for traffic. This could be entry to a restricted area or no-traffic zone. So the driver should obey it and divert his route.

सभी मोटर वाहनों
का आना मना है
All Motor
Vehicles Prohibited

अध्याय XIII

अन्य गतिविधियाँ और अभियान

13.1 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 7 मार्च, 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आउटसोर्स कर्मचारियों सहित महिला कर्मचारियों के लिए मोजो लैंड, सोनीपत, हरियाणा में एक दिवसीय भ्रमण का आयोजन किया गया।

13.2 अग्निशमन अभ्यास (फायर ड्रिल) और निकासी प्रशिक्षण (इवेक्यूएशन ड्रिल)

20 जून, 2024 को सीपीडब्ल्यूडी के सहयोग से परिवहन भवन में फायर ड्रिल का आयोजन किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यहां काम करने वाले कर्मचारी किसी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इस अभ्यास में निकासी प्रक्रियाओं और अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कर्मचारियों को इस तरह की स्थितियों से शांतिपूर्वक और कुशलता से निपटने के तरीके सिखाए गए।

13.3 योग दिवस समारोह (21 जून 2024)

मंत्रालय द्वारा परिवहन भवन में स्थित सभी मंत्रालयों के कर्मचारियों के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में दैनिक जीवन में योग के स्वास्थ्य लाभों पर जोर दिया गया। इसके अलावा, 24 जुलाई, 2024 को इस विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

13.4 खेल दिवस समारोह

29 अगस्त, 2024 को खेल दिवस के अवसर पर परिवहन भवन में कर्मचारियों के लिए रस्साकशी (टग ऑफ वार) और नींबू चम्मच दौड़ (लेमन सपून रेस) सहित खेल गतिविधियों का आयोजन किया। फिट इंडिया शपथ ली गई और कर्मचारियों ने इन गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

13.5 राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस

चल रहे रक्तदान प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, अनगिनत व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देने वाले लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं के सम्मान में, 1 अक्टूबर, 2024 को शपथ लेकर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया।

13.6 स्वच्छता पखवाड़ा एवं लंबित मामलों के निपटान और साफ-सफ़ाई के लिए विशेष अभियान 4.0

मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 तक चले विशेष अभियान 4.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी की जयंती अर्थात् 2 अक्टूबर को मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा अपने आस-पास और पूरे देश में स्वच्छता बनाए

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़-भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.

रखने की शपथ ली गई। परिवहन भवन की सफाई में समर्पित योगदान के लिए हाउसकीपिंग कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 के निर्धारित मापदंडों के तहत अधिकांश लक्ष्य हासिल किए।

13.7 75वें संविधान दिवस की वर्षगांठ

संविधान दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर, 2024 को सचिव (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) के नेतृत्व में प्रस्तावना वाचन का आयोजन परिवहन भवन में किया गया। 75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मंत्रालय ने कई पहल कीं, जिसमें मंत्रालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले लिफाफों पर "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" टैगलाइन के साथ भारत के संविधान के एक विशेष संस्करण की छपाई भी शामिल है।

13.8 मतदाता जागरूकता अभियान

सक्रिय नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर, 2024 को परिवहन भवन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य कर्मचारियों को मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित करना, मतदाता कार्ड से संबंधित मुद्दों का समाधान करना और निर्वाचन क्षेत्रों को समझना था। इसने मंत्रालय के अधिकारियों को आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

13.9 सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह

मंत्रालय द्वारा 19 से 25 नवंबर, 2024 तक सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह और 25 नवंबर, 2024 को झंडा दिवस मनाया गया। झंडा दिवस पर राशि(फंड) जुटाने की गतिविधि आयोजित की गई। कर्मचारियों से एकत्र की गई राशि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन, नई दिल्ली को दान कर दी गई।

13.10 स्वास्थ्य जांच शिविर

27 सितंबर, 2024 को परिवहन भवन में कार्यरत हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए एक विशेष पूर्ण शारीरिक जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह पहल हाउसकीपिंग स्टाफ के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए की गई, जो मंत्रालय के दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

11 दिसंबर 2024 को परिवहन भवन, नई दिल्ली में कार्यरत सभी अधिकारियों के लिए एक पूर्ण दिवसीय दंत चिकित्सा एवं नेत्र जांच शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 300 से अधिक अधिकारियों ने स्वास्थ्य जांच सुविधा का लाभ उठाया।

13.11 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह

मंत्रालय द्वारा 3 से 9 दिसंबर, 2024 तक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह मनाया गया। 5 दिसंबर, 2024 को संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। चर्चा किए गए विषयों में लैंगिक संतुलन, यौन उत्पीड़न कानून और आंतरिक समाधान तंत्र शामिल थे, जो एक सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रतिज्ञा को मजबूत करते हैं।

जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है, निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।

As sign itself speaks the area designated is a no entry zone for Trucks or HMV. These could be narrow lanes or congested areas where entry of heavy transport vehicle could obstruct smooth flow of traffic.

स्वच्छता पखवाड़ा, 2024

26 नवंबर, 2024 को संविधान दिवस की शपथ

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ–ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

This sign indicates that the road has been prohibited for plying of Bullock & Hand Carts. These slow moving carts many a times hinder the smooth flow of traffic.

परिवहन भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

स्वच्छता शपथ

धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं। इसलिए, कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

The slowest form of transport many a times becomes obstruction to the free flow of traffic hence certain zones have been demarcated where bullock carts are not allowed to ply.

परिशिष्ट-I
(पैरा 1.6 के तहत)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

I. निम्नलिखित विषय जो **भारत के संविधान** की **सातवीं अनुसूची सूची I** के अंतर्गत आते हैः

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा।
2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का प्रशासन।
3. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।
4. विधायी विभाग की जांच और विधीक्षा किए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड ('क') एवं धारा 3 क, 3 घ, 7 और 8 क के अंतर्गत अधिसूचनाओं को जारी करना।

II. संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में:

5. राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कें।
6. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रशासन और मोटर वाहनों का कराधान।
7. यांत्रिक रूप से चालित वाहनों के अलावा अन्य वाहन।

III. अन्य विषय जो पूर्व भागों में शामिल नहीं किए गए हैं:

8. सड़क कार्यों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान।
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र के सड़क कार्यों को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित सड़क कार्य।
10. मोटर वाहन कानून
11. मोटर परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

Some times roads are intersected by the river without the provision of bridge. These roads are connected through ferry service. This sign indicates that there is a ferry service available to cross the river.

12. सड़कों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति का निर्माण।
13. रोपवे और अन्य नवीन/वैकल्पिक समाधानों के संबंध में समन्वय, अनुसंधान, मानक और नीतिगत मामले

IV. स्वायत्त निकाय:

14. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
15. भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी
16. भारतीय सड़क कांग्रेस

V. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:

17. राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

VI. अधिनियम:

18. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64)।
19. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)।
20. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)।
21. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68)।

तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर/चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर/चटट्ानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए।

In hilly roads the rocks fall on road during landslides in extreme climates. This sign shows that the road ahead is prone to such falling of rocks and driver should drive carefully to avoid crash.

हाथ ठेलों का आना मना है
Hand Cart Prohibited

परिशिष्ट -2
(पैरा 3.3 के तहत)

राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

31.12.2024 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	रारा की सं.	लंबाई (किमी में)
1	आंध्र प्रदेश	16, 216, 216ए, 716, 26, 326, 326ए, 30, 40, 140, 340, 340सी, 42, 44, 544डी, 150ए, 65, 165, 516डी, 565, 765, 67, 167, 69, 71, 75, 167ए, 516ई, 167बी, 365बीबी, 365बीजी, 544डीडी, 544ई, 130सीडी, 716ए, 716बी, 516सी, 167बीजी, 544एफ, 167के, 342, एनई7, 440, 516बी, 340बी, 167एडी, 167एजी, 516एफ, 516डब्ल्यू, 150सी, 716जी, 216ई, 216एच, 163जी	55	8,683
2	अरूणाचल प्रदेश	13, 113, 313, 513, 713, 713ए, 15, 115, 215, 315, 315ए, 415, 515, 913	14	4,367
3	असम	2, 702, 702सी, 702डी, 6, 306, 8, 208ए, 15, 115, 215, 315, 315ए, 415, 515, 715, 715ए, 17, 117, 117ए, 217, 27, 127, 127ए, 127बी, 127सी, 127डी, 127ई, 427, 627, 29, 129, 329, 329ए, 37, 715के, 137, 137जी	38	4,077
4	बिहार	19, 119, 219, 319, 20, 120, 22, 122, 122ए, 322, 722, 922, 27, 227, 227ए, 327, 327ए, 527, 527ए, 527बी, 527सी, 527डी, 727, 727ए, 31, 131, 131ए, 231, 331, 431, 531, 33, 133, 133बी, 333, 333ए, 333बी, 139, 124सी, 227एफ, 227जे, 227एल, 727एए, 133ई, 122बी, 333सी, 527ई, 327एडी, 319ए, 131बी, 131जी, 119ए,119डी, 139डब्ल्यू, 727बी, 319बी	56	6,132
5	चंडीगढ़	5	1	15
6	छत्तीसगढ़	30, 130, 130ए, 130बी, 130सी, 130डी, 930, 43, 343, 45, 49, 149बी, 53, 153, 353, 63, 163, 163ए, 130सीडी, 143बी	20	3,620
7	दिल्ली	9, 44, 48, 148ए, 248बीबी, 709बी, 344एम, 148एई, 148एनए, 344एन, 344पी, एनई3	12	157
8	गोवा	748, 66, 366, 566, 748एए, 166S	6	299

यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं।
This sign indicates that the Hand Cart is prohibited on the demarcated road as it would hinder the flow of fast moving traffic.

31.12.2024 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	रारा की सं.	लंबाई (किमी में)
9	गुजरात	27, 927डी, 41, 141, 341, 47, 147, 48, 848, 848ए, 848बी, 51, 151, 251, 351, 53, 753बी, 953, 56, 58, 64, 68, 168, 168ए, 756, 148एम, 751डी, 751डीडी, 351एफ, 147डी, 751, 151ए, 754ए, एनई, एनई4, 351के, 351जी, 151के, 848के, 151एडी, 927सी, 927के, 168जी, एनईए, एनई8	45	8,111
10	हरियाणा	703, 5, 105, 7, 907, 9, 709, 709ए , 11, 919, 334बी, 44, 344, 444ए, 48, 148ए, 148बी, 248ए, 52, 152, 352, 352ए, 54, 248बीबी, 152ए, 907जी, 352आर, 352डब्ल्यू, 709एडी, 334डी, 152डी, 148एनए, 344एन, 344पी, एनई2, एनई5, एनई4, 152जी, 344जीएम	39	3,347
11	हिमाचल प्रदेश	3, 103, 303, 503, 503ए, 5, 105, 205, 305, 505, 505ए, 705, 7, 707, 907, 907ए, 44, 154, 154ए	19	2,607
12	जम्मू और कश्मीर	1, 501, 701, 44, 244, 144, 144ए, 444, 244ए, 701ए, एनई5	11	1,935
13	झारखंड	114ए , 18, 118, 19, 419, 20, 220, 320, 22, 522, 33, 133, 133ए, 133बी, 333, 333ए, 39, 139, 43, 143, 143ए, 343, 49, 143एच, 143डी, 320जी, 143एजी, 320डी, 218, 143बी, 320बी, 319बी	32	3,633
14	कर्नाटक	42, 44, 48, 648, 748, 948, 50, 150, 150ए, 52, 160, 65, 66, 766, 766सी, 67, 167, 367, 69, 169, 169ए, 369, 73, 173, 75, 275, 181, 166ई, 548बी, 561ए, 752के, 161ए, 544डीडी, 544ई, 548एच, 748एए, 367ए, 948ए, 369ई, 373, 275के, 766ई, 766ईई, एनई7, 167एन, 150सी, 748ए, 375, 848आर	49	8,191
15	केरल	544, 744, 66, 766, 966, 966ए, 966बी, 183, 183ए, 85, 185, 866	12	1,858
16	लद्दाख	1, 3, 301	3	806
17	मध्य प्रदेश	719, 27, 30, 34, 934, 135, 135बी, 39, 339, 339बी, 539, 43, 543, 943, 44, 45, 46, 146, 146बी, 346, 47, 347, 347सी, 347बी, 547, 52, 552, 752बी, 752सी, 56, 548सी, 752जी, 161जी, 347ए, 753एल, 147ई, 135बीबी, 135बीडी, 135बीजी, 135सी, 347बीजी, 552जी, 752डी, 753बीई, एनई4, 543के, 716डी	47	9,160

साइकिल–सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए, साइकिल–सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।

In order to ensure the safety of cyclists certain roads which are meant for fast moving vehicles are prohibited for cyclists. So the cyclists should not use the roads where this sign has been installed.

दाएं मुड़ना मना है
Right Turn Prohibited

31.12.2024 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	रारा की सं.	लंबाई (किमी में)
18	महाराष्ट्र	130डी, 930, 543, 44, 47, 347सी, 547, 48, 348ए, 348, 548, 848, 848ए, 50, 150, 52, 53, 353सी, 353डी, 353ई, 753, 753ए, 753बी, 953, 60, 160, 61, 161, 361, 63, 65, 965, 66, 166, 166ए, 548सी, 753ई, 548ई, 752जी, 561, 753एफ, 548ए, 166ई, 266, 548बी, 548सीसी, 161एच, 161जी, 361एच, 548डी, 561ए, 965सी, 752I, 965जी, 752के, 347ए, 930डी, 361बी, 353बी, 247, 161ए, 361सी, 161ई, 353I, 753जे, 753एल, 353जे, 353के, 752ई, 752एच, 753एम, 548एच, 160ए, 160बी, 753सी, 965डी, 753बीबी, 160डी, 348बी, 753एबी, 160सी, 166एच, 761, 753एच, 166डी, 652, 465, 647, 461बी, 160एच, 361एफ, 965डीडी, 166एफ, 166जी,	102	18,462
19	मणिपुर	2, 102, 202, 102ए , 102बी , 102सी, 29, 129ए, 37, 137, 137ए	11	1,840
20	मेघालय	6, 106, 206, 217, 127बी	5	1,156
21	मिजोरम	2, 102बी , 302, 502, 502ए, 6, 306, 306ए, 108	9	1,499
22	नागालैंड	2, 202, 702, 702ए, 702बी, 702डी, 29, 129, 129ए, 229, 329ए, 202के	12	1,670
23	उड़ीसा	16, 316, 516, 18, 20, 220, 520, 26, 326, 326ए, 130सी, 143, 49, 149, 53, 153बी, 353, 55, 57, 157, 59, 63, 126, 130सीडी, 316ए, 516ए, 157ए, 126ए, 655, 720, 143एच, 320डी	32	5,897
24	पुदुच्चेरी	32, 332	2	64
25	पंजाब	3, 503, 503ए, 703, 703ए, 5, 205, 205ए, 7, 9, 44, 344, 344ए, 344बी, 148बी, 52, 152, 54, 154, 154ए, 254, 754, 62, 354, 148बीबी, 105बी, 152ए, 703बी, 354ई, 354बी, 703एए, एनई5, एनई5ए , 503डी, 754ए, 754एडी, 205के, 205एजी	38	4,264
26	राजस्थान	709, 11, 919, 21, 23, 123, 25, 125, 325, 27, 927ए, 44, 48, 148, 148बी, 148डी, 248, 248ए, 448, 52, 552, 752, 54, 56, 156, 58, 158, 458, 758, 62, 162, 162ए, 68, 168, 168ए, 954, 311, 921, 70, 925, 925ए, 911, 552जी, 754ए, 911ए, 148सी, 968, 752डी, एनई4, एनई4सी, 125ए,703, 719डी	53	10,733

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़ें।
This sign directs driver not to turn towards right side in any circumstance.

31.12.2024 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	रारा की सं.	लंबाई (किमी में)
27	सिक्किम	10, 310, 310ए, 310एजी, 710, 510, 717ए, 717बी	8	709
28	तमिलनाडु	16, 716, 32, 132, 332, 532, 36, 136, 336, 536, 38, 138, 40, 42, 44, 544, 744, 944, 48, 648, 948, 66, 75, 77, 79, 81, 181, 381, 83, 183, 85, 87, 544एच, 179ए, 383, 381ए, 381बी, 785, 716ए, 744ए, 948ए, 338, 136बी, 179बी, 132बी, 179डी, 332ए, 844, 716बी, एनई7	50	7,000
29	तेलंगाना	30, 44, 150, 353सी, 61, 161, 63, 163, 563, 65, 365, 365ए, 365बी, 363, 565, 765, 167, 353बी, 161बी, 365बीबी, 365बीजी, 765डी, 161एए, 161बीबी, 167के, 765डीजी, 167एन, 930पी, 150सी, 163जी	30	4,926
30	त्रिपुरा	8, 108, 108ए, 208, 208ए, 108बी	6	889
31	उत्तर प्रदेश	307, 9, 509, 709ए , 19, 219, 519, 719, 21, 123, 24, 27, 227ए, 727, 727ए, 927, 28, 128, 30, 230, 330, 330बी, 530, 330ए , 730, 730ए , 31, 731, 731ए, 931, 931ए, 34, 334, 334ए, 334बी, 334सी, 534, 734, 234, 35, 135, 135बी, 335, 39, 339, 539, 44, 344, 552, 709बी, 135बीबी, 730एच, 321, 731एजी, 709एडी, 319डी, 124सी, 727बी, 727एच, 727जी, 128बी, 128सी, 328, 328ए, 330डी, 530बी, 730बी, 731के, 727बीबी, 730S, 730सी, 334डी, 128ए, 135सी, 135ए, 124डी, 321जी, 334डीडी, 727एए, 731बी, एनई2, एनई3, एनई6, 227बी, 344जी, 344बीजी, 344जीएम, 148एनए, 319बी, 719डी	90	12,123
32	उत्तराखंड	7, 107, 107ए, 307, 507, 707, 707ए, 9, 109, 109डी, 309, 309ए, 309बी, 30, 34, 134, 334, 334ए, 534, 734, 344, 731के, 109के, 344बीजी, 107बी, 134ए	26	3,664
33	पश्चिम बंगाल	10, 110, 12, 112, 512, 14, 114, 114ए, 314, 16, 116, 116बी, 17, 317, 317ए, 517, 717, 717ए, 18, 19, 419, 27, 327, 327बी, 31, 131ए, 33, 133ए, 49, 316ए, 116ए, 327सी, 312, 218, 319बी	35	3,910
34	अंडमान एवं निकोबार	4	1	331
35	दादर और नगर हवेली	848ए, एनई4	2	37
36	दमन और दीव	848बी, 251	2	22
	कुल लंबाई		**670**	**1,46,195**

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े।
This sign indicates that left turn is prohibited.

वापस मुड़ना (यू-टर्न) मना है
U-Turn Prohibited

परिशिष्ट -3

(पैरा 3.11 के तहत)

सीआरआईएफ (राज्यीय सड़कें) के तहत आवंटन एवं निर्मुक्ति

धनराशि करोड़ रुपये में

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	निर्मुक्ति
1.	2000-01	985.00	332.01
2.	2001-02	962.03	300.00
3.	2002-03	980.00	950.28
4.	2003-04	910.76	778.94
5.	2004-05	868.00	607.40
6.	2005-06	1,535.36	1,299.27
7.	2006-07	1,535.46	1,426.29
8.	2007-08	1,565.32	1,322.19
9.	2008-09	1,271.64	2,122.00
10.	2009-10	1,786.56	1,344.98
11.	2010-11	2,714.87	2,460.29
12.	2011-12	2,288.65	1,927.39
13.	2012-13	2,359.91	2,350.37
14.	2013-14	2,359.91	2,226.60
15.	2014-15	2,642.63	2,094.78
16.	2015-16	2,852.64	2,369.47
17.	2016-17	7,175.00	5,069.82
18.	2017-18	6,744.07	6,367.11
19.	2018-19	6,998.93	6,784.50
20.	2019-20	7,421.58	6,868.66
21.	2020-21	6,820.00	6,613.30
22.	2021-22	6,945.22	6,926.58
23.	2022-23	7,974.31	7,551.98
24.	2023-24	8,835.80	8,646.23
25.	2024-25	9,030.00	5,845.34*

** 31.12.2024 तक निर्मुक्त*

सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों (इंटरसेक्शन) पर यह चिन्ह देखा जा सकता हैं। इन चौराहों पर वापस मुड़ने (यू–टर्न) से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन न करें।

This sign can be seen at some of the busy intersections on roads. The U-turn at these intersection could result in major crashes or traffic jams. The driver should not violate this sign to avoid fine and any untoward incident.

परिशिष्ट - 4

(पैरा 9.2 के तहत)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) की संख्या

समूह	स्वीकृत संख्या	पदासीन कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	पदासीन कुल कर्मचारियों में से अनु. जाति के कर्मचारियों का %	अनु. जन जाति	पदासीन कुल कर्मचारियों में से अनु. ज.जा. कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	पदासीन कुल कर्मचारियों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का %
तकनीकी								
समूह क	425	322	50	15.52	22	6.83	91	28.26
समूह ख	81	42	8	19.04	2	4.76	19	45.23
समूह ग (एमटीएस सहित)	7	0					0	0
कुल	**513**	**364**	**58**	**15.93**	**24**	**6.59**	**110**	**30.21**
गैर तकनीकी								
समूह क	88	77	9	11.68	4	5.19	11	14.28
समूह ख	224	136	17	12.5	4	2.91	33	24.26
समूह ग (एमटीएस सहित)	293	175	38	21.71	14	8	50	28.57
कुल	**605**	**388**	**64**	**16.45**	**22**	**5.65**	**94**	**24.22**

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

This sign directs the traffic to either move straight or take left turn. Turning towards right is prohibited. Violation of these sign may jeopardize your safety and may also lead to penal action.

परिशिष्ट - 5
(पैरा 9.10.6 के तहत)

मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक राष्ट्रीय परमिट शुल्क के राज्य-वार संवितरण को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	वास्तविक (रु.में.)
एजी, आंध्र प्रदेश	69,68,28,096
एजी, अरुणाचल प्रदेश	12,09,771
एजी, असम	26,97,78,933
एजी, बिहार	87,82,93,746
एजी, चंडीगढ़	24,55,83,513
एजी, छत्तीसगढ	34,47,84,735
एजी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	17,78,36,337
एजी, दिल्ली	80,69,17,257
एजी, गोवा	12,33,96,642
एजी, गुजरात	1,21,82,39,397
एजी, हरियाणा	95,81,38,632
एजी, हिमाचल प्रदेश	35,80,92,216
एजी, जम्मू और कश्मीर	10,28,30,535
एजी, झारखंड	80,32,87,944
एजी, कर्नाटिक	1,55,69,75,277
एजी, केरल	483908400
एजी, मध्य प्रदेश	1,89,93,40,470
एजी, महाराष्ट्र	1,97,91,85,356
एजी, मणिपुर	24,19,542
एजी, मेघालय	2,17,75,878
एजी, मिजोरम	36,29,313
एजी, नगालैंड	1,69,36,794
एजी, ओडिशा	57,70,60,767
एजी, पंजाब	67,02,13,134
एजी, पुदुच्चेरी	18,50,94,963
एजी, राजस्थान	1,47,22,91,307
एजी, सिक्किम	12,09,771
एजी, तमिलनाडु	67,98,91,302
एजी, तेलंगाना	25,04,22,597
एजी, त्रिपुरा	1,20,97,710
एजी, उत्तराखंड	48,39,08,400
एजी, उत्तर प्रदेश	1,97,43,46,272
एजी, पश्चिम बंगाल	70,52,96,493
कुल	**19,96,12,21,500**

परिशिष्ट -6
(पैरा 9.10.5 के तहत)

मुख्य शीर्ष-वार व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में)

लेखा शीर्ष	ब. प्रा. 2024-25	31.12.2024 तक व्यय	ब. प्रा. का %
मु.शी. 3451 सचिवालय	167.00	125.92	75.40
मु.शी. 3054 सड़क और पुल	5,358.00	4,402.64	82.17
मु.शी. 3055-सड़क परिवहन	525.80	353.53	67.24
मु.शी. 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	10,986.42	8,208.77	74.72
मु.शी. 3602-संघ राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	353.48	295.40	83.57
सकल राजस्व खंड	**17,390.70**	**13,386.26**	**76.97**
वसूली (राजस्व) घटाएं	**-11,631.85**	**-7,498.95**	**64.47**
निवल (राजस्व खंड)	**5758.85***	**5,887.31**	**102.23**
मु.शी. 4552 पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय (इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय कार्यात्मक शीर्ष 5054 के माध्यम से किया जा रहा है)	0	0	0
मू. शी 5054 सड़कों और पुलों का पूंजीगत परिव्यय (पारित)	3,39,589.39	2,77,427.01	81.69
मु. शी. 5054 सीआरआईएफ से वित्तपोषित भारतमाला परियोजना (प्रभारित)	5.00	0	0
मु. शी. 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	60.00	38.48	64.13
एमएच -5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (एमएच)	**2.91**	**1.70**	**58.42**
सकल पूंजीगत खंड	**3,39,657.30**	**2,77,467.19**	**81.69**
वसूली घटाना (पूंजीगत)	**-67,416.15**	**-44,776.53**	**66.42**
निवल (पूंजीगत खंड) (पारित)	**2,72,236.15**	**2,32,690.66**	**85.47**
निवल (पूंजीगत खंड) (प्रभारित)	**5.00**	**0**	**0**
निवल (पूंजीगत खंड)	**2,72,241.15**	**2,32,690.66**	**85.47**
निवल कुल (राजस्व + पूंजीगत) (पारित)	**3,57,043.00**	**2,90,853.45**	**81.46**
निवल कुल (राजस्व + पूंजीगत) (प्रभारित)	**5.00**	**0**	**0**
वसूली घटाएं (राजस्व + पूंजीगत)	**-79,048.00**	**-52,275.48**	**66.13**
कुल (सकल)	**2,78,000.00**	**2,38,577.97**	**85.82**
राजस्व (पारित)	**17,390.70**	**13,386.26**	**76.97**
पूंजीगत (पारित + प्रभारित)	**3,39,657.30**	**2,77,467.19**	**81.69**
कुल (सकल)	**3,57,048.00**	**2,90,853.45**	**81.46**
वसूली घटाएं	**-79,048.00**	**-52,275.48**	**66.13**
कुल अनुदान सं. 86 (निवल)	**2,78,000.00**	**2,38,577.97**	**85.82**

नोट: * बजट अनुमान 2024-25 में मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन राजस्व के अंतर्गत 11,758.85 करोड़ रुपये है (5758.85 करोड़ रुपये प्लस 6000.00 करोड़ रुपये)। बजट अनुमान 2024-25 में अतिरिक्त 6000 करोड़ रुपये सड़क निर्माण कार्यों के वित्तपोषण के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से शेष राशि से पूरा किया जाना है।

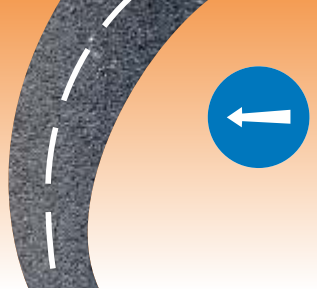

बाएं मुड़ना अनिवार्य
(दाएं यदि संकेत विपरीत है)
Compulsory Turn Left (Right if Symbol is Reversed)

परिशिष्ट -7

(पैरा 9.10.5 के तहत)

राजस्व प्राप्तियों के संबंध में पिछले चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय लेन-देन विवरण (एससीटी) के तहत निधियों का स्त्रोत

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु. में)

मद/वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (31.12.2024 तक)
कर राजस्व	493.27	480.67	599.72	394.35
गैर कर राजस्व	14,811.05	33,076.90	44,151.10	23,465.15
सकल राजस्व प्राप्तियां	**15,304.32**	**33,557.57**	**44,750.82**	**23,859.50**

इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.

परिशिष्ट - 8

(पैरा 9.10.5 के तहत)

पिछले चार वर्षों के लिए राजस्व प्राप्तियों का शीर्ष-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

	प्रमुख शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (31.12.2024 तक)
1	0021- निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	493.27	480.67	599.72	394.35
2	0049- ब्याज प्राप्तियां	451.48	365.75	213.90	209.23
3	0050- लाभांश और लाभ	26.00	33.99	67.46	54.59
4	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0	0	0	0.07
5	0071- पेंशन और अन्य सेवांत हितलाभ के मद में अंशदान	2.39	2.37	3.68	1.74
6	0075 विविध सामान्य सेवाएं	1.15	0.96	0.78	0.50
7	0210- चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	0.51	0.60	0.50	0.43
8	0216- आवास	0.18	0.18	0.20	0.15
9	1054 – सड़कें और पुल	14,329.34	22,010.71	27,887.71	23,170.01
10	1055 सड़क परिवहन	0	0	7	28.15
11	1475– अन्य सामान्य आर्थिक घटनाएं	0	0	0.02	0.10
12	4000- विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0	10,622	15,969	0
13	7610 सरकारी सेवक को ऋण	0	0	0.24	0.18
	कुल	**15,304.32**	**33,557.57**	**44,750.82**	**23,859.50**

स्रोत: ई-लेखा

आगे चलकर दाएं मुड़ना
अनिवार्य (बाएं यदि संकेत विपरीत है)
Compulsory Turn Right Ahead
(Left if Symbol is
Reversed)

परिशिष्ट -9
(पैरा 9.10.5 के तहत)

लेखा की मुख्य विशेषताएं

प्राप्तियां (2023-24)			संवितरण (2023-24)	
		राशि (हजारों में)		राशि (हजारों में)
क	**राजस्व प्राप्तियां**		**राजस्व व्यय**	
1	**कर राजस्व**	**59,97,217**	सामान्य सेवा	2,71,225
2	**गैर कर राजस्व**	**28,18,17,694**	सामाजिक सेवा	240
	ब्याज प्राप्तियां	21,39,027	आर्थिक सेवा	3,05,35,997
	लाभांश और लाभ	6,74,650	अनुदान सहायता और अंशदान	8,74,82,558
	अन्य गैरकर राजस्व	27,90,04,017		
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**28,78,14,911**	**कुल राजस्व व्यय**	**11,82,90,020**
ख.	**पूंजीगत प्राप्तियां**		**पूंजीगत व्यय**	
	अन्य परिवहन सेवा के लिए ऋण		सामान्य सेवाएं	0
	राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम		आर्थिक सेवा	2,63,77,18,827
	राष्ट्रीय राजमार्गों का मौद्रीकरण	15,96,91,000	ऋण और अग्रिम	50
	कुल ऋण और अग्रिम	-16,078		
	कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ	**15,96,74,922**	**कुल पूँजीगत व्यय**	**2,63,77,18,877**
	भारत की कुल समेकित निधि	**44,74,89,833**	**भारत की कुल समेकित निधि**	**2,75,60,08,897**
	लोक लेखा		**लोक लेखा**	
	लघु बचत भविष्य निधि खाता	**2,18,315**	**लघु बचत भविष्य निधि खाता**	**2,44,690**
	भविष्य निधि	2,18,315	भविष्य निधि	2,44,690
	अन्य खाते	**831**	**अन्य खाते**	**2,272**
	सीजीईजीआईएस	831	सीजीईजीआईएस	2,272
	आरक्षित निधि	**57,80,82,500**	**आरक्षित निधि**	**57,19,34,126**
	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	57,80,82,500	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	57,19,34,126
	जमा और अग्रिम	**14,33,74,339**	**जमा और अग्रिम**	**14,14,99,693**
	जमा ब्याज सहित	0	जमा ब्याज सहित	0
	बिना ब्याज के जमा	14,33,74,339	बिना ब्याज के जमा	14,14,99,693
	अग्रिम	0	अग्रिम	0
	अनिश्चित एवं विविध	**2,77,35,08,201**	**अनिश्चित एवं विविध**	**47,30,07,404**
	अनिश्चित	20,08,115	अनिश्चित	23,94,263
	अन्य खाते	**2,77,15,00,086**	**अन्य खाते**	**47,06,13,141**
	प्रेषण	**23,063**	**प्रेषण**	**0**
	कुल लोक लेखा	**3,49,52,07,249**	**कुल लोक लेखा**	**1,18,66,88,185**
	कुल प्राप्तियां	**3,94,26,97,082**	**कुल व्यय**	**3,94,26,97,082**

स्त्रोत:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय लेनदेन का विवरण

यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है।

This sign directs the driver to turn right only. Obeying this sign will lead to safety and hassle free drive.

परिशिष्ट -10
(पैरा 9.10.7 के तहत)

मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक एआईटीपी का राज्य-वार वितरण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक (रू.में.)
1	आंध्र प्रदेश	47,19,97,334
2	उत्तर प्रदेश	11,96,810
3	असम	65,70,334
4	बिहार	6,27,86,615
5	चंडीगढ़	6,72,778
6	छत्तीसगढ	98,62,367
7	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव	22,59,067
8	दिल्ली	13,62,70,394
9	गोवा	34,14,689
10	गुजरात	45,08,34,593
11	हरयाणा	1,97,92,015
12	हिमाचल प्रदेश	12,03,52,566
13	जम्मू और कश्मीर	5,04,355
14	कर्नाटिक	19,30,52,351
15	केरल	23,88,41,037
16	लद्दाख	916
17	मध्य प्रदेश	22,82,26,255
18	महाराष्ट्र	74,27,93,468
19	मणिपुर	1,09,841
20	मेघालय	1,09,80,916
21	मिजोरम	15,73,477
22	नगालैंड	15,36,405
23	उड़ीसा	29,81,731
24	पुदुच्चेरी	8,04,90,273
25	पंजाब	14,87,97,324
26	राजस्थान	50,72,12,887
27	सिक्किम	2,98,401
28	तमिलनाडु	45,10,04,845
29	तेलंगाना	32,54,84,250
30	त्रिपुरा	1,14,418
31	उत्तर प्रदेश	25,94,03,771
32	उत्तराखंड	8,40,25,789
33	पश्चिम बंगाल	1,32,75,228
मार्च 2024 से दिसंबर, 2024 तक एआईटीपी का संवितरण		**4,57,67,17,500**

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है।
This sign directs the traffic to either move straight or take right turn. Turning towards left is prohibited.

चौड़ाई सीमा
Width Limit

परिशिष्ट -11
(पैरा 7.3.3 के तहत)

भारत में पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या: 2003-2022

(आंकड़ें हजार में)

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के तहत)	सभी वाहन	दुपहिया *	कार, जीप और टैक्सी	बसें @	माल वाहन	अन्य*
1	2	3	4	5	6	7
2003	67,007	47,519	8,599	721	3,492	6,676
2004	72,718	51,922	9,451	768	3,749	6,828
2005	81,499	58,799	10,320	892	4,031	7,457
2006	89,618	64,743	11,526	992	4,436	7,921
2007	96,707	69,129	12,649	1,350	5,119	8,460
2008	1,05,353	75,336	13,950	1,427	5,601	9,039
2009	1,14,951	82,402	15,313	1,486	6,041	9,710
2010	1,27,746	91,598	17,109	1,527	6,432	11,080
2011	1,41,866	1,01,865	19,231	1,604	7,064	12,102
2012	1,59,491	1,15,419	21,568	1,677	7,658	13,169
2013	1,76,044	1,27,830	24,056	1,814	8,307	14,037
2014	1,90,704	1,39,410	25,998	1,887	8,698	14,712
2015	2,10,023	1,54,298	28,611	1,971	9,344	15,799
2016	2,30,031	1,68,975	30,242	1,757	10,516	18,541
2017	2,53,311	1,87,091	33,688	1,864	12,256	18,411
2018	2,72,587	2,02,755	36,453	1,943	12,773	18,663
2019	2,95,772	2,21,270	38,433	2,049	13,766	20,254
2020	3,26,299	2,43,682	43,650	2,196	14,288	22,483
2021 (पी)	3,35,551	2,49,993	46,228	2,118	14,792	22,420
2022(पी)	3,54,018	2,63,378	49,051	2,142	15,493	23,954
सीएजीआर (2011 to 2021)	**8.99**	**9.39**	**9.17**	**2.82**	**7.67**	**6.36**
सीएजीआर (2012 to 2022)	**8.30**	**8.60**	**8.56**	**2.48**	**7.3**	**6.17**

स्रोत: राज्य परिवहन आयुक्तो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन परिवहन आयुक्तों के कार्यालय।
पी-अनंतिम
** अन्य में ट्रैक्टर, ट्रेलर, तिपहिया (यात्री वाहन)/एलएमवी और अन्य विविध वाहन शामिल हैं, जिनके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा श्रेणीवार ब्यौरा नहीं दिया गया है।*
@ ओमनी बसें शामिल हैं।

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

परिशिष्ट -12
(पैरा 7.3.3 के तहत)

सड़क दुर्घटनाओं और शामिल व्यक्तियों की संख्या: 2005 से 2022

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
2005	4,39,255	94,968	4,65,282
2006	4,60,920	1,05,749	4,96,481
2007	4,79,216	1,14,444	5,13,340
2008	4,84,704	1,19,860	5,23,193
2009	4,86,384	1,25,660	5,15,458
2010	4,99,628	1,34,513	5,27,512
2011	4,97,686	1,42,485	5,11,394
2012	4,90,383	1,38,258	5,09,667
2013	4,86,476	1,37,572	4,94,893
2014	4,89,400	1,39,671	4,93,474
2015	5,05,770	1,46,555	5,03,608
2016	4,84,756	1,51,192	4,97,806
2017	4,69,242	1,50,003	4,67,389
2018	4,70,403	1,57,593	4,64,715
2019	4,56,959	1,58,984	4,49,360
2020	3,72,181	1,38,383	3,46,747
2021	4,12,432	1,53,972	3,84,448
2022	4,61,312	1,68,491	4,43,366

स्रोत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के (पुलिस विभाग) द्वारा प्रदान की गई सूचना

नोट: कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 के लिए पश्चिम बंगाल और कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 के लिए तमिलनाडु के आंकड़ों का मिलान किया गया है।

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.

परिशिष्ट -13
(पैरा 7.3.3 के तहत)

सड़क की कुल लंबाई और प्रत्येक श्रेणी की सड़क का प्रतिशत हिस्सा 1951-2020
(किमी में)

वर्ष (31 मार्च की स्थिति के तहत)	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राजमार्ग	जिला सड़कें	ग्रामीण सड़कें	शहरी सड़कें	परियोजना सड़कें	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1951	19,811	#	1,73,723	2,06,408	0	0	3,99,942
1961	23,798	#	2,57,125	1,97,194	46,361	0	5,24,478
1971	23,838	56,765	2,76,833	3,54,530	72,120	1,30,893	9,14,979
1981	31,671	94,359	4,21,895	6,28,865	1,23,120	1,85,511	14,85,421
1991	33,650	1,27,311	5,09,435	12,60,430	1,86,799	2,09,737	23,27,362
2001	57,737	1,32,100	7,36,001	19,72,016	2,52,001	2,23,665	33,73,520
2002	58,112	1,37,711	6,95,335	20,61,023	2,50,295	2,24,124	34,26,600
2003	58,112	1,34,807	6,96,960	20,82,188	2,97,259	2,59,328	35,28,654
2004	65,569	1,33,177	7,19,257	21,40,569	3,01,310	2,61,625	36,21,507
2005	65,569	1,44,396	7,86,230	22,66,439	2,86,707	2,59,815	38,09,156
2006	66,590	1,48,090	8,03,669	23,08,125	2,91,991	2,62,186	38,80,651
2007	66,590	1,52,235	8,35,003	23,93,488	3,00,580	2,68,505	40,16,401
2008	66,754	1,54,522	8,63,241	24,50,559	3,04,327	2,70,189	41,09,592
2009	70,548	1,58,497	9,62,880	26,29,165	3,73,802	2,76,617	44,71,510
2010	70,934	1,60,177	9,77,414	26,92,535	4,02,448	2,78,931	45,82,439
2011	70,934	1,63,898	9,98,895	27,49,804	4,11,679	2,81,628	46,76,838
2012	76,818	1,64,360	10,22,287	28,38,220	4,64,294	2,99,415	48,65,394
2013	79,116	1,69,227	10,66,747	31,59,639	4,46,238	3,10,955	52,31,922
2014	91,287	1,70,818	10,82,267	33,04,328	4,57,467	2,96,319	54,02,486
2015	97,991	1,67,109	11,01,178	33,37,255	4,67,106	3,01,505	54,72,144
2016	1,01,011	1,76,166	5,61,940	39,35,337	5,09,730	3,19,109	56,03,293
2017	1,14,158	1,75,036	5,86,181	41,66,916	5,26,483	3,28,897	58,97,671
2018	1,26,350	1,86,908	6,11,268	44,09,582	5,34,142	3,47,547	62,15,797
2019	1,32,499	1,79,535	6,12,778	45,22,228	5,41,554	3,43,163	63,31,757
2020	1,32,995	1,78,749	6,16,964	44,95,948	5,48,394	3,86,954	63,60,004

(#) – जिला सड़कों में शामिल
स्रोत: सड़क विकास और रखरखाव में शामिल विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केंद्रीय विभाग/एजेंसियां

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.

परिशिष्ट -14
(पैरा 7.3.3 के तहत)

58 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए संयुक्त भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन

क्र.सं.	मद	2019-20	2020-21	2021-22
क	**वास्तविक निष्पादन**			
1	फ्लीट हेल्ड (संख्या)	1,51,802	1,48,793	1,47,032
2	फ्लीट ऑपरेटेड (संख्या)	1,32,918	93,060	1,06,293
3	फ्लीट की उपयोगिता (प्रतिशत)	87.56	62.54	72.29
4	प्रस्तावित यात्री/किमी (लाख में)	80,12,493.97	44,81,565.51	58,22,185.65
5	यात्री/किमी प्रदर्शन (लाख में)	59,31,326.88	26,67,423.44	39,87,806.90
6	उपयोगिता अनुपात (प्रतिशत)	74.03	59.52	68.49
7	कर्मचारियों की संख्या (संख्या)	6,81,992	6,63,450	6,45,954
8	स्टाफ/बस अनुपात	4.49	4.46	4.39
9	कर्मचारी उत्पादकता (बस-किमी/स्टाफ/दिन)	64.86	38.05	49.67
10	वाहन उत्पादकता (बस-किमी/बस/दिन)	291.38	169.67	218.2
ख	**वित्तीय प्रदर्शन**			
1	कुल राजस्व (लाख रुपये में)	64,51,154.86	42,47,846.80	52,77,993.39
	जिसमें से कुल ट्रैफ़िक आय (लाख रुपये में)	49,62,698.88	24,83,769.56	34,92,387.42
2	कुल लागत (रुपये लाख में)	84,88,908.84	71,56,445.84	82,97,186.55
	जिसमें से स्टाफ का खर्च (लाख रुपये में)	37,31,805.07	35,97,277.55	36,10,959.65
3	शुद्ध लाभ/हानि(-) (लाख रुपए में)	-20,37,753.98	-29,08,599.04	-30,19,193.16

स्रोत: विभिन्न राज्य सड़क परिवहन उपक्रम

परिशिष्ट -15
(पैरा 9.10.4 के तहत)

लंबित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा पैरा की स्थिति

सिविल पैरा: एक (विवरण नीचे दिया गया है)

क्र.सं.	पैरा	वर्तमान स्थिति
1	**2023 की रिपोर्ट सं. 19 – भारतमाला परियोजना के चरण-I का कार्यान्वयन** इसके अलावा पीएसी ने 144 वीं रिपोर्ट में 19 बिंदुओं पर टिप्पणी मांगी थी।	दिनांक 29.11.2024 को एटीएन की 144 वीं रिपोर्ट लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई है।

वाणिज्यिक पैरा: विवरण नीचे दिया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लंबित सी एंड एजी ऑडिट पैरा (वाणिज्यिक)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का विषय	वर्तमान स्थिति
1	**पैरा सं. 12.1, रिपोर्ट सं. 2017 का 9 (वाणिज्यिक) –** ओएमटी पैकेज मैसर्स एमईपी हैदराबाद बेंगलोर टोल सड़क। रियायत शुल्क और क्षतिपूर्ति के रूप में 209.20 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो सकी। ***भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रियायतग्राही को अनुचित लाभ प्रदान क्यों किया इसने निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्राप्ति बैंक गारंटी का नकदीकरण करने के लिए समय पर कदम उठाने में या करार को रद्द करने में विफल रहा जिससे 209.20 करोड़ रुपये का देय संचित हो गया।***	04.10.2024 को सी एंड एजी को जवाब भेजा गया। इसके जवाब में, दिनांक 23.10.2024 के पत्र के माध्यम से , सी एंड एजी ने अन्य बातों के साथ -साथ उत्तर दिया है कि सी एंड एजी के पास आगे कोई टिप्पणी नहीं है क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और यह मंत्रालय मामले का अंतिम परिणाम सीधे लोक उपक्रम समिति (CoPU) को भेज सकता है। **मामला न्यायालय के विचाराधीन और लंबित है।**
2	**2018 की रिपोर्ट संख्या 11 का पैरा 11.4 –** बीओटी वार्षिकी आधार पर मेघालय में दो लेन शिलौंग बाइपास के निर्माण के लिए रियायतग्रही को बोनस का अधिक भुगतान।	एटीएन लंबित
3	**2018 की रिपोर्ट संख्या 11 का पैरा 11.5 –** आंध्र प्रदेश राज्य में चिलकालुरिपेट -विजयवाड़ा खंड को छह लेन का बनाने से संबंधित परियोजना से सड़क खंड को अलग करने में देरी के कारण टोल राजस्व पर ब्याज की हानि।	दिनांक 12.02.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिगनल से प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते।

This sign on road indicates that this road is regulated by three-colour light signals, as driver may not expect such section of some roads.

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का विषय	वर्तमान स्थिति
4	**पैरा 8.3 (2019 की रिपोर्ट सं. 13) -** एनएचएआई, बेगूसराय द्वारा 14.08 करोड़ रुपये की शीघ्र पूर्णता बोनस राशि के भुगतान के कारण रियायतग्राही को अनुचित वित्तीय लाभ।	दिनांक 26.11.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
5	**पैरा 11.4 (2020 की रिपोर्ट सं. 18) - अतिरिक्त रियायत शुल्क का अल्प प्रेषण:** रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को अतिरिक्त रियायत शुल्क के कम प्रेषण के कारण प्राधिकरण को 4.37 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि रियायतग्राही ने संशोधित शुल्क नियम के तहत एनएच-8 के किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर खंड पर छह लेन की मौजूदा सड़क पर ओवरलोड वाहनों से शुल्क एकत्र नहीं किया।	एटीएन लंबित
6	**पैरा 10.2 (2021 की रिपोर्ट सं. 14) -** सीवीसी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनुबंध में क्षति गणन खण्ड में अनुबंध के बाद संशोधन करके रियायतग्राही को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।	दिनांक 04.11.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
7	**पैरा 3.1 (2022 की रिपोर्ट सं. 11) -** रियायत समझौतों के अंतर्गत उपाय उपलब्ध होने के बावजूद रियायत समझौतों की धाराओं से परे जाकर योजना तैयार करना।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
8	**पैरा 3.2 (2022 की रिपोर्ट सं. 11)-** निविदा पश्चात संशोधनों का सहारा लेकर रियायतग्राहियों को अनुचित लाभ प्रदान करना।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
9	**पैरा 3.3 (2022 की रिपोर्ट सं. 11) -** गलत अनुमानों के आधार पर योजना का निर्माण।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
10	**पैरा 3.4 (2022 की रिपोर्ट सं. 11) -** एनएचएआई बोर्ड द्वारा प्रीमियम के युक्तिकरण हेतु नीति/योजना पर विचार न करना /अनुमोदन न करना।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
11	**पैरा 3.5 (2022 की रिपोर्ट सं. 11) -** मंत्रिमंडलीय टिप्पणी के परिचालन /अनुमोदन के लिए कैबिनेट सचिवालय के दिशानिर्देशों का पालन न करना।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
12	**पैरा 3.6 (2022 की रिपोर्ट सं. 11) -** किसी संकटग्रस्त परियोजना की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ समूह को महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध न कराना।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
13	**पैरा 4.1 (2022 की रिपोर्ट सं. 11) -** रियायतग्राहियों द्वारा राजस्व /यातायात अनुमानों में भारी अंतर।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
14	**पैरा 4.2 (2022 की रिपोर्ट संख्या 11) -** रियायतग्राही की कुल परियोजना लागत की तुलना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कुल परियोजना लागत में भारी अंतर के परिणामस्वरूप ऋण में काफी वृद्धि हो रही है।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
15	**पैरा 4.3 (2022 की रिपोर्ट संख्या 11) -** 51.01 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं लगाने के परिणामस्व रूप रियायतग्रहियों को अनुचित फायदा।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
16	**पैरा 4.4 (2022 की रिपोर्ट संख्या 11) -** 7,363,63 करोड़ रुपये के आस्थगित प्रीमियम के सापेक्ष 429.89 करोड़ रुपये की राशि की अपर्याप्त बैंक गारंटी प्राप्त कर रियायतग्राहियों को अनुचित फायदा।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।

यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घनाएं हो सकती है क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।

This sign indicates that there is great possibility of cattle straying on the road. Cattle on road can cause major crashes as animal reacts unpredictably in traffic. So drive carefully wherever you see this sign.

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का विषय	वर्तमान स्थिति
17	**पैरा 4.5 (2022 की रिपोर्ट संख्या 11) -** प्रीमियम की विलंबिता के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय परियोजना विशिष्ट कमियां।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
18	**पैरा 5.1 (2022 की रिपोर्ट संख्या 11) -** एस्क्रो खाते से 5,303.73 करोड़ रुपये की राशि की निधि का म्युचुअल फंड में निवेश।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
19	**पैरा 5.2 (2022 की रिपोर्ट संख्या 11) –** 252.97 करोड़ रुपये की संस्वीकृत आधिक्य विलंबित की गैर - वसूली के कारण रियायतग्राहियों को अनुचित फायदा।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
20	**पैरा 5.3 (2022 की रिपोर्ट संख्या 11) –** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित वास्तविक समय डेटा की निगरानी में कमियां।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
21	**पैरा 5.4 (2022 की रिपोर्ट संख्या 11) –** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ दावों को वापस न लेना।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
22	**पैरा 5.5 (2022 की रिपोर्ट संख्या 11) -** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच पूरक करार के हस्ताक्षर में विलंब।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
23	**पैरा 5.6 (2022 की रिपोर्ट संख्या 11) -** निगरानी में परियोजना विशिष्ट कमियां।	दिनांक 03.12.2024 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
24	**पैरा 7.1 (2022 की रिपोर्ट संख्या 33) -** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निलंब करार न किए जाने के कारण परियोजना राजमार्ग की मरम्मत और अनुरक्षण करने में विफलता के लिए रियायतग्राही पर लगाए गए 693.24 करोड़ रुपए की क्षति की वसूली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा सका।	दिनांक 20.11.2023 को सी एंड एजी को उत्तर भेजा गया।
25	**पैरा 7.2 (2022 की रिपोर्ट संख्या 33)-** टोल प्लाजा के लिए शुल्क अधिसूचना के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने में देरी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग खंडों के पैकेजों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने में अपर्याप्त तालमेल के परिणामस्वरूप राजकोष को 39.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।	एटीएन लंबित
26	**पैरा 7.3 (2022 की रिपोर्ट संख्या 33)-** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /इसका विशेष प्रयोजन वाहन जुर्माना सहित बकाया देय राशियों की वसूली करने के लिए संविदात्मक प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 21.35 करोड़ रुपये की संदिग्ध वसूली हुई। प्राधिकरण ने एक ठेकेदार को प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण एजेंसी ठेका भी प्रदान किया जो पहले से ही अन्य पथकर प्लाजाओं में समय पर भुगतान करने में चूक कर रहा था।	एटीएन लंबित
27	**2023 की रिपोर्ट संख्या 7 :** दक्षिण भारत में एनएचएआई के टोल परिचालन पर अनुपालन लेखा परीक्षा।	दिनांक 20.09.2024 को सी एंड एजी को एटीएन भेजा गया।

यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

This sign cautions that there is a dip on road ahead. This sign helps driver to reduce the speed to cross the plunge on road.

वन्यजीव अनुकूल गलियारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली